द्वितीय माला, खण्ड ११ — अंक ५
१४ फरवरी, १९५८ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ११ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में)

३ शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित * प्रश्न संख्या १२९ से १४९ ... ३३३–५६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ... ... ३५६–५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५० से १८२ ... ... ३५९–७१
अतारांकित प्रश्न संख्या २०२ से २४३ ... ... ३७१–९०

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ३९०

राज्य-सभा से संदेश ... ३९०

भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक —

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ३९०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — ...
सागर में सैनिकों और विद्यार्थियों के बीच झगड़े का समाचार ३९०-९१

सभा का कार्य ... ३९१

केन्द्रीय बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक-पुरस्थापित ३९२

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक-पुरस्थापित ३९२

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ... ३९२–४१५

श्री द० अ० कट्टी ३९२-९३
श्रीमती रेणुका राय ... ३९३-९४
डा० राम सुभग सिंह ३९४–९९
पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश ... ३९९–४०४
श्री रघुनाथ सिंह ४०४–०७
राजा महेन्द्र प्रताप ४०७-०८
श्री वाजपेयी ४०८–१३
श्री कोरटकर ४१३–१५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति —
तेरहवां प्रतिवेदन ४१५

राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन हेतु बैंकों के कार्यों के पुनर्विलोकन के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ४१५-१६

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

शुक्रवार, १४ फरवरी, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रावी नदी के मार्ग में परिवर्तन

†*१२९. **श्री राधा रमण :** क्या **प्रधान मंत्री** १८ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १२३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रावी नदी के मार्ग में परिवर्तन के फलस्वरूप २२ भारतीय गांवों के पाकिस्तान में चले जाने के सम्बन्ध में विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या कहा गया है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप हुई गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षति की क्या स्थिति है और इस विषय में सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खाँ) :** (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष १९५७ के अन्त तक रावी नदी के मार्ग में परिवर्तन के फलस्वरूप अमृतसर जिले में भारतीय क्षेत्र में १५,५८६ एकड़ भूमि पर प्रभाव पड़ा । २२ गांवों का कुल क्षेत्र (९,४१४ एकड़) और २९ अन्य गांवों का कुछ भाग (६,१७२ एकड़) नदी से पाकिस्तान की ओर चला गया है । इसके विपरीत ३,४४२ एकड़ के ११ गांव भारत की ओर आ गये हैं ।

(ग) गैर-सरकारी व सरकारी हानि के बारे में पूरी जानकारी की अभी प्रतीक्षा है । तथापि राज्य सरकारों ने निम्नलिखित कार्यवाही की है :

(१) रावी नदी को ठीक मार्ग पर लाने के लिये सुरक्षा व नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण कार्य किया;

(२) ऋण, निःशुल्क कपड़े व भोजन के रूप में सहायता की । १९५७ की बाढ़ के बाद ऐसी सहायता के आंकड़े इस प्रकार हैं : तकावी ऋण (२,१०,००० रुपये), निःशुल्क भोजन (१९,४५५ रुपये), निःशुल्क कपड़े (१०५ बन्डल), निःशुल्क औषधियां (२७० रुपये) ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री राधा रमण :** माननीय सभा-सचिव ने अभी कहा कि भारत सरकार ने भारत की ओर गांवों को बचाने के लिये कुछ सुरक्षा कार्य किये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार द्वारा इस सुरक्षा कार्य पर कितना खर्च किया गया। और क्या ऐसे कार्य को भविष्य में भी जारी रखने की योजना है और उस पर कितना अनुमानित व्यय किया जायेगा ?

†**श्री सादत अली खां :** सभा यह जानना चाहेगी कि १९५३ में पंजाब सरकार ने रावी नदी के मार्ग में अग्रेतर परिवर्तन को रोकने के लिये सुरक्षा सम्बन्धी निर्माण कार्य किया। उसने साधारण बाढ़ को भली प्रकार रोके रखा। तथापि अक्तूबर, १९५५ में नदी में असाधारण बाढ़ के कारण बांध में कई स्थानों पर दरारें पड़ गयीं। अतः सुरक्षा कार्य के १९५५ के अन्तर्गत अनुमत किये गये स्तर पर लाने का निश्चय किया गया।

नवम्बर, १९५६ तक नदी पर किये गये सुरक्षा सम्बन्धी निर्माण कार्य पर ३०,१९,४५८ रुपये खर्च हुये। पंजाब सरकार उन परिवारों को, जिनकी भूमि पाकिस्तान की ओर चली गयी है, पुनर्वासित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है और उन्हें शीघ्र ही संतोषजनक फल निकाल लेने की आशा है।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ६००० एकड़ के लगभग की भूमि पर जो कि पाकिस्तान की ओर चली गयी है, भारतीय कृषक खेती कर रहे हैं या नहीं ?

†**श्री सादत अली खां :** विभाजन के पश्चात् की अनिर्णित बातों के बारे में भारत तथा पाकिस्तानी अधिकारियों में यह तय हुआ था कि पंजाब के बारे में पड़ी हुई भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण नदी द्वारा किया जाये जहां कि नदी सीमा के पास बहती हो।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्योंकि यह समस्या ऐसी है जो बार-बार आती है, क्या मैं जान सकता हूं कि जो सुरक्षा-बंध बनाये गये वे समस्या का स्थायी रूप से समाधान करते हैं; यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास इस बार-बार होने वाली समस्या का कोई स्थायी समाधान है ?

†**श्री सादत अली खां :** मैं नहीं समझता कि स्थायी समाधान क्या होता है। जैसा मैंने बतलाया, सुरक्षा सम्बन्धी निर्माण-कार्य चल रहे हैं।

लाख का निर्यात

†***१३०. श्री रा० च० माझी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में (प्रति वर्ष) विदेशों को कितने मूल्य की लाख का निर्यात किया गया; और

(ख) क्या लाख के निर्यात में वृद्धि करने व उसके संधारण के लिये सरकारी सहायता से कोई निर्यात संवर्द्धन परिषद् का गठन किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :**

(क)

१९५४-५५	१०·५५ करोड़ रुपये
१९५५-५६	११·७१ करोड़ रुपये
१९५६-५७	९·४७ करोड़ रुपये

(ख) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†श्री रा० च० माझी : हमारे देश में लाख का कुल कितना उत्पादन होता है तथा उसमें कितनी और किस प्रकार हम उपभोग करते हैं ?

†श्री सतीश चन्द्र : १९५६-५७ में कुल उत्पादन १३,१५,००० पौंड था ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि वर्ष १९५५-५६ और १९५६-५७ के बीच निर्यात के कम हो जाने का क्या कारण है ?

†श्री सतीश चन्द्र : मुख्य कारण यह है कि लाख का अधिकतर प्रयोग ग्रामोफोन रिकार्ड बनाने में होता है। अब अमरीका में अन्य संश्लेषित पदार्थ प्रयोग में आते हैं। अन्य उत्पादक देश जैसे थाइलैण्ड से प्रतियोगिता का भी सामना करना पड़ता है ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या यह सच है कि हमारे देश में लाख के नये कामों में प्रयोग करने सम्बन्धी सर्वेक्षण का बहुत अभाव है और क्या यह अभाव पूरा किया जा रहा है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : भारतीय लाख गवेषणा समिति सर्वेक्षण कर रही है और लाख को अन्य कामों में प्रयोग करने के लिये विषय में बहुत खोज की जा रही है ।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : इसे अन्य देशों को निर्यात करने के बारे में प्रस्ताव था.....

†अध्यक्ष महोदय : श्री सिन्हा । माननीय सदस्य बुलाने से पहिले ही शुरू कर देते हैं। उनको प्रतीक्षा करनी चाहिये और मुझे ध्यान दिलाना चाहिये। वे दूसरों को भी रोक देते हैं। मैं जानता हूं कि किस विशेष प्रश्न पर किसको बुलाना चाहिये ।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : आपने मेरा नाम पुकारा था; अन्यथा मैं खड़ा नहीं होता ।

†श्री दी० चं० शर्मा : उनको उस स्थान पर बैठने से रोका जाना चाहिये जो उनका नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मित्र को अधिक अनुकूल स्थान दूंगा जो कि सदैव लम्बे मित्रों द्वारा छुप से जाते हैं ।

†श्री दी० चं० शर्मा : आप उस वायदे को कब पूरा करेंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : तत्काल ही ।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : लाख तथा कपड़े का रूस व अन्य मित्र देशों को निर्यात करने के बारे में प्रस्ताव था। क्या मैं जान सकता हूं कि उस प्रस्ताव का क्या हुआ ?

†श्री कानूनगो : हम मांग ढूंढ रहे हैं। जैसे ही मांग आयेगी यह परिवर्तन कर दिया जायेगा ।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण

†*१३१. { श्री सबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में डाक्टर, नर्स आदि की बहुत कमी है; और

(ख) यदि हां, तो अभिकरण में हस्पतालों और दवाखानों में इस कमी को पूरा करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) :** (क) जी, हां। कुछ कमी है।

(ख) (१) उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में नौकरी मंजूर करने के लिये डाक्टरों को आकर्षित करने के लिये अभिकरण में द्वितीय श्रेणी आसिस्टेंट सर्जनों के सब खाली पद प्रथम श्रेणी असिस्टेंट सर्जनों के ऊंचे स्तर के बना दिये गये हैं जिनका वेतन क्रम १ अक्तूबर, १९५६ से २२५—६६० रु० में परिवर्तित कर दिया गया है।

रिक्त स्थानों के लिये अगस्त, १९५७ में विज्ञापन दिया गया और आवेदकों का दिसम्बर, १९५७ में इन्टरव्यू हुआ। इसके परिणामस्वरूप २५ डाक्टरों को नियुक्ति पत्र भेज दिये गये हैं।

(२) अभिकरण के जिला चिकित्सा अधिकारी और प्रथमश्रेणी असिस्टेंट सर्जनों के पदों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के ४ तथा ५ श्रेणी में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** कौन-कौन सी विभिन्न श्रेणियों के डाक्टरों की उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में आवश्यकता है और इस समय कितने डाक्टर हैं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका :** प्रथम श्रेणी के असिस्टेण्ट सर्जनों की मंजूरी शुदा संख्या ४३ है और इस समय ३८ हैं। पांच पद अभी भी रिक्त हैं। ये स्थान असिस्टेंट सर्चनों के त्यागपत्र दे देने के फलस्वरूप रिक्त हुये हैं। द्वितीय श्रेणी के असिस्टेंट सर्जनों की मंजूर शुदा संख्या ८४ है। इस समय कार्य कर रहे डाक्टरों की संख्या ५१ है। अतः इस श्रेणी में ३३ पद खाली हैं। ये खाली पद भी ऊंचे स्तर के कर दिये हैं और एम० बी० बी० एस० डाक्टरों द्वारा भरे जायेंगे।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या मैं जान सकता हूं कि उन डाक्टरों को जो वहां जाते हैं कोई खास विशेषाधिकार व सुविधा दी जाती है और क्या उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाती है ?

†**श्री जो० न० हजारिका :** प्राइवेट प्रैक्टिस करने की आज्ञा नहीं दी जाती। अतः एक रियायत दी जाती है। इस सम्बन्ध में ३३ प्रतिशत का एक खास भत्ता दिया जाता है।

†**श्री हम बरुआ :** यह देखते हुये कि उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण आदिम जातियों में क्षय अथवा रतिज रोगों की बाहुल्यता है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इन रोकों का उन्मूलन करने अथवा इनको बहुत कम करने के लिये क्या पग उठाये हैं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका :** हस्पताल में ऐसे लोगों की चिकित्सा के लिये अलग व्यस्था है। हां, इस सम्बन्ध में अभी कोई निवारक उपाय नहीं किये गये हैं।

घाना के साथ व्यापार करार

†*१३२. {
श्री स० चं० सामन्त :+
श्री भक्त दर्शन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्व नाथ राय :
श्री वाजपेयी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घाना को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के क्या नाम हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) अब तक १९५७-५८ में घाना को इन में से प्रत्येक वस्तु का कितना निर्यात किया गया;

(ग) क्या हाल ही में घाना के सद्भावना-व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ङ) यदि भाग (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) घाना को निर्यात की जाने वाली मुख्य चीजें जूट का तैयार सामान, कपड़ा, बूट तथा जूते हैं ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अप्रैल से जून तक की कालावधि के सम्बन्ध में मांगी गयी जानकारी दी हुई है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७१**]

(ग) जी, हां ।

(घ) तथा (ङ). प्रतिनिधिमंडल से प्रारम्भिक बातों पर विचार हुआ और इसलिये व्यापार करार पर हस्ताक्षर करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इन करारों के अधीन हमें घाना से कुछ आयात अवश्य करना होगा, और यदि हां, तो वे वस्तुयें क्या हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया था कि किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : जब से घाना राष्ट्र-मंडल का स्वतंत्र सदस्य हुआ है, तब से भारत और घाना के व्यापार में किन-किन भागों में विशेष वृद्धि हुई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : वृद्धि करने की कोशिश की जा रही है। १९५५-५६ में १,०९,००,००० रुपये का सामान हमने एक्सपोर्ट किया था और १९५६-५७ में १,७७,००,००० रुपये का ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सरकार का घाना में कोई व्यापार-प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रस्ताव है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री रंगा** : क्या हमारे हथकरघा उत्पादों को घाना भेजने में वृद्धि करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाहियां भी की जा रहीं हैं !

†**श्री सतीश चन्द्र** : घाना से जो प्रतिनिधिमंडल आया था उसने मद्रास में कुछ इकाइयों की यात्रा की थी । हम घाना को कुछ हथकरघा उत्पाद, विशेष रूप से रूमाल आदि, भेजते रहे हैं और हम ने उन पर यह प्रभाव डाला है कि हम और अधिक निर्यात कर सकने की स्थिति में हैं ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या यह सच है कि घाना ने किसी भी व्यापार-समझौते के लिये अनाज खरीदने की शर्त लगाई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

काम के अनुसार मजूरी

†*१३३. { **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिये श्रमिकों को काम के अनुसार मजूरी देने के सम्बन्ध में योजना आयोग की सिफ़ारिशें क्रियान्वित की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कारखानों के नाम क्या हैं और अब तक प्राप्त अनुभव क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) तथा (ख). कुछ उद्योगों में यथाकर्म अथवा काम के अनुसार मजूरी देने की व्यवस्था लागू है । जिन कारखानों में इस प्रकार की व्यवस्था है उनके सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करने में जितना समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणामों के समनुरूप न होगा ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** प्रश्न का सम्बन्ध योजना आयोग की सिफ़ारिशों से है । परन्तु उत्तर प्रत्यक्ष नहीं है ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** योजना आयोग द्वारा उस सिफ़ारिश के किये जाने से पूर्व क्या ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के नियोजकों के विचार भी मालूम किये गए थे ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : योजना में श्रमिकों सम्बन्धी अध्याय में श्रमिकों के सम्बन्ध में जो सम्पूर्ण नीति दर्ज है वह त्रिपक्षीय वाद-विवाद के परिणामस्वरूप तय पाई थी और उसमें नियोजक भी शामिल थे और नियोजकों के प्रतिनिधियों द्वारा निष्कर्षों को स्वीकार भी किया गया था ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** कितने ग़ैर-सरकारी उद्योगपतियों ने इस व्यवस्था को स्वीकार किया था ?

†**श्री नन्दा :** ये निष्कर्ष सभी को बता दिये गये थे, अर्थात्, नियोजकों की संस्थाओं तथा सम्बन्धित श्रमिकों को इन्हें बता दिया गया था और जिनकी उनमें अभिरुचि थी उन सभी को भी बड़े पैमाने पर इनसे सूचित किया गया था ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** काम के अनुसार मजूरी देने की इस व्यवस्था को क्रियान्वित करने में अब तक जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं उन में से एक उत्पादन की प्रति इकाई दर के सम्बन्ध में श्रमिकों से किसी करार का न होना है । श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अथवा किसी करार तक पहुंचने के लिये सरकार के ध्यान में कौन सा सूत्र है ?

†**श्री नन्दा :** यह बात विभिन्न उद्योगों तथा उपजीविकाओं की प्रविधिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है । और इसे अधिकाधिक क्रियान्वित किया जा रहा है ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : उत्पादन बढ़ाने के लिये श्रमिकों को क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं ?

†**श्री नन्दा :** यदि उत्पादन बढ़ता है तो इस व्यवस्था के अनुसार उनकी कमाई में भी वृद्धि होती है ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** एक औचित्य प्रश्न है । प्रश्न का सम्बन्ध·····

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय का यह कहना है कि अतिरिक्त श्रम अथवा अतिरिक्त उत्पादन के लिए अतिरिक्त मजूरी के भुगतान के अतिरिक्त अन्य कोई पृथक प्रोत्साहन नहीं है। अधिकांशत: परियोजनाओं के अनुसार भुगतान किया जाता है। क्या ऐसा नहीं है ?

†**श्री नन्दा :** यह सामान्य यथा कर्म मजूरी व्यवस्था है। परन्तु कुछ मामलों में अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं ।

†**श्री मुहीउद्दीन :** इस नीति की क्रियाविनति के मार्ग में जो बाधायें हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण बात उन व्यवस्थाबद्ध उपायों की कमी है जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये कार्यभार निर्धारित किया जाता है। किसी व्यवस्थाबद्ध आधार पर कार्यभार निर्धारित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

†**श्री नन्दा :** कई औद्योगिक उपक्रमों में इस दिशा में एक उत्पादिता समिति कार्य कर रही है और नियोजक भी इसके मूल्य तथा महत्व के प्रति जागरूक हैं और मेरे विचार में अधिकाधिक इकाइयां इस व्यवस्था को लागू कर रही हैं ।

†**श्री तंगामणि :** वशिष्ट समिति के प्रतिवेदन के पश्चात् तथा बाद के प्रतिवेदनों के पश्चात् भी पत्तनों तथा गोदियों के मामलों में परिणामों के अनुसार भुगतान की इस व्यवस्था को विशेष रूप से अंगीकृत किया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि पत्तनों तथा गोदियों के मामले में क्या अनुभव प्राप्त हुआ है ?

†**श्री नन्दा :** कुछ स्थानों में इस सिद्धान्त को हाल ही में लागू करने से प्रोत्साहन देने वाले परिणाम निकले हैं और हम शीघ्र ही एक बड़ी गणना करने वाले हैं जिसमें हम इस सम्बन्ध में प्रश्नों को रख रहे हैं ताकि इस गणना के परिणामस्वरूप इस विषय पर हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** क्या यह प्रयोग अधिकतर उन उद्योगों तक ही सीमित रखा जायेगा जहां कार्यप्रबन्ध में श्रमिकों को शामिल होने की अनुमति दी गई है ?

†**श्री नन्दा :** श्रमिकों को शामिल करने के सम्बन्ध में तो अभी हाल ही में निर्णय किया गया है और मेरे विचार में उसका इस बात से अधिक सम्बन्ध नहीं है।

आयात अनुज्ञप्तियां

†१३४. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें दिखाया गया हो कि :

(क) १९५६ तथा १९५७ में आयात के लिये जारी किये गये अवशिष्ट लाइसेंसों की कुल राशि के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष के लिये पृथक आंकड़ों का क्या कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है;

(ख) इसी अवधि में रद्द किये गये इस प्रकार के लाइसेंसों की कुल राशि कितनी है;

(ग) इसी अवधि में जारी किये गये आयात लाइसेंसों की कुल राशि त्रैमासिक आंकड़ों में कितनी है; और

(घ) संकट का सामना करने के लिये विदेशी मुद्रा बचाने के सम्बन्ध में क्या प्रयत्न किये गये हैं और उनका क्या परिणाम हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जानकारी इस समय प्राप्त नहीं है। इसे एकत्रित किया जा रहा है और उसे सभा-पटल पर रख दिया गया जायेगा।

(ख) शून्य ।

(ग) तथा (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७२**]

†**श्री श्रीनारायण दास** : विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों को देखते हुये यह देखने के लिये कि जिन मामलों में कोई पक्का वचन दान नहीं दिया गया था इन मामलों में कुछ लाइसेंसों को रद्द किया जा सकता था या नहीं, क्या जारी किये गये लाइसेंसों की सरकार द्वारा कोई बातचीत की गई थी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : समय-समय पर लाइसेंसों को पुनरीक्षणाधीन रखा जाता है। पूर्ववर्ती अवधि में निर्गमित अधिकांश लाइसेंस काम में लाये जा चुके हैं। कुछ ऐसे है जो बच रहे हैं और जिनका मूल्य विवरण म दिया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है नीति में उग्रपरिवर्तन किया गया है और सभी असारभूत वस्तुओं में कटौती की गई है और उनके आयात की अब अनुमति नहीं दी जाती है।

†**श्री खाडिलकर** : गैर-सरकारी क्षेत्र के लोगों को अंधाधुंध लाइसेंस दिये जाने के कारण इस अवधि में हमारी विदेशी मुद्रा के संसाधनों के अधिविकर्ष को देखते हुये क्या सरकार इस मामले की छानबीन करने के लिये एक स्वतंत्र जांच आयोग की नियुक्ति पर विचार करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सभी कार्यवाही के लिये सुझाव हैं।

†**श्री विमल घोष** : अक्तूबर से मार्च, १९५८ तक की अवधि में, यहां केवल ४ जनवरी, १९५८ तक के आंकड़े दिये गये हैं, जारी किये गये लाइसेंसों की अधिकांश कीमत से क्या हमारी विदेशी मुद्रा स्थिति में किसी सुधार का पता चलता है ? इसका कारण क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है। रक्षित विदेशी मुद्रा में से निकासी अब काफ़ी हद तक कम कर दी गई है और अब यह लगभग २ करोड़ रुपये प्रति सप्ताह है। इससे पहिले की तुलना में काफ़ी सुधार प्रकट होता है और जिन सरकारी विनियमों के द्वारा लाइसेंसों को नियंत्रित किया जाता है उनकी अत्यन्त सूक्ष्म छानबीन की जाती है। निकासी को न्यूनतम सीमा तक रखने के लिये पूरा ध्यान रखा जाता है।

†**श्री विमल घोष** : प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया था। पिछली अवधि की तुलना में अक्तूबर, १९५७ से मार्च, १९५८ की अवधि में अधिक मूल्य के लाइसेंस क्यों जारी किये गये थे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है उस नीति को वास्तव में जुलाई में अपनाया गया था और स्थिति का उचित अध्ययन करने की दृष्टि से तीन मास की अवधि को निम्नतम स्तर तक रखा गया था। जब सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कुछ बातों की एक निश्चित आधार पर अनुमति दी जा सकती है। अक्तूबर–मार्च अवधि एक सामान्य स्थिति की स्थावर अवधि का प्रतिनिधित्व करती है।

†**श्री वें० प० नायर** : (घ) भाग के उत्तर में विवरण में मैंने देखा है कि जनवरी, १९५७ के बाद से एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिये न्यूनतम अपेक्ष्य सीमा तक आयात को निर्बन्धित करने की नीति रही है। इस बात को देखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पूंजी वस्तुओं

†मूल अंग्रेजी में ।

के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के वास्तविक आयात को भी कम किया है ? यदि हां, तो १९५६ की तुलना में १९५७ में उपभोक्ता वस्तुओं के वास्तविक आयात के मूल्य में कमी कितनी है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं प्रश्न को तीन भाग में बाटूंगा। जैसा कि सदन को ज्ञात है, ८७ मदों के सम्बन्ध में उदार रूप से लाइसेंस देना पूर्णतः बन्द कर दिया गया है — उपभोक्ता वस्तुओं की कितनी ही मदें तथा 'ओ जी एल' हटा लिये गये हैं। परन्तु इस प्रक्रम पर पृथक आंकड़े देना सम्भव नहीं होगा, विभिन्न कारणों से बचतें हुई हैं। तथापि यह आसानी से कहा जा सकता है कि सभी उपभोक्ता वस्तुओं पर पर्याप्त निर्बन्ध लगाया गया है और व्यवहारतः अधिकांश मामलों में उन पर पूर्ण पाबन्दी लगाई गई है ।

पूंजी वस्तुओं के मामले में भी एक आस्थगित शोधन व्यवस्था तथा विदेशी ऋण की एक व्यवस्था निकाली गई है और ये कार्यवाहियां पूंजी तथा उत्पादक वस्तुओं के पक्ष में एक पूर्ण अभिनति का परिचय देती हैं और उपभोक्ता वस्तुओं के लिये व्यवहारतः किसी अभिनति को प्रकट नहीं करती हैं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या सरकार के सामने इस प्रकार के ऐसे सभी लाइसेंसों को रद्द करने का कोई प्रस्ताव है जिनके सम्बन्ध में छः महीने के भीतर उनको पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी ने पहिले ही कहा है रद्द करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। लाइसेंस इसलिये दिया जाता है कि उसे देना आवश्यक होता है अथवा सरकारी विनियमों में वर्णित नीति के अन्तर्गत उसकी अनुमति दी गई है।

†**श्री म० ला० द्विवदी :** मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी कारखाने जैसे लोहे के कारखाने वगैरह जहां बिठाये जा रहे हैं वहां के लिये बहुत कुछ एक्विपमेंट और सामान इस देश में उपलब्ध हो सकता था तो उसके लिये सरकार ने बाहर से मंगवाने की क्यों आज्ञा दी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह बात सही नहीं है कि कोई आज्ञा दी गई। हुआ तो ऐसा है कि जहां ज़रूरत थी वहां भी हमने खींच कर जितना कम हो सकता था उतना कम किया है।

मंगला बांध

†*१३५.
+**श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री स० च० सामन्त :
श्री दी० च० शर्मा :
श्री गोरे :
श्री जगन्नाथ राव :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सरजू पांडे :
श्री वाजपेयी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को ज्ञात है कि पाकिस्तान ने बर्तानिया की एक सार्थ से मंगला बांध निर्माण के बारे में कोई संविदा किया है;

†मूल अंग्रेज़ी में।

(ख) क्या यह भी सच है कि एक अमरीकी इंजीनियरिंग सार्थ भी इस बांध के निर्माण में भाग ले रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्यान इस ओर दिलाया गया है; और

(घ) क्या पाकिस्तान को भी इस सम्बन्ध में कोई विरोधपत्र दिया गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खाँ)**: (क) तथा (ख). इस सम्बन्ध में हमने अखबारों में समाचार पढ़े हैं ।

(ग) इस सम्बन्ध में भारत के संयुक्त राष्ट्र स्थित स्थायी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद् के प्रधान को जो पत्र भेजा है उसकी एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जाती है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७३]**

(घ) जी, नहीं ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सरकार को ज्ञात है कि दिल्ली में बहुत से ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो कि हमेशा कश्मीर सरकार के विरुद्ध प्रचार करते रहते हैं और पाकिस्तान को उसके विरुद्ध खबरें और सामग्री भेजते रहते हैं जिनसे कि उसे मंगला बांध के बनाने में सहायता मिल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों को रोकने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का मंगला बांध से कैसे सम्बन्ध जुड़ता है ?

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्रमंडल को लिखा है कि.....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तो भाषण देने लगे हैं ।

†**श्री रंगा** : क्या हमारी सरकार ने ब्रिटेन तथा अमरीका को विशेषकर इस मामलें में कोई विरोध प्रकट किया है कि उन देशों की फर्में इसे बनाने का कार्य कर रही हैं;

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (जवाहरलाल नेहरू)** : मैं समझता हूं सुरक्षा परिषद् को छोड़कर हमने और कोई विरोध नहीं प्रकट किया है ।

†**श्री रंगा** : या कोई जांच ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जांच का प्रश्न ही नहीं उठता ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि पाकिस्तान सरकार ब्रिटेन तथा अमरीका की प्राइवेट फर्मों से बातचीत कर रहा है । हम किसी के प्राइवेट व्यवहारों की छानबीन नहीं करते । मुख्य प्रश्न तो सिद्धान्त का है कि सुरक्षा परिषद के संकल्पों को ध्यान में रखते हुये पाकिस्तान को किस प्रकार से आचरण करना चाहिये; अर्थात् वह जम्मू व काश्मीर के अधिकृत प्रदेश में क्या-क्या कर सकता है । हमारा यह विचार है कि यह प्रदेश सर्वथा उनका प्रदेश नहीं है, यह हमारे देश का भाग है । और दूसरे उनको वहां पर कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है । इस प्रकार यह एक सिद्धान्तों का प्रश्न है । इससे फर्मों का कोई वास्ता नहीं ।

†**श्री दासप्पा** : सुरक्षा परिषद के सामने इस आवेदन का क्या परिणाम हुआ है ? क्या इसका कोई उत्तर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसको सभी सदस्यों में परिचालित किया गया है । महासचिव स्वयं कोई निश्चय नहीं करते । जब किसी मामले पर बाद में चर्चा होती है तभी परिषद् कोई निश्चय करती है। सामान्यता वह ऐसे पत्रों को सदस्यों में परिचालित कर देते हैं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या सरकार को ज्ञात है कि पाकिस्तान सरकार ने काश्मीर के अधिकृत प्रदेश के तथाकथित प्रेसिडेंट सरदार मुहम्मद इब्राहीम को मंगला बांध का विरोध करने वाले लोगों का मुंह बंद करने के लिये तथा उन पर अपनी धाक जमाने के लिये ५० लाख रुपया दिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे निजी रूप से ऐसे किसी तथ्य की जानकारी नहीं है । हो सकता है उन लोगों ने कुछ रुपया दिया हो ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, अभी बताया गया कि इस सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद् के प्रेसीडेंट के पास विरोध पत्र भेजा गया है लेकिन पाकिस्तान सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई विरोध पत्र नहीं लिखा गया है । मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान सरकार को इस सम्बन्ध में क्यों नहीं लिखा गया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसलिये, कि पाकिस्तान सरकार को इस बारे में विरोध पत्र भेजने के कोई माने नहीं हैं क्योंकि यह एक जुज़ है, हिस्सा है, उस सवाल का जिसमें हमारा और उनका विरोध है ।

श्री सिंहासन सिंह : सिक्युरिटी कौंसिल के आदेशानुसार कोई नई चीज़ वहां नहीं बननी चाहिये और ब्रिटेन और अमरीका दोनों सिक्युरिटी कौंसिल के मेंम्बर हैं, उनकी सहायता से वह डैम बन रहा है तो क्या सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि ब्रिटेन और अमरीका से इसके लिये प्रोटैस्ट किया जाय कि वह अपनी प्राइवैट फ़र्म्स को वहां पर काम करने की क्यों आज्ञा देते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने जवाब तो दिया कि हमने उसको लेकर सिक्युरिटी कौंसिल में प्रोटैस्ट कर दी है । अब प्राइवट फर्म्स क्या करती हैं और क्या नहीं करती हैं उससे उनका क्या सम्बन्ध है और हमको उस सम्बन्ध में प्रोटैस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम पड़ी, आयन्दा सोचेंगे और जो कुछ करना होगा करेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या भारत सरकार तथाकथित आजाद काश्मीर के लोगों द्वारा मंगला बांध बनाने के विरुद्ध पास किये गये संकल्पों पर एक श्वेत पत्र निकालने का प्रयत्न करेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्या आप मुझे कार्यार्थ सुझाव दे रहें हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप सरकार के 'श्वेत पत्र' जारी करने के लिये परामर्श दे रहे हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं तो केवल प्रश्न पूछ रहा था ।

त्रिदलीय सम्मेलन

*१३६. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस के मामले पर विचार-विमर्श करने के लिये तथा एक सामान्य हल ढूंढने के लिये कोई त्रिदलीय सम्मेलन बुलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) तथा (ख). मजूरों के वेतनों सम्बन्धी सभी प्रश्नों पर विचार करने के लिये सरकार पहले ही अपने, मालिकों और कर्मचारियों तीनों के प्रतिनिधियों का एक कार्यक्रम विनिश्चायक (स्टीयरिंग) ग्रुप बना चुकी है।

बोनस इत्यादि विशेष प्रश्नों पर चर्चा करने के लिये त्रिदलीय सम्मेलन बुलाने का प्रश्न तभी सोचा जा सकता है जब यह स्टीयरिंग ग्रुप अपनी रिपोर्ट दे दे।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : क्या सरकार को ज्ञात है कि केरल सरकार ने बोनस के बारे में एक नई योजना तैयार की है और यह कर्मचारियों व मालिकों की सहायता से कार्यान्वित भी की जा रही है ? क्या भारत सरकार भी कोई ऐसी योजना चालू करने का विचार रखती है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह सच है कि केरल में कुद्रा में ऐसी योजना चालू की गई है किन्तु हमें अभी देखना है कि यह कहां तक सफल होती है ?

श्री स० म० बनर्जी : क्या यह सच है कि बोनस के मामले पर कुछ बड़े उद्योगों में बाड़ी विकट अशान्ति फैल रही है ? यदि हां, तो इसे हल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : सरकार को भली भांति विदित है कि इस मामले को लेकर उद्योग में बड़ी अशान्ति फैल रही है। स्टीयरिंग ग्रुप ने इस पर विचार किया है और कुछ दिन बाद उसकी फिर एक मीटिंग हो रही है। स्टीयरिंग ग्रुप ने अपनी पहली बैठक में यह कहा है कि सामान्य रूप से मजूरी सम्बन्धी नीति, बोनस की मात्रा व अन्-अर्थिक एककों के प्रश्नों का एक प्राथमिकता क्रम के आधार पर अध्ययन किया जाये। अगली मीटिंग में फिर इस प्रश्न पर चर्चा होगी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या सरकार, जब तक यह ग्रुप अंतिम निश्चय तक नहीं पहुंचता तब तक के लिये कोई अंतरिम फार्मूला ढूंढने का विचार रखती है ?

†**श्री नन्दा** : इस ग्रुप के निष्कर्षों के बिना छोड़कर हमारे पास पहले से ही इस प्रकार के झगड़ों का निपटारा करने के लिये मशीनरी विद्यमान है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या बोनस लाभ की बजाय उत्पादन के हिसाब से देने का कोई विचार है ? यदि हां, तो यह सुझाव कब से अमल में लाया जायेगा ?

†**श्री नन्दा** : इस सम्बन्ध में अभी कोई निश्चित निश्चय नहीं किया गया है। हां यह ग्रुप अवश्य यह प्रयत्न कर रहा है कि किस प्रकार से बोनस को उत्पादन व उत्पादिकता के साथ जोड़ा जाये। मगर इस समय अधिकतर उद्योगों में लाभ के अनुसार बोनस दिया जा रहा है।

प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना

†*१३७. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्य सरकारों ने श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध में भाग लिये जाने की योजना को कार्यान्वित किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने कारखाने हैं जिनमें कि यह योजना कार्यान्वित की जा रही है; और

(ग) क्या जिन उद्योगों में इस को चालू किया गया है वहां यह योजना सफल सिद्ध हुई है व नहीं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) मद्रास, बम्बई, केरल, मध्यप्रदेश और पंजाब की राज्य सरकारें भी इस योजना को कार्यान्वित करना चाहती हैं ।

(ख) एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ७४]**

(ग) अभी से इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : इस योजना के अन्तर्गत श्रम तथा प्रबन्धकों के प्रतिनिधान का क्या अनुपात रहता है ?

†**श्री आबिद अली** : यह प्रत्येक उद्योग पर निर्भर है ।

†**श्री तंगामणि** : १५वें भारतीय श्रम सम्मेलन में यह निश्चय किया गया था कि कम से कम ५० कारखानों में श्रमिक प्रबन्ध में भाग लेंगे । किन्तु विवरण में केवल ३० ऐसे एककों का उल्लेख किया गया है जहां पर कि यह योजना लागू की गई है । क्या यह योजना २० अन्य एककों में भी लागू की जायेगी तथा क्या मद्रास में इस योजना के अन्तर्गत कोई वस्त्र मिल भी ली गई है ?

†**श्री आबिद अली** : यह योजना ५० एककों में लागू की जायेगी । मद्रास के बारे में मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री तंगामणि** : विवरण में यह कहा गया है कि मद्रास में दो कारखानों में यह योजना लागू की गई है । क्या इसमें कोयम्बटूर की मिल भी शामिल है ?

†**श्री आबिद अली** : नहीं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : जिन उद्योगों में एक से अधिक कर्मचारी यूनियनें होती हैं वहां पर कर्मचारियों के प्रतिनधि किस आधार पर चुने जाते हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : हमने इसी कठिनाई को दूर करने के लिये अभी तक ऐसे उद्योगों को चुना है जिनमें एक से ज्यादा यूनियनें नहीं हैं ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या सभी राज्यों को यह योजना स्वीकार करने के लिये पत्र भेजे गये थे ? यदि हां, तो किन राज्यों ने उसका उत्तर दिया है और किन राज्यों ने नहीं व उत्तर न देने के कारण ?

†**श्री आबिद अली** : सभी राज्यों से प्रार्थना की गई थी और मेरा विचार है सभी राज्य इसमें सहयोग दे रहे हैं ।

†**श्री प्रभात कार** : क्या जिन उद्योगों में एक से अधिक विरोधी संघ हैं क्या उन उद्योगों में यह योजना नहीं लागू की जायेगी ?

†**श्री नन्दा** : अभी हम परीक्षणात्मक आधार पर यह योजना चला रहे हैं । इसलिये हम इसे अत्यन्त अनुकूल परिस्थितियों में ही चलाना चाहते हैं ।

†**श्री त्यागी** : क्या यह योजना केवल निजी क्षेत्र में ही लागू होगी व सरकारी क्षेत्र में भी लागू होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री नन्दा :** इस सूची में सरकारी क्षेत्र के उद्योग भी हैं ।

†**श्री त्यागी :** क्या यह योजना सभी सरकारी कारखानों में लागू होगी ?

†**श्री नन्दा :** अभी तो शुरुआत ही है धीरे-धीरे यह सभी जगह लागू होगी ।

सोवियत रेडियो विशेषज्ञ प्रतिनिधिमण्डल

†*१३८. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में चार रूसी रेडियो विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधिमण्डल अभी हाल भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो उनके भारत आने का क्या उद्देश्य था;

(ग) क्या कोई ऐसा ही भारतीय प्रतिनिधिमण्डल रूस भेजा गया है; और

(घ) क्या वह भारत में वापस आ चुका है और अपनी रिपोर्ट पेश कर चुका है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) तीन सोवियत रेडियो विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधिमण्डल अभी हाल ही में भारत आया था ।

(ख) यह प्रतिनिधिमण्डल भारत सरकार के निमन्त्रण पर भारत आया था जो कि उसने रूसी विशेषज्ञों को सितम्बर, १९५६ में दिया था जब कि एक अखिल भारतीय रेडियो विशेषज्ञ प्रतिनिधिमण्डल रूस गया था । यह एक सद्भावना दौरा था । इसके दौरान में रूसी विशेषज्ञों ने भारतीय 'आकाशवाणी' के कार्य तथा संगठन से जानकारी बढ़ाई ।

(ग) तथा (घ). जो अखिल भारतीय प्रतिनिधिमण्डल १९५६ में रूस गया था उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है ?

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या रूसी प्रतिनिधिमण्डल ने 'आकाशवाणी' के प्रोग्राम तथा इंजीनियरिंग पहलुओं के बारे में कोई सुझाव रखे हैं ।

†**डा० केसकर :** प्रतिनिधिमण्डल का मुख्य उद्देश्य हमारे प्रोग्रामों अथवा इंजीनीयरिंग व्यवस्था के बारे में सुझाव देना नहीं था । वे यह जानना चाहते थे कि हमारा संगठन कैसा है तथा कैसे कार्य कर रहा है । हो सकता है जानकारी प्राप्त करते समय व चीज़ों की तुलना करते समय उन्होंने कुछ सुझाव सुझाये हों । परन्तु ये अनौपचारिक सुझाव हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** इस बात को देखते हुए कि रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी, क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि हमारे आल इंजिया रेडियो के बारे में उन्होंने अपनी क्या राय दी ?

डा० केसकर : वह इसलिये यहां नहीं आये थे कि वह आल इंडिया रेडियो के बारे में अपनी राय ज़ाहिर करें । हमारा डेलीगेशन भी रूस इसलिये नहीं गया था कि वह उनके रेडियो आरगेनाइजेशन के बारे में कोई राय ज़ाहिर करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री गजन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या यह सच है कि सरकारी निमन्त्रण जाने से पहले वे यहां अपने मित्रों के निजी अतिथि बन कर आना चाहते थे ?

†**डा० केसकर** : मैं प्रश्न ठीक से नहीं समझ पाया हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह आवश्यक प्रश्न नहीं है । उन्होंने ऐसा सोचा होगा ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या इन विशेषज्ञों ने किसी रेडियो फेक्टरी का दौरा किया है और उसके बारे में कोई सुझाव दिये हैं ?

†**डा० केसकर** : ये रेडियो विशेषज्ञों का प्रतिनिधिमण्डल था । इसलिये उनके प्रोग्राम में कुछ रेडियो उद्योगों का निरीक्षण भी रख दिया गया था । किन्तु मुझे ठीक से नहीं मालूम है कि वे किसी रेडियो बनाने वाली फैक्टरी में गये थे या नहीं । इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

कपड़ा मिलों का बन्द होना

†*१३९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि सीमान्त[1] कपड़ा मिलों के बन्द होने के कारण कपड़ा मिल कर्मचारियों में बेरोजगारी बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति को और अधिक खराब होने से बचाने के लिये क्या कार्य-वाही करना चाहती है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : कपड़ा मिलों के बन्द होने से, चाहे उसका कुछ भी कारण हो, अवश्य बेरोजगारी बढ़ती है ।

(ख) सरकार इस स्थिति का विशेष ध्यान रख रही है । किस समय क्या कदम उठाये जायें इस बात का निर्णय मिल के बन्द होने के कारणों पर निर्भर करता है । यह जांच १९५१ के औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा १५ के अन्तर्गत की जाती है । कपड़ा उत्पादन शुल्क में मध्यम कपड़े पर ६ पाई प्रति गज की और तदर्थ छूट दे दी गई है । ऐसा कपड़ा कपड़ा उद्योग के कुल उत्पादन का एक बड़ा अंश है । साथ ही अब विक्री कर को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में मिला दिया गया है । इससे कपड़ा उद्योग को काफी सहायता मिलेगी ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : सरकार ऐसी कितनी सीमान्त-मिलों को सहायता दे रही है ?

†**श्री कानूनगो** : मैं ऐसी किसी सीमान्त-मिल का नाम नहीं ले सकता हूं । कई मिलों ने वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थनापत्र दिये हैं और उनमें से ९ मिलों को सहायता देने की स्वीकृति दी गई है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : १९५६-५७ में सरकार को कितनी मिलों ने मिलें बन्द करने की अनुमति देने के लिये प्रार्थना की है क्योंकि उनका काम बड़े घाटे में जा रहा था ?

†**श्री कानूनगो** : ऐसी मिलों की संख्या १५–२० के लगभग है ।

†**श्री दासप्पा** : यह कहा गया है कि ९ मिलों को सहायता दी गई है क्या मैं जान सकता हूं कि और कितनी मिलों को सरकारी सहायता की आवश्यकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Marginal.

†**श्री कानूनगो** : लगभग ६ मिलों के प्रार्थनापत्र अभी हमारे पास शेष हैं।

†**श्री विमल घोष** : उत्पादन शुल्क की छूट के रूप में जो सहायता दी गई है क्या उसमें कपड़ा मिलों की स्कन्ध स्थिति में कुछ सुधार हुआ है ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे विचार से अवश्य होना चाहिए और धीरे-धीरे यह और भी सुधर जायेगी ।

†**विमल घोष** : क्या मंत्री महोदय कुछ आंकड़े बता सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

गुड़िया उद्योग

†*१४०. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार देश में गुड़िया उद्योग का विकास करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य को गुड़िया उद्योग के लिये कितना रुपया दिया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां । वास्तव में गुड़िया उद्योग के विकास के लिये कई योजनायें चल भी रही हैं ।

(ख) क्योंकि उड़ीसा सरकार से अभी तक गुड़िया उद्योग के बारे में कोई आवेदनपत्र नहीं आया है इसलिये उसे इस कार्य के लिये कोई राशि देने का प्रश्न ही नहीं उठा ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या उड़ीसा राज्य क किसी व्यक्ति ने गुड़िया उद्योग की स्थापना के लिये कोई आवेदन दिया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमें ऐसा कोई आवेदनपत्र नहीं मिला ।

†**श्री ब० स० मर्त्ति** : क्या सरकार ने इस उद्योग के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कोई नियमित विस्तृत सर्वेक्षण तो नहीं किया गया है । किन्तु देश में मुख्य उद्योगों के सामान्य सर्वेक्षण के अन्तर्गत इसका भी सर्वेक्षण हुआ है । मैसूर, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश और मनीपुर में कई विस्तार केन्द्र तथा उत्पादन केन्द्र खोले गये हैं तथा कई अन्य योजनायें भी चालू की गई हैं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या सरकार इस उद्योग में 'सोला', जो कि सोला हेटों में प्रयोग होता है, का प्रयोग बढ़ाने के लिये कदम उठायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह कार्यार्थ सुझाव है । हम पहले ही गुड़िया उद्योग में 'सोला' का प्रयोग कर रहे हैं ।

†**श्री तिम्मय्या** : मैसूर राज्य में इस उद्योग के विस्तार तथा विकास के लिये कितनी राशि दी गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : १९५५-५६ में ३,४०० रुपये दिये गये थे और १९५६-५७ में १३४६ रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या मंत्री महोदय को कोंडापल्ली के खिलौनों की प्रसिद्ध का ज्ञान है यदि हां, तो वहां पर कोई केन्द्र क्यों नहीं खोला गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस तरह की सब योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा भेजी जाती हैं। राज्यों से प्रस्ताव आने पर ही हम उन पर विचार करते हैं। हम अपने आप कोई केन्द्र नहीं खोलते।

कारखानों के लाभ

†*१४१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों को कारखानों के लाभों में साझीदार बनाने के लिये कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या इस विषय पर विचार करने के लिये कोई त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया गया था।

†**श्री आबिद अली** : इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या १३३ में दिया जा चुका है।

पश्चिमी पाकिस्तान में न्यास सम्पत्तियां

†*१४२. **श्री दी चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री २ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दू और सिखों के न्यास पाकिस्तान में जो भारी सम्पत्तियां छोड़ आये हैं उसके बारे में समझौता करने के मामले में क्या प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : इस मामले में और कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हाल ही में जब मैं कराची गया था तो वहां मैंने अनौपचारिक रूप से पाकिस्तान के मंत्री से बातचीत की थी। मुझे बताया गया कि भारत की तरह, पाकिस्तान में न्यास सम्पत्ति को निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित नहीं किया गया था परन्तु उसका प्रबन्ध सरकार और अल्पसंख्यक वर्ग के हाथ में ही है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्य सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि हिन्दू और सिक्ख लोग पश्चिमी पाकिस्तान में जो सम्पत्ति और नकदी छोड़ आये उसका कुल मूल्य क्या है और भारत में जो इस प्रकार की सम्पत्ति आदि है उसका मूल्य कितना है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : हमने उनके क्लेम नहीं मांगे हैं, इसलिये यह मालूम नहीं है। मैं इतना कह सकता हूं कि हिन्दू और सिख लोग पाकिस्तान में जो न्यास सम्पतियां छोड़ कर आये हैं वे बहुत ज्यादा हैं। भारत में हमने इस सम्पत्ति को निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित नहीं किया है। वास्तव में सभी राज्यों में, पंजाब के कुछ हिस्से को छोड़ कर, यह सम्पत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के सुपुर्द कर दी गई है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : प्रव्रजन के फलस्वरूप इन न्यासों को जो अचल सम्पत्ति और नकदी की हानि पहुंची है क्या उसे पूरा करने के लिये भारत सरकार कोई योजना बनाई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** अचल सम्पत्ति के मुकाबले में नकदी का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हिन्दू और सिख संस्थाओं को पाकिस्तान में सम्पत्ति रह जाने से जो हानि पहुंची उसे किसी हद तक पूरा करने के लिये उन संस्थाओं को कुछ सहायता दी गई है जिससे कि वे पुनः कार्य आरम्भ कर सकें। मेरे विचार से हम सहायता के रूप में २ करोड़ रुपये से अधिक अनुदान दे चुके हैं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** न्यास सम्पत्ति के बारे में पाकिस्तान का सहयोग न होने के कारण क्या भारत सरकार पाकिस्तान में रह गई हिन्दू और सिखों के न्यासों की सम्पत्ति का मूल्य निर्धारित करना चाहती है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। पाकिस्तान में अब भी कुल अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। पश्चिमी पंजाब, सीमा प्रांत और बलोचिस्तान से हिन्दू लोगों को बिलकुल निकाल दिया गया था परन्तु सिंध में अब भी कुछ हिन्दू और सिख हैं। पाकिस्तान सरकार वहां रहने वाले लोगों और उनकी संस्थाओं की सहायता करने के लिये तैयार है परन्तु उनकी सहायता नहीं करना चाहते जो निष्क्रमण करके भारत आ गये हैं। हमने अनौपचारिक रूप से बातचीत की थी। यह बातचीत औपचारिक ढंग से नहीं हुई थी।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** माननीय मंत्री ने कहा कि इन न्यासों को लगभग २ करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। न्यासों ने प्रतिकर अथवा अनुदानों के तौर पर कितनी राशि मांगी थी ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** वास्तव में जो राशियां मांगी गई थीं वे बहुत अधिक थीं। उनकी सहायता के लिये हमने २ करोड़ रुपये से अधिक दिया है।

भारी विद्युत उपकरण परियोजना

+

†*१४३. { **श्री वि० च० शुक्ल :**
श्री हेडा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में बिजली का भारी सामान बनाने की परियोजना के लिये संयंत्र तथा मशीनरी के व्ययादेश (आर्डर) भेज दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो बिजली के भारी सामान की परियोजना की प्रथम प्रावस्था (फेज) के लिये भुगतान की सामान्य शर्तें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). परामर्शदाताओं के साथ बातचीत हो चुकी है और वे मशीनरी के लिये टेंडर तैयार कर रहे हैं। भुगतान की शर्तों और सामान भेजने के बारे में माल सप्लाई करने वालों से बातचीत की जा रही है।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** क्या परियोजना की लागत के प्राक्कलनों का पुनरीक्षण करना आवश्यक था ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इसे पुनः प्रावस्थाबद्ध किया गया है। प्रथम प्रावस्था में हम 'ट्रान्सफार्मरों', 'कंटरोल गीयरों' और 'कैपेसिटेटरों' आदि का निर्माण आरम्भ करेंगे।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या परियोजना पर होने वाली लागत को बढ़ा दिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** प्रथम प्रावस्था पर लगभग ९-१० करोड़ रुपये लागत आयेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†श्री वि० च० शुक्ल : सरकार को इस परियोजना के कब तक पूरे हो जाने की आशा है ?

†श्री मनुभाई शाह : प्रथम प्रावस्था का उत्पादन लगभग १९६०-६१ में आरम्भ होगा। द्वितीय प्रावस्था तृतीय योजना में आरम्भ होगी और शायद तृतीय योजना की समाप्ति तक पूरी हो जायेगी और उस पर लगभग ४५ करोड़ रुपये लागत आयेगी।

†श्री तिरुमल राव : माननीय मंत्री ने प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर सामान्य रूप से दिया था क्या वे उसके बारे में और ब्योरा बता सकते हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : मैंने कहा था कि शर्तों के बारे में बातचीत चल रही है उन पर अन्तिम निर्णय होने के बाद जब हम उन्हें स्वीकार कर लेंगे तभी और ब्यौरा दिया जा सकता है।

†श्री हेडा : उन्होंने कहा कि शर्तों के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा क्योंकि अन्यथा मशीनों का आयात नहीं हो सकता।

†श्री मनुभाई शाह : टैक्नीकल प्रशिक्षण तो पूरा हो चुका है। ९० लाख रुपये का सामान भेजने के लिये कह दिया गया है। इस वर्ष के मध्य में हम प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ करना चाहते हैं। प्रथम प्रावस्था के बारे में परामर्श प्राप्त हो चुका है और हम विभिन्न देशों से, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है, टैंडर मांग रहे हैं। इन टैंडरों के प्राप्त होने पर हम व्ययादेश देने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लेंगे।

†श्री वि० च० शुक्ल : इस परियोजना के लिये भुगतान की शर्तों के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक होने की आशा है ?

†श्री मनुभाई शाह : निश्चित रूप से समय बताना कठिन है। कठिनाई यह होती है कि बाद में भुगतान करने की शर्त सरलता से स्वीकार नहीं की जाती। परन्तु आशा है कि, जैसा कि हमारा विचार है, प्रथम प्रावस्था द्वितीय योजना की समाप्ति तक पूरी हो जायेगी।

जहाजों के डीज़ल इंजन

†*१४४. श्री हेडा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जहाजों के डीज़ल इंजन का कारखाना स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां तो क्या वह सरकारी क्षेत्र में होगा या गैर-सरकारी क्षेत्र में; और

(ग) इस पर कितनी लागत का अनुमान है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). जी, हां, सरकारी क्षेत्र में।

(ग) इस का अध्ययन किया जा रहा है।

†श्री हेडा : क्या सरकार १००–२०० टन की क्षमता वाले छोटे जहाजों को इसी दौरान में डीज़ल इंजनों का आयात करने की स्वीकृति दे रही है जिससे कि वे अपनी क्षमता और रफ्तार को बढ़ा सकें ?

†श्री मनुभाई शाह : सरकारी क्षेत्र में यह कारखाना केवल १०००–२००० बी एच पी के डीज़ल इंजनों के निर्माण के लिये है। माननीय सदस्य का अभिप्राय शायद छोटे जहाजों के लिये १५–३० बी एच पी के इंजनों से है। उनका आयात करने की स्वीकृति दी जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री रघुनाथ सिंह : यह बहुत अच्छी बात है कि यहां पर इंजन तैयार हो रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यहां पर इसका सरवे हुआ है या नहीं कि हिन्दुस्तान में कितने इंजनों की आवश्यकता होगी। जो कारखाना खोला जा रहा है, क्या उसमें फ़ारेन कैपिटल का शेयर होगा—क्या किसी फ़ारेन कम्पनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट होगा ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक पहले हिस्से का सवाल है, थर्ड प्लैन के एन्ड में जो कैपेसिटी एस्टीमेट की गई है, वह साठ हजार से सत्तर हजार हार्स-पावर सालाना है और जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि कितना फ़ारेन कैपिटल होगा, वह तो जब सारे टेंडर्ज आयेंगे और जो टर्म्ज तय की जायेंगी, उस पर मुनहस्सिर है, लेकिन एज़ ए जेनरल पालिसी, जहां तक हो सके वहां तक हम क्रेडिट लेते हैं और इतने बड़े प्राजेक्ट्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं लेते हैं।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** अभी कौन सी फर्म्स से बातचीत हुई है इस सम्बन्ध में ?

†**श्री मनुभाई शाह :** सात फर्म्स से बातचीत हो गई है।

†**श्री वें० प० नायर :** माननीय मंत्री ने कहा कि यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में होगा। क्या इस बारे में कोई निर्णय हुआ है कि यह कारखाना किस स्थान पर खोला जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** अभी प्रयोगात्मक रूप से विशाखापटनम में खोलने का निश्चय किया गया है।

रेशम के कीड़े पालना

†*१४५. **श्री रघनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में रेशम के कीड़े पालने के उद्योग के विकास के लिये हाल ही में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है। [**दखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७५]

श्री रघुनाथ सिंह : इस स्टेटमेंट को देखने से यह जाहिर होता है कि सिल्क के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत दिनों से लगी हुई है कम-से-कम ८, १० साल से लगी हुई होगी लेकिन अभी तक उसमें कोई उन्नति नहीं हुई है और इसी बीच में पाकिस्तान हिन्दुस्तान की सिल्क का जो फारेन मार्केट है उसको कैप्चर कर रहा है, ऐसी अवस्था में क्या सरकार कोई ऐसा स्टेप लेने जा रही है ताकि हमारे हिन्दुस्तान की सिल्क इंडस्ट्री बढ़े।

श्री कानूनगो : मैं यह मानता हूं कि हमारा व्यापार घट गया है यह तो करीब पांच साल से हमारा जो अन्दरूनी कारोबार चल रहा है खास कर सिल्क का जो बाजार भाव है वह स्टेडी रहा है। सिल्क का एक्सपोर्ट मार्केट भी हमारा बड़ा अच्छा रहा है।

श्री रघुनाथ सिंह : बनारस का रहने वाला होने की हैसियत से मैं यह बताना चहता हूं कि बनारसी माल का जहां तक ताल्लुक है, वहां पर कम से कम २० हजार हैंडलूम्स् होंगे। आज २० हजार हैंडलूम्स् में से ८ हजार हैंडलूम्स् इस वजह से बन्द हैं कि ईराक, अफगानिस्तान और अरब में जो हमारा सामान यहां से जाता था पाकिस्तान के कारण वह बन्द हो गया है।

†**श्री कानूनगो :** वह व्यापार बन्द नहीं हुआ है और काफी इम्पोर्टेड सिल्क हम मंगा सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : क्या यह सच है कि कृत्रिम रेशम और रेयन के अबाध्य आयात के कारण रेशम के कीड़े पालने के उद्योग को बहुत हानि पहुंच रही है और इस उद्योग के विकास के हित में सरकार इनके आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : पहली बात तो यह है कि कृत्रिम रेशम का आयात अबाध्य रूप से नहीं होता और दूसरे यह कि कृत्रिम रेशम और अच्छे रेशम की मांगों का परस्पर कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। इनमें यदि प्रतिस्पर्धा है भी तो वह बहुत ज्यादा नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण से स्पष्ट पता चलता है कि शहतूत, सहकारी संस्थाओं और रेशम के कीड़े पालने सम्बन्धी गवेषणा और शिक्षा के सुधार के लिये कई योजनायें बनाई गई हैं। सरकार ने आसाम में, जहां शहतूत के कीड़े का रेशम का घर है, इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री कानूनगो** : शहतूत के कीड़ों का रेशम घर काश्मीर और मैसूर है न कि आसाम ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह छोटा घर है ।

†**श्री दासप्पा** : विवरण में बताया गया है कि कच्चे रेशम के आयात का केन्द्रीयकरण किया गया है। कच्चे रेशम के आयात मूल्य और उपभोक्ताओं को जिस मूल्य पर इसे बेचा जाता है कितना अन्तर है ?

†**श्री कानूनगो** : इस समय मेरे पास ठीक-ठीक जानकारी नहीं है परन्तु तथ्य यह है कि गत पांच वर्ष से रेशम के मूल्यों में अधिक कमी-बेशी नहीं हुई है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : जब हम सभी प्रकार के आयात पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं तो फिर कृत्रिम रेशम का आयात क्यों किया जाता है ? इस से रेशम के उद्योग को किसी प्रकार सहायता नहीं मिल सकती ।

†**श्री कानूनगो** : कृत्रिम रेशम की वस्तुओं की मांग निर्यात के लिये काफी है ।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट लिमिटेड)

+

†*१४६. { **श्री मरारका**
श्री नथवानी

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस प्रकार के विवाद के कारण भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने २५ लाख रुपए विक्रय कर की अदायगी नहीं की है;

(ख) क्या निगम ने अपने ग्राहकों से यह राशि एकत्र की है या नहीं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या उत्पादकों और राज्य व्यापार निगम के बीच होने वाले सौदों पर विक्रय कर लग सकता है या नहीं ।

(ख) निगम ने विक्रय कर अलग एकत्र नहीं किया है ?

†**श्री मुरारका** : यदि बाद में यह निर्णय हो जाये कि विक्रय कर लगेगा तो क्या बाद में ग्राहकों से इसकी वसूली की जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, नहीं । माननीय सदस्य का व्यापार से काफी सम्बन्ध है और वह जानते ही होंगे कि किसी से विक्रय कर गत समय से वसूल नहीं किया जा सकता । हमने यह किया है,

†मूल अंग्रजी में ।

जैसे कि वार्षिक सन्तुलन पत्र में भी बताया गया है, कि २५ लाख रुपये की एक राशि केन्द्र, राज्य अथवा स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाये जाने वाले किसी कर के कारण होने वाले आकस्मिक खर्च के लिये रक्षित रख दी है ।

गन्धक

†*१४७. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड पायराइट्स से गन्धक बनाने की जिस परियोजना पर विचार कर रहा था उसके बारे में सरकार ने क्या निश्चय किया है;

(ख) क्या सरकार के पास वाइनाद (मालावार) क्षेत्र में पायराइट्स के निक्षेपों का ब्योरा है; और

(ग) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह :** (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग). भारतीय खान कार्यालय ने पता लगाया है कि वाइनाद के निक्षेपों में सोने की धारियों वाले चमकीले पत्थर पाये जाते हैं जिनमें गन्धक की मात्रा बहुत कम है ।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या सरकार को विदित है कि भूतत्वीय सर्वेक्षण के प्रतिवेदन में, जिसे डा० एम० एस० कृष्णन् ने तैयार किया, यह कहा गया था कि दक्षिण में केवल वाइनाद निक्षेपों से ही पायराइट्स प्राप्त हो सकता है जिस से गन्धक बनाई जा सकती है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** वह तो एक विशेषज्ञ की राय है परन्तु व्यवहारिक दृष्टि से देखने पर पता चला है कि उन से गन्धक का उत्पादन करना अलाभप्रद होगा ।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या सरकार को विदित है कि उसी प्रतिवेदन में डा० कृष्णन् ने यह कहा कि उन निक्षेपों में से सोना निकाला जा सकता है और पायराइट्स उपोत्पाद के रूप में प्राप्त हो जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हां, श्रीमान् । मैंने बताया कि जहां तक सोने के निक्षेपों से गन्धक का सम्बन्ध है वाइनाद निक्षेपों से अलाभप्रद साबित होंगे । लोहे के पायराइट्स के अन्य निक्षेप भी हैं जहां ३० प्रतिशत गन्धक मिलती है और सरकार वहां गन्धक निकालने के बारे में विचार कर रही है ।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या सरकार ने विशेषज्ञ के प्रतिवेदन को देखते हुए वाइनाद में सोने के साथ पायराइट्स निक्षेपों का ठीक तरीके से अध्ययन किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** वाइनाद का अध्ययन निरन्तर हो रहा है और प्रयोगात्मक रूप से छिद्र किये जा रहे हैं । देश में अमजोर निक्षेपों के समेत पांच अन्य क्षेत्र हैं जहां लाभप्रद ढंग से गन्धक प्राप्त होने की सम्भावना है ।

निर्यात जोखिम बीमा निगम (प्राइवट) लिमिटेड

†*१४८. { **श्री त्रि० क० चौधरी :** (+)
श्री रा० स० तिवारी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से निर्यात जोखिम बीमा निगम (प्राइवेट) लिमिटेड की स्थापना हुई तब से उसने कितने बीमा पत्र जारी किये;

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) निगम ने जो बीमा पत्र जारी किये उनमें किन-किन देशों को किये गए निर्यात की जिम्मेदारी ली गई;

(ग) इन बीमा पत्रों में किस-किस प्रकार के निर्यात शामिल थे; और

(घ) अधिमूल्यों की दरें क्या थीं और यदि इन में कोई अन्तर था उसके क्या कारण थे ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) २५ जनवरी, १९५८ तक ४९ बीमा पत्र जारी किये गये थे । कुल राशि. . . . २,०२,६०,००० रुपये ।

(ख) और (ग). यह जानकारी देना लोक हित में नहीं है ।

(घ) प्रस्ताव करने वालों के अतिरिक्त अन्य लोगों को दरें बताना लोक हित में नहीं होगा । निगम द्वारा प्राप्त किये जाने वाले अधिमूल्यों की दरें निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती हैं यदि इनमें से किसी एक में कोई परिवर्तन हो जाये तो दर बदल जाती है :—

(१) जोखिम किस प्रकार का है और उसके क्या कारण हैं;

(२) माल किन मंडियों को भेजा जा रहा है;

(३) माल किस प्रकार का है;

(४) कितने समय के लिये जोखिम की जिम्मेदारी लेनी होगी;

(५) निर्यात करने वाले का अनुभव कितना है और बीमे के लिये जिस जोखिम का प्रस्ताव किया गया है उसे किस प्रकार बांटा गया है; और

(६) प्रबन्ध पर होने वाला खर्च ।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** : सरकार को इस बात का किस हद तक सन्तोष है कि जोखिम का बीमा करने का यह कारबार सफल रहा है और निर्यात व्यापार को बढ़ाने में सहायता मिली है ?

†**श्री कानूनगो** : अभी यह निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि निगम को कार्य आरम्भ किये अभी तीन मास ही हुए हैं ।

†**श्री रंगा** : प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा कि यह जानकारी देना लोक हित में नहीं होगा । क्या यह जानकारी उन निर्यात करने वाले व्यापारियों को दी जा सकेगी जो बीमा कराना चाहते हों ?

†**श्री कानूनगो** : साधारण प्रक्रिया यह है कि केवल प्रस्ताव करने वाले व्यापारियों को इस शर्त पर दरें बताई जाती हैं कि वे अपने बैंकरों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को नहीं बतायेंगे ।

मध्य प्रदेश में सीमेंट का कारखाना

***१४९. श्री रा० स० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक सीमेंट का कारखाना खोलने का प्रस्ताव है और क्या इसका निर्माण आरम्भ हो गया है;

(ख) इस कारखाने को बनाने में कितना खर्च आयेगा;

(ग) इस कारखाने में प्रति वर्ष कितने टन सीमेंट का उत्पादन होने का अनुमान है; और

(घ) सीमेंट का उत्पादन कब से आरम्भ हो जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि कारखाना गैर सरकारी क्षेत्र में होगा इसलिए सरकार के पास इसकी ठीक-ठीक जानकारी नहीं है । लेकिन इस आकार के सीमेंट कारखानों पर औसतन ३ से ४ करोड़ रुपए तक पूंजी लगेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) ३३०,००० टन प्रति वर्ष ।

(घ) मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार जून १६५८ से ।

श्री रा० स० तिवारी : क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि यह फैक्टरी प्राइवेट है या गवर्नमेंट द्वारा चलाई जायेगी ?

श्री मनुभाई शाह : मैंने बताया कि प्राइवेट सैक्टर में लग रही है ।

श्री रा० स० तिवारी : सीमेंट बनाने का काम कब से चालू हो जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : जून १६५८ से शुरू हो जायगा ऐसा फिलहाल मालूम देता है ।

श्री जांगड़े : अभी पत्र में प्रकाशित हुआ है कि भारतवर्ष में २८ सीमेंट के कारखाने खुलने वाले हैं । मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में उनमें से कितने कारखाने कहां-कहां खुलने वाले हैं ?

श्री मनुभाई शाह : मध्य प्रदेश में कम से कम ४ कारखाने खुलने वाले हैं और उनकी अलग-अलग जगहें हैं । २८ सारे देश के लिए हैं । अगर मेम्बरान को और उसके बारे में जानने की जरूरत हो तो मैं सह सब तफसील रख दूंगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस सीमेंट फैक्टरी के इस्टैब्लिशमेंट के सिलसिले में क्या-क्या असिस्टेंस और कोआपरेशन दे रही है ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक जनरल असिस्टेंस का ताल्लुक है यह बहुत हाई प्राएरिटी की इंडस्ट्री है इसलिए इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन उनको लोन देती है । जहां तक इम्पोर्ट और लाइसेंसेज का ताल्लुक है, उनके डेफर्ड पेमेंन्ट के लिए प्राएरिटी दी जाती है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इस पार्टिकुलर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए क्या फसला किया है और इस इंडस्ट्री को क्या कोई खास इमदाद दी जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : इस पार्टिकुलर सीमेंट इंडस्ट्री को कोई खास इमदाद नहीं दी जा रही है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

बोकारो तापीय बिजली घर में हड़ताल

+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १.** {
श्री त्रि० कु० चौधरी :
श्री पाणिग्रही :
श्री बीरेन राय :
श्री स० च० सामन्त :
श्री नौशीर भरूचा :
श्री बिमल घोष :
श्री सुबिमन घोष :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री त० ब० विट्ठलराव :
श्री प्रभात कार :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री नाथ पाई :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो तापीय बिजली घर में श्रमिकों और टैक्नीकल कर्मचारियों ने १२ जनवरी, १६५८ से हड़ताल कर रखी है और वे अब भी उसे ज़ारी रख रहे हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) हड़ताल करने वाले श्रमिकों और टैक्नीकल कर्मचारियों की मांगें क्या हैं;

(ग) दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों ने श्रमिकों के दृष्टिकोण को समझने और हड़ताल को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की थीं;

(घ) बिजली घर का काम ऐसी हालत में कैसे चल रहा है जबकि अधिकतर श्रमिक तथा टैक्नीकल कर्मचारी काम पर नहीं आते; और

(ङ) क्या इस हड़ताल का शीघ्र निबटारा हो जाने की कोई सम्भावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) मांगों की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७६**]

(ग) निगम ने श्रमिक की उचित शिकायतों को दूर करने और आपसी समझौता करने के विचार से कर्मचारी संगठन से उनकी मांगों पर तीन दिन तक चर्चा की जिसमें उसने यह बताया कि वे मांगें कहां तक पूरी की जा सकती हैं और यह आश्वासन भी दिया कि और मांगों पर बाद में विचार किया जायेगा । दी गई रियायतों को स्वीकार करने के बजाय कर्मचारी संगठन ने निगम को २८ दिसम्बर, १९५७ को हड़ताल का नोटिस दे दिया जिसमें लिखा था कि यदि उनकी मांगें स्वीकार न की गईं तो बोकारो तापीय बिजली घर के कर्मचारी १२ जनवरी, १९५८ से हड़ताल कर देंगे ।

(घ) बिजली घर उन कर्मचारियों और देखरेख करने वाले कर्मचारियों की सहायता से चल रहा है जिन्होंने हड़ताल नहीं की है ।

(ङ) आशा है कि कर्मचारी संगठन शीघ्र ही अपने निश्चय पर पुनर्विचार करके हड़ताल को समाप्त कर देगा ।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** : हड़ताल से ठीक पहले बोकारो के तायीय बिजली घर में कितने प्रविधिक और कितने अ-प्रविधिक कर्मचारियों को काम पर रखा गया था और प्रत्येक श्रेणी के कितने कितने कर्मचारियों ने हड़ताल की ?

†**श्री स० का० पाटिल** : दामोदर घाटी निगम में बोकारो के तापीय बिजली घर में कुल मिलाकर ९०० श्रमिक हैं । जो लोग हड़ताल पर हैं उनकी संख्या लगभक ४८० के आस-पास है ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या यह सच है कि इस हड़ताल के फलस्वरूप लगभग ९ श्रमिकों को बर्खास्त और २३ को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे, क्या पिछले तीन दिनों में मजदूरों ने आपसी समझौता करने का प्रयास किया था और उनके प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया था क्योंकि सरकार का यह कहना था कि इससे पूर्व किसी बात पर विचार किया जा सके, उनको पहले बिना शर्त आत्म-समर्पण कर देना चाहिए ।

†**श्री स० का० पाटिल** : माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है वह सही नहीं प्रतीत होती । जहां तक मुझे मालूम है, सात व्यक्तियों को बर्खास्त किया गया है—इनमें से पांच व्यक्ति तो निगम द्वारा बर्खास्त किये गये हैं और दो को उसके अधीनस्थ कर्मचारियों ने बर्खास्त किया है । पांच मामले विचाराधीन हैं । निगम ने लगभग एक दर्जन व्यक्तियों के विरुद्ध यह कारण बताने के नोटिस निकाले हैं कि उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही क्यों न की जाये ।

जहां तक प्रश्न के अन्तिम भाग का सम्बन्ध है, यह हड़ताल अवैध घोषित की जा चुकी है इसलिए जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता तब तक किसी समझौतावार्ता का तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दामोदर घाटी निगम स्टाफ एसोसियेशन ने जो मांगें कीं थीं उनमें से कइयों को, अर्थात् कुछ भत्तों और मुफ्त मकान सम्बन्धी मांगों को जो दी जा चुकी हैं, वापस ले लिया गया है, क्या वार्त्ता के दौरान में मंत्री ने कहा था कि सरकार समझौता करने को तैयार है और सरकार ने समझौते के लिये क्या शर्त्तें पेश की थीं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह एक बड़ा प्रश्न है। बात यह है कि बोकारो के बिजली घर में दो यूनियन हैं। पहिली यूनियन ने हड़ताल करने की धमकी देकर कुछ मांगें पेश की। सरकार ने समझौता कराने वालों को नियुक्त किया, जिन्होंने लगभग एक महीने बाद अपना फैसला सुना दिया।

दूसरी यूनियन ने भी कुछ मांगें पेश कीं लेकिन उनकी मांगों में से कुछ ऐसी थीं जो पहले नियुक्त किये गये समझौता कराने वालों के निर्देश-पदों में शामिल की जा चुकी थीं और जिन पर निर्णय किया जा चुका था, और इसी लिये स्वाभाविक था कि उसके बाद स्टाफ एसोसियेशन से जो बातचीत की गयी वह उन मांगों के सम्बन्ध में थी जो इन समझौता कराने वालों के निर्देश पदों में नहीं आतीं थीं। अभी इन मांगों पर चर्चा हो ही रही थी कि उन्होंने हड़ताल का नोटिस देकर हड़ताल कर दी।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** : मंत्री महोदय द्वारा अभी हाल कही गयी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जब तक हड़ताल चलती रहेगी तब तक सरार दामोदर घाटी निगम स्टाफ एसोसियेशन के साथ कोई समझौता-वार्ता करने के लिये तैयार नहीं है, क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि यदि हड़ताल वापस ले ली जाये तो वह एसोसियेशन या दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों के साथ बैठ कर खुले दिमाग से उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करने के लिये तैयार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इससे पहले कि मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर दें, मैं यह जनाना चाहता हूं कि हम इस प्रश्न के इस या उस पक्ष की ओर लेकर बहस कर रहे हैं या प्रश्नकाल जानकारी हासिल करने के लिये होता है ?

श्री प्रभात कार : उठे---

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, हां, श्री प्रभात कार---

श्री प्रभात कार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह हड़ताल एक महीने से भी अधिक समय से चल रही है और इस बात के होते हुए भी कि इसे अवैध घोषित कर दिया गया है, क्या सरकार इस बात के लिये कोई कार्यवाही करेगी कि कुछ समझौता हो सके और बोकारो में साधारण ढंग से काम आरम्भ हो सके ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न की भी अनुमति नहीं देता। यह प्रश्न भी नहीं पूछा जाना चाहिये। सरकार सभी कार्यवाही करेगी।

†**श्री तंगामणि** : मांगों वाले विवरण में लगभग २० मांगें दी हुई हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ मांगें पिछले यूनियन ने पेश की थीं ? वह मांगें कौन सी हैं जिन पर समझौते की कार्यवाही आरम्भ की गयी थी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह एक लम्बा प्रश्न है। जैसा मैंने बताया है कुछ मांगें की गयीं थीं और उनके जवाब म कुछ और मांगें की गयीं। लेकिन, यदि सभा जानना ही चाहे तो, उनकी मुख्य मांग यह थी कि उन्हें मान्यता प्रदान की जानी चाहिये। यह काम इस प्रकार हड़ताल करके नहीं कराया

†मूल अंग्रजी में।

जा सकता। यदि हड़ताल वापस ले ली जाये तो इस पर विचार किये जाने की संभावना हो सकती है। हमारी ऐसी संविधियां और नियम हैं जिनके अधीन मान्यता प्रदान की जाती है। हड़ताल वापस ली जाने के बाद इन सभी कार्यों को जारी रखा जायेगा।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** : मांग यह नहीं थी।

†**श्री नाथ पाई** : सभा को यह बात गलत ढंग से बतायी जा रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। अब मैं अगली मद लेता हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नारियल-जटा गवेषणा संस्था

†*१५०. **श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय का कोई अभ्यावेदन किया गया है कि आंध्र प्रदेश में एक नारियल जटा गवेषणा संस्था की स्थापना की जाये; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां। अमलपुरम् के श्री कोण सीमा विकास बोर्ड ने एक अभ्यावेदन किया था।

(ख) अलेप्पि में एक नारियल जटा गवेषणा संस्था और कलकत्ते में एक शाखा संस्था की स्थापना की मंजूरी हाल ही में दी गयी है और कोण सीमा विकास बोर्ड को यह सूचना दे दी गयी है कि किसी अन्य स्थान पर इस संस्था की स्थापना करने के प्रश्न पर पहले ही मंजूर किये जा चुकी संस्थाओं की प्रगति देखने के बाद ही विचार किया जायेगा।

सीमेन्ट के छोटे कारखाने

†*१५१. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २१ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १०३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तब से ३०,००० से ५०,००० टन की वार्षिक उत्पादन-क्षमता वाले सीमेन्ट के छोटे-छोटे कारखानों की स्थापना करने के सुझाव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). राजस्थान में ६६,००० टन की वार्षिक उत्पादन-क्षमता वाले सीमेन्ट के कारखाने की स्थापना की योजना मंजूर हो चुकी है। और कारखानों की स्थापना करने के प्रश्न पर राज्य-सरकारों से राय ले कर विचार किया जा रहा है।

दत्तनगर (हिमाचल प्रदश) में रेशम का केन्द्र

*१५२. **श्री पद्म देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के महासु जिले में दत्तनगर में रेशम का केंद्र कब खोला गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) इस केन्द्र में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस क्षेत्र में अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) १९५५-५६ में ।

(ख) शहतूतों का एक पौधघर स्थापित किया गया है ।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा की मेज़ पर रख दी जाएगी ।

बनारसी कपड़े का उद्योग

*१५३. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारसी कपड़े के उद्योग के विकास के लिये क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार बनारसी कपड़े के निर्यातकर्त्ताओं को कोई विशेष सुविधायें प्रदान करने जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो वे सुविधायें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). उत्पादन बिक्री-व्यवस्था और निर्यात में सुधार करने के उद्देश्य से हथकरघा उद्योग को संगठित करने के लिये, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हथकरघा कपड़ा सहकारी सोसाइटी तथा राज्य सरकारों की मार्फत अनेक कदम उठाये गये हैं । ये कदम बनारसी कपड़े के उद्योग के लिये भी हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

निर्यात संवर्द्धन समिति

†*१५४. **श्री झूलन सिंह :**
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री वि० च० शुक्ल :
श्री झनझुनवाला :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्यात संवर्द्धन समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : निर्यात संवर्द्धन समिति का प्रतिवेदन काफी व्यापक है और उसमें दी गयी सिफारिशों में से कुछ तो ब्यौरे की बातों से और कुछ नीति से सम्बन्धित । क्योंकि कुछ सिफारिशों से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय भी सम्बन्धित हैं इसलिये यह निश्चय किया गया कि इस प्रतिवेदन पर उनके साथ मिल कर विचार किया जाये । इस समय यह विचार करने का काम काफी आगे बढ़ चुका है और आशा है कि शीघ्र ही एक औपचारिक संकल्प तैयार किया जा सकेगा । जिसमें यह संकेत रहेगा कि सरकार उसकी उपपत्तियों को किस सीमा तक स्वीकार कर उन पर कार्यवाही करेगी ।

श्रीलंका में भारतीय

*१५५. **श्री डामर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीलंका में रहने वाले कितने भारतीयों को श्रीलंका की सरकार ने अब तक नागरिकता के अधिकार दिए हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : नवम्बर, १९५७ के अन्त तक श्रीलंका में ८९,२१० भारतमूलक लोगों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की गई है ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

रगुपल्ली (कड़पा) में बैराइटीज की खान

†*१५६. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान अधिनियम के उपबन्धों का अतिक्रमण करने पर कड़पा के रगुपल्लि गांव की वैराइटीज़ की खान के मालिकों पर जो मुकदमा चलाया गया था वह इस समय किस स्थिति में है;

(ख) कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है; और

(ग) दुर्घटना में मारे गये श्रमिकों के आश्रितों को कुल कितना मुआवजा दिया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) मालिकों के खिलाफ चलाये गये मुकदमें चल रहे हैं ।

(ख) तीन

(ग) मालिक श्रमिक प्रतिकर अधिनियम के अनुसार मुआवजा देने को राजी हो गया है ।

प्रव्रजन प्रमाण-पत्र

†*१५७. **श्री विमल घोष :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रव्रजन प्रमाणपत्रों के लिये ढाका में उप-उच्चायुक्त के कार्यालय में इस समय कितनी अर्जियां लम्बित हैं;

(ख) इनमें से कितनी अर्जियां १९५६ के अक्तूबर के बाद से आयी हैं; और

(ग) यदि यह अर्जियां एक महीने से अधिक समय से लम्बित हों तो उसका क्या कारण है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) ३१ जनवरी, १९५८ को ४०,५९७ ।

(ख) ९,१३७ ।

(ग) लम्बित अर्जियों में से अधिकांश १ सितम्बर, १९५६ से पहले, अर्थात् प्रव्रजन प्रमाण-पत्र जारी करने की पुनरीक्षित प्रक्रिया लागू होने से पहले आयी थीं । पता चला है कि इन आवेदनकर्त्ताओं में से अधिकांश ने पुनरीक्षित प्रपत्र द्वारा दुबारा अर्जियां भेज दी थीं । सही स्थिति का पता सभी अर्जियों के कार्ड-इन्डैक्स बन जाने के बाद लगेगा ।

सितम्बर, १९५६ के बाद से प्राप्त हुई अर्जियों के निबटारे में देर होने का मुख्य कारण यह था कि या तो अर्जियों को पूरा या ठीक ढंग से भरा नहीं गया था या अभ्यर्थी-इंटर्व्यू के लिये नहीं आये थे, जिसके फलस्वरूप उनके साथ और भी पत्र व्यवहार करना पड़ा ।

उत्तरी मालाबार के सिगार श्रमिक

†*१५८. **श्री वासदेवन् नायर :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तरी मालाबार के सिगार श्रमिकों की दशा के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रजी में ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में केरल सरकार से पूछा गया था और उन्होंने बताया है कि उन्होंने सिगार-श्रमिकों की कठिनाइयों की जांच करने और श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने के बारे में बनाये जाने वाले कानून के स्वरूप और क्षेत्र तथा इस उद्योग को ठोस आधार पर संगठित करने के बारे में सुझाव देने के लिये एक त्रिदलीय समिति नियुक्त की है ।

चीनी मिट्टी के बर्तन का उद्योग

***१५९. श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ९ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिट्टी के बर्तन के उद्योग को न्यूनतम मजूरी अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित करने के प्रश्न के सम्बन्ध में इस बीच कोई निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं ।

(ख) दिल्ली शासन इस सवाल पर विचार कर रहा है । इस विषय पर दिल्ली लेबर सलाहकार बोर्ड की ३० जनवरी, १९५८ की बैठक में विचार होना था लेकिन यह अगली मीटिंग के लिये स्थगित किया गया ।

राष्ट्रीय औद्योगिक और विकास निगम

†***१६०. श्री झुनझुनवाला** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने अब तक कौन-कौन सी योजनाओं को अन्तिम रूप प्रदान किया है;

(ख) किन-किन देशों से सहयोग मांगा गया है; और

(ग) इस सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में अभी वार्ता चल रही है और उनमें से कुछ के बारे में प्रगति भी हुई है, लेकिन अभी एक भी योजना अंतिम रूप प्रदान किये जा सकने की स्थिति में नहीं पहुंची है ।

पंजाब में छोटे पैमाने के उत्पादन केन्द्र

†***१६१. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुधियाना (पंजाब) के छोटे पैमाने के उत्पादन केंद्र ने काम करना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं । विदेशी मुद्राओं की कमी के कारण हमें उत्पादन केंद्रों के कार्यक्रम को, जिसके लिये विदेशों से मशीनें मंगानी पड़ती हैं, धीमा करना पड़ा है ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

विदेशी मुद्राओं सम्बन्धी वर्त्तमान स्थिति के कारण सम्पूर्ण कार्यक्रम का पुनरीक्षण किया जा रहा है और अभी यह बताना कठिन है कि लुधियाना केंद्र की मंजूरी कब तक मिलेगी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कार्ड बोर्ड (गत्ता) का निर्माण

†*१६२. **श्री हेमराज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६९८ सम्बन्धी खाद्य तथा कृषि मंत्री के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों में बांस बहुतायत में और जंगली अवस्था में पैदा होते हैं वहां कार्ड बोर्ड (गत्ता) के निर्माण को लोकप्रिय करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** "कार्ड बोर्ड" (गत्ता) शब्द का अर्थ सामान्यता स्ट्रा और मिल बोर्ड्स से है । इन के निर्माण के लिये प्रायः बांस का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि उसका उत्पादन व्यय अलाभप्रद है । अतः कार्ड बोर्ड (गत्ता) बनाने के लिये बांस के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

हथकरघा उद्योग

†*१६३. **श्री स० वें० रामस्वामी :**
श्री तंगामणि :
श्री नंजप्प :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में हथकरघा कपड़े के जमा होने के लिये अवहार में कमी किस सीमा तक उत्तरदायी है;

(ख) क्या उत्पादन शुल्क में कमी का प्रभाव हथकरघे के कपड़े के अपक्रय पर पड़ा है, और यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस प्रतिवेदन की ओर आकृष्ट किया गया है कि मद्रास राज्य में २½ करोड़ के मूल्य का स्टाक जमा हो गया है और उद्योग में संकट उत्पन्न होने का भय है; और

(घ) इस संकट का सामना करने के लिये क्या कार्यवाहियां करने का प्रस्ताव है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) अवहार में कमी केवल १ दिसम्बर, १९५७ से की गई है और अभी यह नहीं कहा जा सकता कि क्या इसके परिणामस्वरूप स्टाक जमा हुआ है ।

(ख) दरम्यानी किस्म के कपड़े पर उत्पादन शुल्क में कमी किये जाने के बाद से हकथरघा कपड़े कपड़े के अपक्रय सम्बन्धी आंकड़े अभी प्राप्य नहीं हैं ।

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रैस के समाचार देखे हैं ।

(घ) यदि इस प्रकार का कोई संकट हुआ और यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करना आवश्यक हुआ तो मद्रास सरकार सम्भवतः इस बात का संकेत करेगी । तब भारत सरकार सोचेगी कि क्या कार्यवाही की जानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

नागा विद्रोही

†*१६४. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री गजन्द्र प्रसाद सिन्हा :
श्री वि० च० शुक्ल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हम बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पृथक् नागा तुएनसांग क्षेत्र के गठन के पश्चात् नागा विद्रोहियों को जिस सामान्य राजक्षमा का प्रस्ताव किया गया था उसका लाभ उठाते हुये कितने नागा विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया है;

(ख) सामान्य राजक्षमा की घोषणा किये जाने के बाद से कितने नागा बन्दियों को रिहा किया गया है;

(ग) उन्होंने हथियारों की कितनी मात्रा अर्ध्यर्पित की है; और

(घ) क्या राजक्षमा की अवधि बढ़ा दी गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) ९४ ।

(ख) २७७ ।

(ग) विभिन्न प्रकार के ९ हथियार तथा युद्धोपकरण की कुछ मात्रा ।

(घ) सर्वप्रथम राजक्षमा की अवधि ३१ अक्तूबर, १९५७ तक थी । इस समय-सीमा को अब हटा दिया गया है और अभी राजक्षमा की अवधि के परिसीमन के लिये कोई नई तिथि नियत नहीं की गई है ।

ट्रैक्टर

†*१६५. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :**
श्री स० म० बनर्जी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं; और

(ख) क्या इस परियोजना के लिये किसी विदेश ने सहकारिता का प्रस्ताव किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तथा (ख). कृषि सम्बन्धी ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये, १९५१ के उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के अधीन एक सार्थ को पहिले ही लाइसेंस दिया जा चुका है । विदेशी सार्थों के साथ मिलकर ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये कुछ और प्रार्थनापत्र सरकार के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

लंका के लिये भारतीय विशेषज्ञ

†*१६६. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका में एक विकास कार्यक्रम तैयार करने तथा जन सेवाओं के संगठन के लिये भारत सरकार ने लंका में विशेषज्ञों के दो दल भेजना स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो इन दलों की रचना क्या है;

(ग) क्या ये दल लंका के लिए रवाना हो चुके हैं; और

(घ) उन्हें जो कार्य सौंपा गया उसे पूरा करने में इन दोनों दलों को कितना समय लगेगा ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नेपाल में सड़कें

†*१६७. **श्री राधा रमण :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री त्रि० कु० चौधरी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री जगन्नाथ राव
श्री ले० अ०चौ० सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **प्रधान मंत्री** १४ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में नई सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में भारत, नेपाल तथा अमेरिका के बीच किसी त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किये गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो करार का ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) जी, हां ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें विस्तृत जानकारी दी गई है ।

[देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७७]

सीमावर्ती घटनायें

†*१६८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** ५ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, १९५७ में अगरतला में सीमावर्ती गांव जलालपुर में सशस्त्र व्यक्तियों के प्रवेश करने के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार के पास जो विरोध प्रकट किया गया था क्या उसका कोई उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर में क्या कहा गया है ?

---

†मूल अंग्रजी में ।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री क सभा-सचित्र (श्री सांदत अली खां)** : (क) २९ नवम्बर, १९५७ को विरोध पत्र मिलने का एक अन्तरिम उत्तर प्राप्त हुआ था।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बिहार में भारी मशीन निर्माण संयन्त्र

†*१६९. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में भारी मशीन निर्माण सन्यन्त्र के कब तक प्रतिष्ठापित होने की आशा है; और

(ख) इस सन्यन्त्र की लागत क्या होगी और रूस इसमें कितनी पूंजी विनियोजित करेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के सम्बन्ध में कार्य आरम्भ कर दिया गया है; रूस के मेसर्स टेकनोएक्सपोर्ट से १९५९ के मध्य में रिपोर्ट प्राप्त होने पर संयंत्र प्रतिष्ठापित करने के बारे में विस्तृत रूपरेखा पर विचार किया जायेगा।

(ख) लागत के बारे में प्राथमिक प्राक्कलन सोवियत विशेषज्ञों की पहली रिपोर्ट में दिये गये हैं। इसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में हैं। परियोजना में सोवियत रूस की पूंजी नहीं है, केवल दीर्घ कालीन ऋण की बातचीत की गई है।

कोयला खनन मशीनों और दर्शन यंत्रों के शीशों के लिये संयंत्र

†*१७०. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उड़ीसा में कोयला खनन मशीन संयन्त्र और दर्शन यंत्रों के शीशों तैयार करने वाले संयन्त्र की स्थापना के लिये उपयुक्त स्थान ढूंढ़ने की दृष्टि से रूसी विशेषज्ञों ने बिहार और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के समक्ष कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है; और

(ग) रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) से (ग). प्राथमिक रिपोर्ट तैयार करने के लिये आने वाले रूसी विशेषज्ञ दल ने दर्शन यंत्रों के शीशों के संयंत्र के बारे में उसकी स्थापना के लिये अनेक स्थानों पर विचार किया और आसनसोल क्षेत्र को सर्वाधिक उपयुक्त बताया। कोयला खनन मशीन संयन्त्र के बारे में सोवियत विशेषज्ञों के प्रथम दल ने सम्भाव्य स्थानों पर विचार नहीं किया किन्तु स्थान का चुनाव करते समय ध्यान में रखने योग्य बातों का ही उल्लेख किया। सोवियत विशेषज्ञ इस समय भारत में हैं और वे कोयला निकालने वाले क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों की उपयुक्तता पर विचार कर रहे हैं। दोनों मामलों में, निश्चित स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय सरकार ही करेगी।

प्लास्टिक उद्योग

†*१७१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्लास्टिक उद्योग मूल कच्ची सामग्री के रूप में काजू के तेल का प्रयोग कर रहा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये उसका कितनी मात्रा में उपभोग किया जाता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्लास्टिक उद्योग

†*१७२. **श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में तैयार प्लास्टिक की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया था;

(ख) प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त किया जाने वाला कौन-कौन सा कच्चा माल भारत में बनाया जाता है ; और

(ग) आयात किये जाने वाले कच्चे माल की वस्तुयें कौन सी हैं और कुल आयात की मात्रा कितनी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

(ख) और (ग). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७८]**

मध्य प्रदेश में कागज का कारखाना

†*१७३. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में कागज का एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यह कारखाना सरकार द्वारा बनाया जा रहा है अथवा किसी निजी व्यक्ति द्वारा;

(ग) इस कारखाने की कुल लागत क्या होगी और यह कब तक बन कर तैयार हो जायेगा; और

(घ) कारखाने में प्रति वर्ष कितने टन कागज के उत्पादन का अनुमान है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). चूंकि कागज के कारखाने के लिये बड़े पैमाने पर पानी की जरूरत होती है और यह फर्म कागज प्रायोजना के लिये सतना जिले में कोई स्थान नहीं पा सकी इसलिये उसे शाहदोल जिले में बुढ़ेर तथा अनूपपुर स्टेशनों के पास स्थान चुन लेने की इजाजत दे दी गई है ।

(ग) और (घ). लागत करीब ४ से ५ करोड़ रु० । इसकी क्षमता सभी प्रकार का ३०,००० टन कागज प्रति वर्ष बनाने की होगी ।

हल्दी

†*१७४. **श्री द० स० मिश्र**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उन देशों में व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भेजने का विचार कर रही है जहां भारतीय हल्दी का निर्यात किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ।

विदेशी व्यापार बोर्ड

†*१७५. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्यात का संवर्द्धन करने और विदेशी मुद्रा रक्षित करने के लिये अभी तक क्या-क्या विशेष उपाय किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : विदेशी व्यापार बोर्ड का मुख्य कार्य हमारे निर्यात संवर्द्धन उपायों के सम्बन्ध में नीति और कार्य की रूपरेखा की सिफारिशें निर्धारित करने के लिये समय-समय पर मीटिंग करना है । समय-समय पर हुई बैठकों में विदेश व्यापार बोर्ड द्वारा जिन महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा की गई है उन्हें बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७९]**

काफी पाउडर

†*१७६. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में काफी पाउडर के सम्भरण में कमी हुई है;

(ख) क्या प्रत्येक खरीदार को एक बार में केवल आधा पौंड काफी पाउडर मिलता है; और

(ग) यदि हां, तो अधिक सम्भरण के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) . नई दिल्ली में दिसम्बर, १९५७ में काफी की कुछ कमी अस्थायी रूप से पैदा हो गई थी ।

(ग) अब उपयुक्त मात्रा उपलब्ध है ।

उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति

*१७७. { **श्री सरजू पांडे** :
श्री वाजपेयी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश क पूर्वी जिलों में सूखे की स्थिति की जांच करने के लिये श्री एम० एस० शिवरामन की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने कौन-कौन से जिलों का दौरा किया ;

(ख) समिति ने इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिये यदि कोई सिफारिशें की हैं, तो वे क्या हैं;

(ग) उक्त समिति की रिपोर्ट के बारे में केन्द्रीय तथा उत्तर प्रदेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को कितनी वित्तीय सहायता देना चाहती है और यह सहायता कब तक मिलती रहेगी ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र) : (क) इस समिति ने गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ जिलों के कुछ भागों का दौरा किया ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) समिति ने जो प्रतिवेदन दिया है उसकी एक प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. ५४१/५८**] इस समिति का काम पूर्वी उत्तर प्रदेश के दीर्घकालीन आर्थिक विकास की समस्याओं का नहीं बल्कि हाल में जो अभाव की स्थिति से समस्यायें पैदा हो गई हैं, उनका अध्ययन करना था।

(ग) और (घ). उत्तर प्रदेश सरकार के विचार अभी प्राप्त नहीं हुये। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाभ के लिये पिछले महीनों में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई की छोटी योजनायें और लघु और ग्राम उद्योगों की योजनायें स्वीकृत करने के लिये कार्यवाही की जा चुकी है। १९५८–५९ की योजना में उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है।

रेयन के कारखानों में श्रमिक

†*१७८. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ११ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेयन के कारखानों में श्रमिकों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे बुरे प्रभाव का अध्ययन करने के लिये किये गये सर्वेक्षण का प्रतिवेदन उसके पश्चात् प्राप्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनका परीक्षण किया है; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) अभी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सीमा दुर्घटना

†*१७९. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री न० रा० मनिस्वामी :
श्री रघनाथ सिंह :
श्री जगन्नाथ राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान १२ जनवरी, १९५८ के 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' में छपे उस समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है जिसमें बताया गया था कि काश्मीर के भारतीय राजक्षेत्र के उस भाग में, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, फज्जा नामक गांव के लोगों और पाकिस्तानी सेना में मुठभेड़ होने के फलस्वरूप बहुत से लोग मारे गये तथा घायल हुये; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) जी, हां।

(ख) क्योंकि यह दुर्घटना उस क्षेत्र में हुई है जिस पर पाकिस्तानी सेना ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है इसलिये सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

नेपानगर में अखबारी कागज का कारखाना

†*१८०. **श्री झनझनवाला :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में नेपानगर में अखबारी कागज के कारखाने में कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उत्पादन लक्ष्य से कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उत्पादन की रफ्तार को बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है; और

(घ) क्या सरकार ने अखबारी कागज की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) १४६४५ टन ।

(ख) कारखानों ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है । कारखानों की उत्पादन क्षमता ३०,००० टन वार्षिक है ।

(ग) कारखाने में कुछ पुनः समायोजन करने और कुछ हद तक विद्युत शक्ति का संभरण रुक जाने के कारण ।

इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(घ) अभी नहीं ।

वातानुकूलन उपकरण तथा उनके पुर्जे

†*१८१. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में भारत में जो वातानुकूलन उपकरण तथा इसके अन्य पुर्जों आदि का जो आयात किया गया उसका मूल्य कितना था; और

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि उनका आयात करने वालों को कुल कितना मुनाफा हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८०]**

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

सिलाई की मशीनें

†*१८२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में बनाई जाने वाली सिलाई की मशीनों में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** इस समय देश में जो सिलाई की मशीनें उल्लेखनीय संख्या में बनती हैं वे घरों में ही इस्तेमाल होने वाली हैं । प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (१९५४) में कहा गया है कि देश में जो सिलाई की मशीनें बनाई जाती हैं वे सन्तोषजनक हैं । संगठित (बड़े पैमाने पर) क्षेत्र में बनाई जाने वाली सिलाई की मशीनों में सुधार करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :

(१) नवीनतम प्रकार के मशीनी औजारों का प्रयोग करके उत्पादन के बेहतर तरीके अपनाना ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(२) मशीनों की गुण-प्रकार को देखने वाला एक विभाग स्थापित करना और प्रयोगशाला आदि की स्थापना करना ।

छोटे पैमाने के क्षेत्र में कारखानों को लघु उद्योग सेवा संस्था टैकनीकल मंत्रणा दे रही है । जिन पुर्जों का उत्पादन देश में सन्तोषजन नहीं है उनका आयात करने की स्वीकृति दी जाती है । पंजाब सरकार ने भी गुण-प्रकार को देखने वाला एक विभाग स्थापित करने की योजना बनाई है ।

विदेशों में भारतीय

†२०२. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में, देशवार, कुल कितने भारतीय हैं;

(ख) कुल कितने भारतीय विदेशों में स्थायी तौर से बस गये हैं ; और

(ग) वे किन-किन देशों में बसे हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (ग). विदेशों में रहन वाले भारतीयों की ठीक ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है परन्तु नीचे दी गई तालिका में उन देशों के नाम और भारतीय लोगों की संख्या बताई गई है जहां वे २००० से अधिक हैं ।

देश का नाम	भारतीय उद्गम के लोगों की संख्या
	राष्ट्र मंडल के देश
अदन (१९५५)	१६,८१७
आस्ट्रेलिया (१९४७)	२,५००
ब्रिटिश होडुरास (१९५४)	२,०००
ब्रिटिश गीयाना (१९५४)	२,१०,०००
ब्रिटिश नार्थ बोरनियो (१९५४)	२,०००
कनाडा (१९५५)	३,७५०
लंका (१९५४) (क)	९,६९,७२६
फिजी द्वीप (१९५५)	१,६०,३०३
ग्रेनाडा	६,०००
हांग कांग (१९५५) (क)	२,०००
जमीका (१९५४)	२६,०००
केन्या (१९५४)	१,२७,०००
मलाया (१९५५) (ख)	७,२०,०१३
मौरिशस (१९५५) (घ)	३,७५,९१८
न्यूजीलैंड (१९५२)	१,२००
न्यासालैंड (क) (१९५४)	६,०००
रोडेशिया (उत्तरी) (क)	३,५००
रोडेशिया (दक्षिणी) (क)	४,७००
साखक (१९५४)	२,२०१
सिंगापुर (ख) (१९५४)	९१,०२९
दक्षिण अफ़्रीका (१९५१)	३,६५,५२४

†मूल अंग्रेजी में ।

देश का नाम	भारतीय उद्गम के लोगों की संख्या
सेंट लूसिया (१९५४)	३,०००
सेंट विन्सेंट (१९५४)	२,०००
तन्गन्यैका (१९५४)	६८,०००
त्रिनिदाद	२,६७,०००
यूगैण्डा (१९५४)	५०,०००
संयुक्त राष्ट्र (ग)	—
जंजीबार और पम्बा (१९४८)	१५,८१२
बेहरीन (१९५४)	३,०००
बेल्जियन कोंगो (१९५०)	१,२२७
बर्मा (घ)	६–७ लाख
डच गयाना (१९५५)	७०,०००
इथोपिया (ङ) (१९५४–५५)	१,६४५
हिन्द-चीन (१९५०)	२,३००
इन्डोनेशिया (१९५२)	४०,०००
इटालियन सोमालीलैंड (१९४७)	१,०००
कुवैत (१९५४)	२,५००
मदगस्कर (१९५६)	१४,०००
मस्कत (१९४७)	१,१४५
नेपाल (१९४१)	१०,४४१
फिलिपीन (१९५४)	१,२९५
पुर्तगाली पूर्व अफ़्रीका	१२,६००
रियूनियन (१९५५) (क)	२,५००
रुऐंडा डरैंडी (१९५०)	१,९६३
सऊदी अरब (१९५६)	५,०००
सूडान (१९५६)	२,०००
थाइलैंड (ख) (१९५५)	११,२३५
अमरीका (१९५५)	५,०६३

(क) लगभग ।

(ख) पाकिस्तानी भी सम्मिलित हैं ।

(ग) अन्तिम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) अनुमानित ।

(ङ) एरिट्रिया भी सम्मिलित है ।

कुछ भारतीय विदेशों में स्थायी रूप से बस गये हैं । इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है और इसके इकट्ठा करने में पर्याप्त समय व श्रम लगेगा क्योंकि हमें अपने दूतावासों से यह जानकारी प्राप्त करने के लिये कहना पड़ेगा । कुछ देशों में भारतीय दूतावास नहीं हैं और जहां पर दूतावास हैं वहां पर

भी उनके लिये अपने आप मनुष्य गणना करना सम्भव नहीं है। इकट्ठी की गयी जानकारी भी बिल्कुल विश्वसनीय नहीं हो सकती। अतः इन कठिनाइयों के देखते हुये जानकारी इकट्ठी करने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

प्रविधिक कर्मचारियों की कमी

†२०३. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल प्रविधिक कर्मचारियों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां।

(ख) आजकल इस कमी की ठीक हद मालूम नहीं है। हाल ही के प्राक्कलनों के अनुसार दूसरे पंचवर्षीय योजना में लगभग ६·५ लाख प्रविधिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी।

दूसरी पंचवर्षीय योजना

†२०४. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष १९५८-५९ में कितनी परियोजनायें पूरी हो जायेंगी; और

(ख) प्रत्येक पर कुल कितना खर्चा होगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : (क) तथा (ख). केन्द्रीय मंत्रालय व राज्य सरकारें वर्ष १९५८–५९ के लिये अपनी योजनाओं को अन्तिम रूप देने में लगी हुई हैं। मांगी गयी जानकारी उनकी विस्तृत योजनाओं के आने पर ही प्राप्त हो सकेगी। केन्द्रीय व राज्य आयव्ययकों के अनुमोदित होने के पश्चात् ही यह होगा।

आकाशवाणी के कलाकार

†२०५. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेडियो स्टेशनों में कितने वैतनिक कलाकार हैं; और

(ख) उनके मासिक मजूरी बिल कितने रुपये के हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) आकस्मिक कलाकारों की संख्या जिनको अक्सर मासिक वेतन दिया जाता है, १२४ हैं। यह संख्या अक्सर बदलती रहती है क्योंकि उनको कुछ समय के लिये ही कार्य करने को कहा जाता है।

(ख) सम्भवतः २०,००० रु० मासिक।

छोटे पैमाने के उद्योग

†२०६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के दो वर्षों में विभिन्न राज्यों में छोटे पैमाने के उद्योगों में वृद्धि करने करने के लिये प्रति वर्ष कितनी धन राशि दी गयी और उसमें से कितनी उपयोग हुई;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) इस कुल धनराशि में से केंद्र द्वारा कितनी सहायता दी गयी;

(ग) राजस्थान के विशिष्ट आंकड़े क्या हैं ; और

(घ) यदि कोई कमी हुई है, तो उसके क्या आंकड़े हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८१**]

बम्बई में चुने हुए उद्योग

२०७. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में पांच चुने हुये उद्योगों पर मजूरी बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) इस प्रभाव के अध्ययन का क्या परिणाम हुआ है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). लेबर ब्यूरो ने बम्बई के छः चुने हुये उद्योगों में वेतन बढ़ाने के परिणामों की जांच की थी । जांच की रिपोर्ट अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

श्रमिकों की स्थिति का सर्वेक्षण

२०८. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे लोहे की खदानों, पेट्रोलियम उद्योग, बन्दरगाहों और रेलों के बारे में श्रमिकों की स्थिति का जो विशेष सर्वेक्षण किया गया था, उससे क्या जानकारी प्राप्त हुई है; और

(ख) इस जानकारी का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) शायद माननीय सदस्य का मतलब कच्चे लोहे की खानों और पेट्रोलियम, आदि ऐसे उद्योगों की खास जांचों से है जिनमें ठेके के श्रम का प्रतिशत काफी ज्यादा है । यदि यह आशय है तो स्थिति इस प्रकार है कि हाल ही में कच्चे लोहे की खानों के श्रमिकों की दशा की क्षेत्रीय जांच की गई थी और प्राप्त आंकड़ों की तालिकायें बनाई जा रही है, जो जल्दी ही प्रकाशित की जायेंगी । इसी प्रकार की जांच अन्य उद्योगों में जल्दी ही शुरू की जायगी ।

(ख) रिपोर्टों के आने पर यह देखा जायगा कि सुधार सम्बन्धी क्या कार्रवाई की जानी चाहिये ।

श्रमिक उपभोक्ता मूल्य निर्देशक-तालिका

२०९. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **श्रम तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम ब्यूरो द्वारा २० औद्योगिक केंद्रों के लिये श्रमिक उपभोक्ता मूल्य देशनांक और अखिल भारतीय निर्देशक-तालिका कब तक की प्रकाशित की जा चुकी है;

(ख) मूल्य देशनांक और निर्देशक-तालिका किस ढंग से काम में लायी जा रही है ; और

(ग) इन आंकड़ों को इकट्ठा करने में कितने कर्मचारी लगे हुये हैं और सरकार द्वारा उन पर कितना व्यय किया जाता है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) दिसम्बर, १९५७ ।

(ख) आम तौर से मूल्य सूचक अंकों का उपयोग ऐसी चीजों और सुविधाओं के मूल्यों का अन्तर दिखाने के लिये किया जाता है जिनका उपयोग सामान्यरूप से श्रमिक वर्ग करता है । खास तौर से इन

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अंकों का इस्तेमाल कारखानों में महंगाई भत्ता निश्चित करने के लिये किया जाता है। कभी-कभी इन का उपयोग ऐसे दफ्तरों में होता है जहां महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचक अंकों में जुड़ा है। ये आंकड़े मूल्य स्तर अध्ययन सम्बन्धी सामान्य आर्थिक विश्शेषण के लिये भी काम में लाये जाते हैं।

(ग) ५३ अंशकालिक प्राइस क्लेक्टर और ३२ प्राइस सुपरवाइजर विभिन्न केंद्रों में साप्ताहिक मूल्य सम्बन्धी जानकारी एकत्र करने के लिये नियुक्त हैं। लेबर ब्यूरो का एक पृथक् सेक्शन क्लेक्टरों और सुपरावाइजरों की भेजी हुई जानकारी का समन्वय और उपभोक्ता मूल्य सूचक अंकों का संकलन करता है। इस सेक्शन म ३ इनवेस्टिगेटर, २ कप्युटर और ६ कलर्क हैं। मूल्य सम्बन्धी जानकारी एकत्र करने और उपभोक्ता मूल्य सूचक अंकों का संकलन करने के लिये ही जो कर्मचारी नियुक्त हैं उन पर जितना मासिक खर्च आता है, वह नीचे दिया गया है।

	कर्मचारियों की संख्या	खर्च (वेतन और भत्ता)
(१) दफ्तर का स्टाफ	११	२,१२३ रुपये प्रति मास
(२) प्राइस क्लेक्टर और प्राइस सुपरवाइजर	८५	१,३५७ रुपये प्रति मास
	कुल	३,३८० रुपये प्रति मास*

ठेका श्रम पद्धति

२१०. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट उद्योग में प्रचलित ठेका श्रम पद्धति को समाप्त करने के लिये जो रिपोर्ट सरकार के पास आई है, उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : सीमेंट सम्बन्धी औद्योगिक समिति ने इस उद्योग में ठेका श्रम पद्धति को समाप्त करने सम्बन्धी सिफारिशें करने के लिये अपने दूसरे अधिवेशन में एक उप समिति बनाई। उप समिति की सिफारिशों को राज्य सरकारों और सीमेंट कम्पनियों के ध्यान में लाया गया। सरकार के पास जो जानकारी है, उससे यह मालूम होता है कि कम्पनियों ने ठेके में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या काफी कम कर दी है। उस समिति की रिपोर्ट पर सीमेंट सम्बन्धी औद्योगिक समिति की अगली बैठक में और आगे विचार किया जायेगा।

न्यूनतम मजूरी सलाहकार समिति

२११. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ की धारा ६ के अन्तर्गत बनाई गई न्यूनतम मजूरी सलाहकार समिति ने २४ अगस्त, १९५६ के बाद क्या काम किया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : न्यूनतम वेतन कानून के अधीन भारत सरकार ने केन्द्रीय उद्योगों के लिये जो सलाहकार समिति (संशोधन) बनाई है, उसकी जून और अक्तूबर, १९५७ में दो बैठकें हुईं। समिति ने पश्चिमी रेलवे; केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग; केन्द्रीय कृषि क्षेत्र और सब-स्टेशन; तथा केन्द्रीय पानी और बिजली स्टेशन खडकवासला के कर्मचारियों के कानून के अधीन निश्चित किये गये न्यूनतम वेतनों में संशोधन करने के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं। सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

*यह न्यूनतम वेतन क्रम पर आधारित है।

ग्रांड होटल शिमला

२१२. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला का ग्रांड होटल एक निजी होटल चलाने वाले को कितने दिन के लिये किराये पर दिया गया था;

(ख) क्या सरकार ने उस होटल को निजी होल चलाने वाले से स्वयं ले लिया अथवा होटल चलाने वाले ने इसे सरकार को सौंप दिया;

(ग) निजी होटल चलाने वाले को किन शर्तों और कितने किराये पर होटल दिया गया था;

(घ) क्या किराये की सम्पूर्ण राशि वसूल हो गई है या उसका कुछ अंश अभी लेना शेष है; और

(ङ) यदि कुछ किराया लेना बाकी है, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) मार्च, १९५६ से पांच वर्षों के लिये ।

(ख) सरकार से समझौता हो जाने के बाद होटल चलाने वाले ने होटल सरकार को सौंप दिया ।

(ग) वार्षिक किराया ३२,५०० रुपये नियत किया गया था । शर्तों में निम्नलिखित शर्तें भी हैं :—

(१) होटल की देखभाल तथा इमारत व फर्नीचर की साधारण मरम्मत होटल चलाने वाले की जिम्मेदारी हो ।

(२) म्यूनिसिपैलिटी का कर सरकार दे, और बिजली पानी का खर्च होटल चलाने वाला दे ।

(३) सरकारी अफसरों व मेहमानों से रियायती किराया लेना जारी रहे ।

(४) होटेल को ठीक से तथा कुशलतापूर्वक चलाने के लिये होटेल वाला १०,००० रुपये की प्रतिभूति दे, या उतनी ही रकम की किसी शेड्यूल्ड बैंक की प्रत्याभूति दे ।

(घ) और (ङ) कुल किराया वसूल हो चुका है ।

खोखली ईंटों का निर्माण

२१३. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खोखली ईंटें और टाइल बनाने के लिये एक अग्रिम परियोजना स्थापित करने की योजना को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या खोखली ईंटें बनाने के लिये एक विशेष प्रकार की मिट्टी आवश्यक होगी;

(ग) यदि हां, तो इसके लिये किस किस्म की चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होगी;

(घ) खोखली ईंटें बनाने के लिये किस प्रकार की प्रणाली निकाली गई है; और

(ङ) क्या यह प्रणाली देहातों में चालू हो सकेगी ?

निर्माण, आवास और सम्भरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) खोखली ईंटों की शकलों के लिये नकशे बनाये गये थे । यह ईंटें एक स्थानीय ईंट के भट्ठे वाले के सहयोग से बनाई जाने वाली थी । इन शक्लों की ईंटें बनाने के लिये कुछ सांचे भी तैयार हैं । जांच करने व भवन निर्माण में ऐसी ईंटों के प्रयोग के आर्थिक लाभ दिखलाने के लिये थोड़ी संख्या में ईंटें बनाने का विचार है खोखली ईंटें व टाइल बनाने के लिये पथदर्शक कारखाना स्थापित करने की योजना को अभी स्थगित कर दिया गया है क्योंकि पश्चिमी बंगाल व बम्बई की सरकारें बड़ी संख्या में ईंटें बनाने के लिये इस प्रकार के कारखाने स्थापित करने का विचार कर रही हैं जिनमें खोखली ईंटें व टाइलें भी बन सकें ।

(ख) और (ग). खोखली ईंटें बनाने के लिये किसी विशेष प्रकार की चिकनी मिट्टी की आवश्यकता नहीं है । मामूली ईंटें जिस चिकनी मिट्टी की बनती हैं वह खोखली ईंटें के लिये भी इस्तेाल हो सकती है ।

(घ) आम तौर पर खोखली ईंटें व ब्लाक या तो मशीनों द्वारा बनाये गये हैं अथवा विशेष सांचों में हाथ से ढाले जाते हैं । मशीन से बनाने के लिये किसी प्रकार का विकास करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु हाथ से ढालने के लिये इस प्रकार के सांचे तैयार करने के सम्बन्ध में प्रयोग किये जा रहे हैं जिन से ग्रामीण कारीगर सुगमता तथा कुशलतापूर्वक ईंटें बना सकें ।

(ङ) हाथ से बनाने के तरीके गांवों के ईंट-उद्योगों में इस्तेमाल किये जा सकते हैं लेकिन गांव के मकानों में खोखली ईंटों का उपयोग बहुत ही कम होगा । हाथ से ईंट ढालने के तरीके उन शहरों या कस्बों में उपयोगी होंगे जहां मांग इतनी नहीं है कि बड़ी संख्या में ईंटें बनाने के लिये मशीनें अथवा अच्छे ढंग के भट्ठे स्थापित किये जायें ।

लकड़ी का गूदा

२१४. **श्री म० ला० द्विवदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिस्कोस रेशम उद्योग के लिये लकड़ी का कितना गूदा विदेशों से मंगाया जाता है;

(ख) क्या इस प्रकार का गूदा इस समय भारत में तैयार किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो कितनी मात्रा में, और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसे तैयार करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) रेयन उद्योग के लिये गूदे के आयात के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं । बिस्कोस धागें तथा स्टेमिल रेशों के यथार्थ उत्पादन के आधार पर अनुमान है कि १९५७ में इस्तेमाल किये गये आयातित गूदे की मात्रा लगभग १९,२०० टन होगी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) रेयन के लिये गूदा तैयार करने के लिये परम्परागत कच्चा माल कोनीफर है, जो कि देश में सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है । फिर भी इस देश तथा विदेशों में जो पाइलट संयन्त्र तथा अर्द्ध-वाणिज्यक प्रयोग किये गये हैं, उनसे प्रकट होता है कि घुलनशील वर्ग का गूदा बनाने के लिये बांस का इस्तेमाल हो सकता है ।

हाल ही में सरकार ने ग्वालियर रेयन सिल्क मेनुफेक्चरिंग तथा वीविंग कम्पनी लिमिटेड, नागदा, द्वारा प्रस्तुत की गई एक योजना को स्वीकार कर लिया है जिसके द्वारा केरल क बांस के साधनों का प्रयोग करके प्रतिवर्ष ३६,००० टन गूदा तैयार हो सकेगा ।

अलौह धातुएं

२१५. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलौह धातुओं के उत्पादन, मांग आदि के विषय में आंकड़े इकट्ठे करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) किन-किन धातुओं के सम्बन्ध में ये आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं अथवा किये जायेंगे, और

(ग) क्या इस काम के लिये कोई कर्मचारी रखे गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). विभिन्न अलौह धातुओं के उत्पादन लक्ष्यों और मांग की जांच-पड़ताल करने के लिये अलौह धातु उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् ने जनवरी १९५७ में चार उपसमितियां नियुक्त की थीं । इन उपसमितियों ने जस्त, अल्यूमीनियम, पीतल, ताम्बे की ढली चीजों, तांबे और पीसे के बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी है । बाकी अलौह धातुओं के बारे में इसी प्रकार की जानकारी एकत्र करने का कार्यक्रम विचाराधीन है।

(ग) जी, हां ।

विकास परिषद् (अलौह धातु) के सचिव को, जो विकास अफसर के पद पर भी काम करते हैं, इस काम में दो क्लर्क सहायता देते हैं ।

उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां

†२१६. **श्री पाणिग्रही :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १३ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १,६३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में प्रस्तावित औद्योगिक बस्तियों की स्थापना में अब तक क्या उन्नति हुई है ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : कटक में औद्योगिक बस्ती :** कटक में औद्योगिक बस्ती की योजना के लिये उड़ीसा सरकार को १०·०४ लाख रुपये (१९५६-५७ : ६·५४ लाख रुपये; १९५७-५८ : ३·५ लाख रुपये) के ऋण की मंजूरी दी गयी है। राज्य सरकार ने ३०-११-५७ तक ४·४४ लाख रुपये खर्च किये हैं। उन्होंने ३६ शेड़ बनाये हैं। वे व्यवसाय के लिये तैयार हैं और राज्य सरकार द्वारा उनका बंटन हो रहा है। आठ शेड निर्माणाधीन हैं ।

भारसुगडा में औद्योगिक बस्ती : भारसुगडा में औद्योगिक बस्ती की योजना मान ली गयी है और राज्य सरकार को हाल ही में १·१३ लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति दी गयी है ।

†**अन्य औद्योगिक बस्तियां :** रूरकेला और जैपुर में औद्योगिक बतिस्यों की योजना अभी प्राप्त नहीं हुई है । केन्द्रपाडा की योजना हाल ही में आयी है और विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

स्वचालित करघे

†२१७. **श्री दामानी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में निर्मित व विदेशों से आयात किये गये स्वचालित करघों के मूल्य में कितना अन्तर है;

(ख) १ जनवरी, १९५७ से कितने स्वचालित करघे आयात किये गये; और

(ग) वर्ष १९५७-५८ में अब तक कितना देशीय उत्पादन हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) विभिन्न किस्म के स्वचालित करघों के मूल्य का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है:

करघों का रीड स्पेस*	प्रत्येक करघे का लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य
देशीय ४०" से ५२"	३,३७५ रुपये से ३,६७५ रुपये (लगभग) (कारखाने पर)
स्विटजरलैंड में बनी ४०" से ५२"	९,५०० रुपये से १०,१०० रुपये ,,
जापान में बने ४०" से ५२"	३,४०० रुपये से ३,८०० रुपये ,,
ब्रिटेन में बने ३७.५" से ६०"	५,००० रुपये से ६,८०० रुपये ,,
जर्मनी में बने ४१" से ५३"	४,००० रुपये से ४,३०० रुपये ,,

(ख) पहली जनवरी, १९५७ से अगस्त, १९५७ तक ४२,७६,६५० रुपये के मूल्य के ६८९ स्वचालित करघे आयात किये गये ।

(ग) अप्रैल से दिसम्बर, १९५७ तक देश में ३०७ स्वचालित करघे बनाये गये। १९५७-५८ में ७०७ करघे बनाये जाने की आशा है ।

अफ्रीकी देशों में भारतीय

†२१८. **श्री राम कृष्ण :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीकी देशों में, देशवार, कितने भारतीय काम-धन्धों में लगे हुये हैं;

(ख) वे क्या व्यवसाय करते हैं; और

(ग) क्या हाल ही के वर्षों में उन पर कोई प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री क सभासचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) अफ्रीकी देशों में काम-धन्धों में लग हुये भारतीयों की ठीक संख्या मालूम नहीं है। अपने मिशनों द्वारा ही इनको प्राप्त किया जा सकता है । कुछ अफ्रीकी देशों में हमारे मिशन नहीं हैं और जहां हैं भी वहां उनके लिये सुतथ्य जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं है। इन कठिनाइयों और श्रम वसमय को देखते हुए जानकारी इकटठी करने का कोई इरादा नहीं है ।

(ख) अफ्रीकी देशों में भारतीय मुख्यतः व्यापार तथा वाणिज्य में या सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं में लगे हुए हैं ।

(ग) अफ्रीका के कुछ देशों में जैसे पुर्तगाली पूर्व अफ्रीका, केन्द्रीय अफ्रीका आदि में, मुख्यतः भारत को धन भेजने और उन क्षेत्रों में आश्रितों के आने के बारे में प्रतिबन्ध लगे हुये हैं ।

†मूल अंग्रेजी में ।

*Read Space.

नारियल-जटा उद्योग

†२१९. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वणिज्य तथा उद्योग** मंत्री नवीनतम जानकारी के अनुसार (१) भूसे को तन्तु बनाने (२) रेशा (यार्न) बनाने; और (३) फर्श व पट्टियां बनाने के कार्य में नियोजित श्रमिकों की अलग अलग संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** एक विवरण संलग्न है [**देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८२**]

नारियल-जटा का रशा

†२२०. **श्री व० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल-जटा बोर्ड के बनने के पश्चात् नारियल-जटा उद्योग के नारियल-जटा का रेशा बनाने नारियल-जटा के फर्श व पट्टियां बनाने में लगे श्रमिकों की प्रतिवर्ष औसत आमदनी कितनी हुई है; और

(ख) इस कालावधि में यदि कोई न्यूनतम मजूरी नियत की गयी है तो वह क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है [**देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८३**]

चाय की खपत

†२२१. **श्री बीरेन राय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६-५७ की तुलना में वर्ष १९५७-५८ में चाय की आन्तरिक खपत कितनी कूती गयी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में चाय की वास्तविक आन्तरिक खपत कितनी हुई;

(ग) क्या यह सच है कि बम्बई अथवा मद्रास में चाय केन्द्र खुलने से पहले केवल मकान किराये पर एक लाख रुपया बरबाद कर दिया गया; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में पश्चिम योरोपीय देशों में प्रचार पर चाय बोर्ड ने कुल कितनी धनराशि खर्च की और धनराशि किन मदों पर खर्च की गयी ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) तथा (ख). १९५७-५८ में समाप्त हुए पांच वर्षों में चाय की आन्तरिक खपत का अनुमान इस प्रकार है:

१९५३-५४	१८२२ लाख पौंड
१९५४-५५	१७४६ लाख पौंड
१९५५-५६	२२०९ लाख पौंड
१९५६-५७	१८२९ लाख पौंड
१९५७-५८	२१०० लाख पौंड
	(अस्थायी)

(ग) चाय के केन्द्रों के लिये ली गयी इमारतों में इस्तेमाल से पहले से बहुत परिवर्तन व परिवर्धन करने की आवश्यकता थी । इस कार्य पर समय लगा । अतः इस कालावधि के लिये दिये

†मूल अंग्रेजी में ।

गये किराये को बरबाद नहीं समझना चाहिये । इन भवनों में किये गये परिवर्तन व परिवर्धनों की कालावधि के लिये निम्नलिखित धन राशि किराये के रूप में खर्च की गयी :

बम्बई चाय केन्द्र	४२,००० रुपये	
मद्रास चाय केन्द्र	४,६२,००० रुपये	(फरवरी, १९५८ तक)

(घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

कोयला खानों में कार्मिक शिशु-गृह नर्सें

†*२९२. **श्री बर्मन :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हसदा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कोयला खानों में कार्मिक शिशु-गृह नर्सों के क्या विभिन्न वेतन स्तर है;

(ख) न्यूनतम वेतन स्तर कब नियत किये गये थे;

(ग) उनको और क्या उपलब्धि व सुविधायें दी गयी हैं;

(घ) क्या कार्मिक शिशु-गृह नर्सों का विषय न्यायाधिकरण को विचार के लिये सौंपा गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) गैर-सरकारी खानों में ५५–४–७५ रुपये और सरकारी खानों में ७५–५–१०० रुपये ।

(ख) उपरोक्त वेतन स्तर २६-५-१९५६ को छपे अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (कोयला खान विवाद) के पंचाट में दिये गये थे ।

(ग) जैसा कि पंचाट में दिया गया है उनको महंगाई भत्ता, बोनस, वर्ष में सात सवेतन छुट्टियां वापसी रेल भाड़ा और रियायती दरों पर वर्दी व जूते दिये जाते हैं ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कपड़े का उत्पादन

†२२३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह जानकारी हो :

(क) १९५७ में विभिन्न किस्मों के कपड़े के उत्पादन की सामूहिक स्थिति क्या थी;

(ख) वर्ष की समाप्ति तक कितने कपड़े का निर्यात, देश में खपत और स्टाक में रखा गया था; और

(ग) वर्ष के दौरान में विभिन्न किस्मों के कपड़े, विशेषकर मशीन और हथकरघा से बने कपड़े, के मूल्यों में कितनी कमी-बेशी हुई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). पता चलता है कि प्रश्न सूती कपड़े के बारे में है। एक विवरण जिस में जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४८]**

जापान से व्यापार

†**२२४. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में जापान से माल मंगवाया गया और जो माल भेजा गया उनका मूल्य कितना-कितना है; और

(ख) उपरोक्त अवधि में जापान से जो माल मंगवाया गया और जो भेजा गया उसमें मुख्य-मुख्य वस्तुयें क्या थीं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). एक विवरण जिस में उपलब्ध जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८५]**

उड़ीसा में गन्दी बस्तियों की सफाई

†**२२५. श्री पाणिग्रही** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीयपंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये कितनी राशि दी गई है; और

(ख) इसमें से उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय से कितनी राशि ली है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) द्वितीय योजना काल में गन्दी बतिस्यों की सफाई के लिये उड़ीसा सरकार को १२ लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसमें राज्य की ३ लाख रुपये की राजसहायता भी शामिल है जिस के बराबर राज्य में अपने पास से खर्च करना पड़ेगा।

(ख) अभी उड़ीसा सरकार ने कोई राशि वसूल नहीं की है। भुवनेश्वर में ३० परिवारों को पुनः बसाने की परियोजना १२ फरवरी १९५८ को स्वीकृत दी गई थी जिस पर ९९,००० रुपये खर्च होंगे ।

बकाया किराया

†**२२६. श्री न० रा० मनिस्वामी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर इस के अधीन जो इमारतें हैं उनके बकाया किराये की कुल राशि कितनी है;

(ख) दिल्ली और अन्य स्थानों पर, अलग-अलग सरकारी कर्मचारियों से कितनी राशि वसूल की जाती है;

(ग) दिल्ली में कितनी राशि बट्टे खाते में डाल दी गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) क्या उपयुक्त प्रपत्रों पर ठीक ढंग से यह रिकार्ड रखा जा रहा है कि निर्धारण कब किया गया और किराया की वसूली कब हुई जिस से कि जांच करने में सहायता मिल सके ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क), (ख) और (घ). इसके लिये भारत के उन सभी स्थानों से, जहां निवास स्थान एस्टेट आफिस और लोक-निर्माण विभाग के नियन्त्रण में है, जानकारी एकत्र करना पड़ेगी। यह जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) यह जानकारी देना सम्भव नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य ने वह अवधि नहीं बताई जिसके लिये जानकारी चाहिये।

भारत पाकिस्तान पुस्तक व्यापार

२२७. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी हुई हो :

(क) गत पांच वर्षों में भारत से पाकिस्तान को कौन-कौन से पत्र-पत्रिकायें और पुस्तकें भेजी गईं और पाकिस्तान से भारत को कौन-कौन सी आईं; और

(ख) भारत-पाकिस्तान पुस्तक व्यापार बढ़ाने की क्या सम्भावनायें हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) शायद माननीय सदस्य का आशय अखबारों, पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के पाकिस्तान से होने वाले आयात और पाकिस्तान को होने वाले निर्यात के मूल्य है से। यदि ऐसा है, तो एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८६**]

(ख) भारत पाकिस्तान पुस्तक व्यापार बहुत सी बातों पर निर्भर है, जिनमें पाकिस्तान द्वारा समय-समय पर अपनायी जाने वाली आयात की नीति भी आती है। इस उद्योग के भविष्य के बारे में ठीक से कुछ भी कह सकना सम्भव है नहीं।

भारत में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

†२२८. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) गत ३ मास में कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन अवैध रूप से भारतीय सीमा पार करके आये; और

(ख) उनमें से कितनों को दण्ड दिया गया ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) १ अक्तूबर से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक आसाम राज्य के अतिरिक्त २६५५ पाकिस्तानी राष्ट्रजन अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए। इसमें दिसम्बर, १९५७ के पश्चिमी बंगाल के आंकड़े भी शामिल नहीं हैं।

(ख) इस अवधि में १२९१ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को दण्ड दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†२२९. { **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने सीमेंट पर जो लगभग १०,५६,००० रुपये स्टाकिस्ट कमीशन दिया था उसका ब्योरा क्या है;

(ख) इन स्टाकिस्टों को किस प्रकार चुना गया है; और

(ग) उनका कार्य क्या है और इनके तथा विक्रेताओं के कार्य में क्या अन्तर है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) यह जानकारी देना निगम के व्यापार के हित में नहीं होगा ।

(ख) सीमेंट के वितरण का काम राज्य व्यापार निगम को सौंपने से पूर्व सीमेंट के उत्पादकों और विक्रय अभिकर्ता ने फुटकर विक्रय के लिये अपने स्टाकिस्ट स्वयं मुकर्रर किये थे । जब निगम ने सीमेंट के वितरण का काम अपने हाथ में ले लिया तब उन्हें रहने दिया गया ।

(ग) स्टाकिस्ट का काम यह है कि वह अपने विक्रेता से माल ले और राज्य सरकार द्वारा निश्चित दर के अनुसार लोगों के पास फुटकर बेचे । विक्रय अभिकर्ताओं पर कारखाने से समस्त उत्पादन का वितरण करने की जिम्मेदारी होती है । निगम ने उन्हें इसी कार्य के लिये रखा है । वे निगम की ओर से सीमेंट ले लेते हैं और और उसे भारत सरकार द्वारा निश्चित किये गये मूल्य पर बेच देते हैं ।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†२३०. { **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात किये जाने वाले सीमेंट के लिए राज्य व्यापार निगम में विक्रय अभिकर्ताओं के नाम क्या हैं;

(ख) इन लोगों का चुनाव कैसे किया गया था; और

(ग) प्रत्येक को कितना कमीशन दिया गया था और उस की दर क्या थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) (१) मैसर्स सीमेंट मार्किटिंग कम्पनी आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटिड, बम्बई;

(२) मैसर्स वैस्ट बंगाल सीमेंट इम्पोर्टस डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसीएिशन लिमिटिड, कलकत्ता ।

(३) साऊथ इंडिया कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, कोचीन ।

(४) शिवरत्न जी मोहाटा, जोधपुर ।

(ख) राज्य व्यापार निगम के द्वारा सीमेंट के आयात की व्यवस्था किये जाने से पहिले प्रथम समवाय भारत सरकार के अभिकर्ता के रूप में इस वस्तु का काम करता था और बाद में इसे निगम

†मूल अंग्रेजी में ।

का विक्रय अभिकर्ता नियुक्त किया गया था। अन्य तीन समवायों को उनके पिछले अनुभव, सेवाकाल तथा वित्तीय स्थिति पर विचार करने के बाद नियुक्त किया गया था।

(ग) यह जानकारी प्रदान करना निगम के कारोबारी हित में न होगा।

सीमावर्ती घटना

†२३१. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
श्री वाजपेयी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३१ दिसम्बर, १९५७ को या इसके लगभग युद्ध-विराम रेखा के इस ओर काठमारियां गांव के दो व्यक्तियों को पाकिस्तान की सीमा पुलिस ने चुनौती दी थी और गोली चला कर एक व्यक्ति को घायल किया था;

(ख) क्या भारतीय सीमा पुलिस ने भी गोली का उत्तर दिया था; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को फिर न होने से रोकने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) स्थानीय अधिकारियों से मिले समाचारों के अनुसार ३१ दिसम्बर, १९५७ को रवारयां नामक सीमावर्ती गांव के निकट भारतीय क्षेत्र में एक भारतीय राष्ट्रजन अपने ढोर चरा रहा था जब कि लगभग चार बजे म० प० पाकिस्तान सीमा पुलिस के दो सदस्यों ने भारतीय क्षेत्र में अनधिप्रवेश किया और सीमा पर पार करने के आरोप में भारतीय राष्ट्रजन को समीपवर्ती पाकिस्तान सीमा पुलिस चौकी में ले जाने का प्रयत्न किया। भारतीय राष्ट्रजन ने इन्कार किया और भाग निकलने का प्रयत्न किया जिस पर पाकिस्तान सीमा पुलिस के कर्मचारी ने उस पर गोली चलाई और उसे घायल कर दिया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) १ जनवरी, १९५८ को स्थानीय सैनिक अधिकारियों की एक बैठक हुई थी और उसमें पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने अपनी ओर से खेद प्रकट किया था और यह विश्वास दिलाया था कि भविष्य में इस प्रकार की घटनायें फिर न होंगी।

मामले की सूचना संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों को भी दी गई थी। अभी उनका प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

चैकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार

†२३२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत तथा चैकोस्लोवेकिया के बीच आयात तथा निर्यात व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८७]**

कनाडा में भारतीय

†२३३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनाडा में भारतीयों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) उस देश में नागरिकता अर्जित करने वाले भारतीयों की कुल संख्या कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) १९०० तथा १९५७ के बीच कनाडा में प्रवेश करने वाले भारतीय उद्भव के आप्रवासियों की कुल संख्या ७,९६४ थी ।

(ख) १९५२ से पूर्व कनाडा की नागरिकता अर्जित करने वाले भारतीयों की कुल संख्या मालूम नहीं है । १९५३ से १९५७ तक की संख्या ६८७ है ।

कनाडा के नागरिकता अधिनियम के अधीन ब्रिटेन की जो प्रजा, जिन में भारतीय नस्ल के लोग भी थे, कनाडा की अधिवासी थी वे १९४७ में अपने आप ही कनाडा की नागरिक भी बन गई थी ।

हिमाचल इंडस्ट्रीज एम्पोरियम, शिमला

२३४. **श्री पद्म देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल इंडस्ट्रीज इम्पोरियम, शिमला की मासिक बिक्री कितनी है;

(ख) उक्त एम्पोरियम का मासिक व्यय कितना है; और

(ग) एम्पोरियम का आज तक का आय-व्यय का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है, जिसमें अप्रैल १९५७ से जब से यह एम्पोरियम खोला गया है, तब से इस में हुई बिक्री और इसके खर्च का ब्यौरा दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८८]**

(ग) एम्पोरियम के हिसाब-किताब का अभी लेखा-परीक्षा होना है ।

इंदौर डिवीजन में विस्थापित व्यक्तियों के दावे

२३५. **श्री राध लाल ब्यास** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के इन्दौर डिवीजन में विस्थापित व्यक्तियों ने अब तक सम्पत्ति के कितने दावे दर्ज कराये हैं;

(ख) इनमें से कितने दावे मंजूर हो चुके हैं;

(ग) कितने दावे नामंजूर हो गये हैं;

(घ) कितने दावे विचाराधीन हैं;

(ङ) इन्दौर डिवीजन में विस्थापित व्यक्तियों के जांच किये हुये दावों के विरुद्ध कितने मामलों में भुगतान कर दिया गया है और कितनी राशि अभी देनी शेष है; और

(च) शेष राशि के भुगतान के लिये क्या योजना बनाई गई है ?

पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) दावा अधिनियम, १९५० के आधीन दिये गये दावे पाकिस्तान में उस स्थान के मुताबिक कि जहां जायदाद स्थित थी, दर्ज कराये गये थे । इन दावों का रिकार्ड भारत के उस स्थान के मुताबिक कि जहां पर ये दर्ज कराये गये थे, नहीं रखा गया । इसके अतिरिक्त दावा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र की सीमा भारत में प्रशासनिक क्षेत्र

†मूल अंग्रेजी में ।

सीमित नहीं थी। इसलिये इन्दौर डिवीजन में शरणार्थियों द्वारा दर्ज कराये गये दावों की संख्या बताना सम्भव नहीं है। मुआवजा की दर्खास्तें देने वाले शरणार्थियों की संख्या क्षेत्रवार उपलब्ध है और मांगने पर दी जा सकती है :

(ख) से (च). प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन रेयर अर्थ्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई

†२३६. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की इंडियन रेयर अर्थस (प्राइवेट) लिमिटिड के श्रमिकों ने अपनी संस्था के द्वारा उपक्रम के व्यवस्थापन को अपनी मांगों का एक अधिपत्र प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) जी, हां।

(ख) लोक-सभा पटल पर इंडियन रेयर अर्थ्स श्रमिक संघ, बम्बई से समवाय को प्राप्त मांगों के अधिपत्र की एक प्रति रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८९**]

(ग) यह मामला बम्बई के समझौता अधिकारी के सामने लम्बित है।

भारत सेवक समाज

†२३७. **श्री कुम्भार** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने भारत सेवक समाज को वित्तीय सहायता बन्द कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार

†२३८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ तथा कानपुर के काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने के लिये एक अग्रिम योजना प्रारम्भ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस जांच पड़ताल का कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) जी, हां, अभी हाल ही में एक अखिल भारतीय कार्यक्रम के एक भाग के रूप में लखनऊ तथा कानपुर में गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार सम्बन्धी स्थिति की जानकारी एकत्रित करने के सम्बन्ध में एक योजना प्रारम्भ की गई थी। प्रारम्भ में समस्त उत्तर

†मूल अंग्रजी में।

प्रदेश राज्य में सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा कानपुर, उन्नाव और हमीरपुर जिलों में गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जायेगी ।

(ख) अभी नहीं प्रारम्भिक आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं । आशा है कि चालू वर्ष के समाप्त होने से पूर्व प्रथम प्रतिवेदन प्रकाशन के लिये तैयार हो जायेंगे ।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†२३९. **श्री झुनझुनवाला** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री इस सम्बन्ध में लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने जुलाई से दिसम्बर १९५७ के बीच किन-किन पदार्थों के बारे में तथा किन-किन देशों से सौदे किये हैं; और

(ख) इस अवधि में उक्त सौदों में उसे कितना लाभ अथवा हानि हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९०]**

(ख) जब निगम का लेखा वर्ष के अन्त में अर्थात ३०-६-१९५८ को बन्द होगा उसी समय लाभ या हानि का अनुमान लगाया जा सकेगा ।

बाइसिकल के कारखाने

†२४०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितनी संगठित फैक्टरियां साइकिलों का निर्माण कर रही हैं व उनकी प्रत्येक राज्य में कितनी संख्या है;

(ख) इनमें से उन कारखानों के नाम जो कि बाइसिकल निर्माण के कार्य में काफी समुन्नत हैं तथा उनके उन्नत होने के क्या कारण हैं; और

(ग) जिन राज्यों की फक्टरियां तुलनात्मक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं उनको सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) तथा (ख). विवरण 'क' संलग्न किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९१]** इन राज्यों में कुछ निर्माता बाइसिकल उद्योग की स्थापना के लिये आगे बढ़े हैं ।

(ग) लघु पैमाने के निर्माताओं को प्रत्येक प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है । लघु पैमाने के उद्योगों के निर्देशालय द्वारा इन्हें हर प्रकार के प्रविधिक परामर्श तथा पथ-प्रदर्शन की सुविधा दी जा रही है । उचित मामलों में उन्हें उपयुक्त शर्तों पर मशीनरी तथा सन्यन्त्र भी दिये जाते हैं ।

लघु पैमाने के उद्योगों की स्थिति के बारे में विवरण 'ख' संलग्न किया जाना है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९१]**

राजस्थान में विस्थापित व्यक्ति

२४१. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री शोभा राम :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान से कितने विस्थापितों को राजस्थान में बसाया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) इनमें कितने काश्तकार तथा कितने गैर-काश्तकार हैं;

(ग) इनमें से से कितने विस्थापित लोगों को अब तक मुआवजा दिया जा चुका है ;

(घ) क्या यह मुआवजा नकद दिया गया है अथवा किसी अन्य प्रकार से; और

(ङ) अभी कितना मुआवजा देना बाकी है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) ३,७३,००० ।

(ख) गैर-सरकार तथा काश्तकार लोगों का अनुपात नहीं मालूम हो सका है । किन्तु शहरी तथा ग्रामीण लोगों की संख्या नीचे दी जाती है:—

ग्रामीण	१,६४,०००
शहरी	२,०९,०००

(ग) ३१ जनवरी १९५८ तक ३४,२५२ दावेदारों में से १८,६७७ लोगों को मुआवजा दिया जा चुका था ।

(घ) यह मुआवजा नकद तथा अन्य प्रकार दोनों प्रकार से दिया गया है । दोनों प्रकार से दिये गये मुआवजे का ब्यौरा नीचे दिया जाता है:

(१) नकद	२,९४,३५,००२	रुपये
(२) सम्पत्ति के हस्तान्तरण द्वारा	१,४६,३८,२५९	रुपये
(३) सरकारी देयों के समायोजन द्वारा	१,३५,२४,५५६	रुपये
कुल	५,७५,९७,८१७	रुपये

(ङ) जब तक सारे क्लेमों का अतिन्म रूप से निश्चय नहीं कर लिया जाता है तब तक यह बताना कठिन है कि अभी मुआवजों में कितनी और राशि देनी पड़ेगी ।

पंजाब में हस्तशिल्पों का विकास

†२४२. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में पंजाब राज्य को हस्तशिल्पों के विकास के लिये कोई सहायता दी थी; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) जी, हां ।

(ख) प्रथम पंच वर्षीय योजना काल के दौरान में पंजाब सरकार को इस कार्य के लिये ५७,२१४ रुपये का अनुदान व १,३४,८०० रुपये का ऋण दिया गया था ।

हथकरघा वस्त्र का निर्यात

†२४३. **श्री पागंरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ के दौरान में हथकरघा वस्त्र के निर्यात का कितना लक्ष्य रखा गया है ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : अभी तक १९५८-५९ के लिये कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया है। किन्तु इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

चाय नियमों में संशोधन

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: मैं चाय अधिनियम १९५३ की धारा ४९ की उपधारा (३) के अन्तर्गत चाय नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २५ जनवरी, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३०१ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०-५२०/५८]

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि राज्य-सभा के सचिव से मुझे राज्य-सभा द्वारा ११ फरवरी १९५८, की बैठक में पारित भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक १९५८ की प्रति प्राप्त हुई है।

भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया

†**सचिव** : मैं भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक १९५८, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

सागर में सैनिकों और विद्यार्थियों के बीच झगड़ का समाचार

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर): नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में वक्तव्य दें:—

"सागर में २८ जनवरी १९५८ को विद्यार्थियों और महार रेजिमेंट के सैनिकों के बीच झगड़े का समाचार।"

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : मैं इस विषय में वक्तव्य देना चाहता हूं। २० जनवरी, १९५८ को सागर विश्वविद्यालय में अन्तर्विश्वविद्यालय हाकी टूर्नामेंट हुआ था। २८ जनवरी को उपलब्ध समाचार के अनुसार दर्शकों में झगड़ा हुआ जिस में महार रेजिमेंट के कर्मचारी, सागर विश्व-विद्यालय के विद्यार्थियों और कुछ अन्य लोगों ने भाग लिया। इस घटना के विषय में कुछ बातें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं और कुछ अन्य बातें फैली भी हुई हैं। सेना मुख्यालय को सैनिक पदाधिकारियों और इण्डिपेण्डेण्ट सब एरिया के कमान अधिकारी से समाचार मिले हैं और उपकुलपति के पास से भी पत्र आया है। इन समाचारों से पता लगता है कि इस घटना में कुछ सैनिकों, सेना पदाधिकारियों और कुछ

---

†मूल अंग्रेजी में।

विद्यार्थियों को चोटें आई हैं परन्तु हमें यही पता लगा है कि कुछ एक को ही मामूली चोटें आई थीं और उन्हें केवल कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। अन्य कुछ लोगों को अस्पताल में दाखिल नहीं होना पड़ा वरन् कुछ उपचार करने के बाद उन्हें जाने दिया गया था।

इस दुर्घटना के बारे में सुनने पर जबलपुर के इण्डिपेण्डेण्ट सब एरिया के कमान पदाधिकारी, सेना मुख्यपदाधिकारी के निदेशानुसार, घटना के अगले ही दिन २९ जनवरी, १९५८ को सागर गये थे और उन्होंने वहां राज्य के असैनिक और पुलिस अधिकारियों तथा विश्वविद्यालय के उपकुलपति के सहयोग से जांच की थी। सरकार समझती है कि सेना मुख्यालय द्वारा शीघ्र कार्यवाही करने के कारण वहां की स्थिति शांत हो गई है। यह सूचना मिली है कि विद्यार्थियों ने सेना कमान पदाधिकारी द्वारा की गई शीघ्र कार्यवाही के लिये आभार प्रकट किया है और यह विश्वास दिलाया है कि उन्हें सेना पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है और अब वे और कुछ नहीं चाहते। स्थानीय असैनिक पदाधिकारियों ने ३ फरवरी को न्यायिक जांच-कारवाई थी और सम्भवतः, वे अपना प्रतिवेदन राज्य-सरकार को देंगे। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से कोई पत्र अभी नहीं मिला। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है इस विषय को न्यायाधीन समझा जा रहा है। राज्य सरकार से समाचार मिलने पर सरकार इस विषय में और वक्तव्य देने के लिये तैयार हो सकेगी। इस समय कोई वक्तव्य देना अथवा सेना कमान पदाधिकारी के प्रतिवेदन को प्रकाशित करना यदि अनुचित नहीं तो असैनिक प्राधिकारियों के प्रति अशिष्टतापूर्ण अवश्य होगा। तो भी सरकार को यह बताते हुये हर्ष होता है कि विद्यार्थियों में कोई क्रोध की भावना नहीं रही।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं सोमवार १७ फरवरी से आरम्भ होने वाले सप्ताह में सभा के कार्य के बारे में वक्तव्य देना चाहता हूं। कार्य का क्रम निम्नलिखित होगा :—

(१) १७ फरवरी को १९५८-५९ के लिये रेलवे आय-व्ययक का उपस्थापन।

(२) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर श्री जगन्नाथ राव द्वारा प्रस्तुत तथा श्री म० ला० द्विवेदी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर और आगे चर्चा। मंगलवार १८ फरवरी के प्रश्न के घंटे के पश्चात् प्रधान मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

(३) भारतीय रक्षित सेना (संशोधन) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में अग्रेतर विचार।

(४) ११ फरवरी को सभा में उपस्थापित १९५७-५८ के लिये अनुदानो की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान।

(५) सभा पटल पर कल रखे गये, जीवन बीमा निगम के कार्यों सम्बन्धी जांच आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा। यह प्रस्थापना है कि बुधवार १९ फरवरी को प्रश्न के घण्टे के तुरन्त पश्चात. इस चर्चा को क्रम पत्र पर रखा जाये।

(६) केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक १९५८ पर विचार तथा उसे पारित करना।

(७) वणिक नौवहन विधेयक १९५८ को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार।

†**श्री विमल घोष (बैरकपुर)** : क्या बुधवार को होने वाली चर्चा के लिये समय निश्चित किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी नहीं। मैं इसके लिये कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाऊंगा।

†मूल अंग्रेजी में।

केन्द्रीय बिक्रीकर (संशोधन)* विधेयक

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब०रा० भगत)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम १९५६ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ब० रा० भागत** : मैं विधेयक को पुरस्थापित** करता हूं ।

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक*

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाणिज्यक नौवहन सम्बन्धी विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वणिज्यिक नौवहन के सम्बन्ध में विधि को संशोधित और समन्वित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा करेगी । इसके लिये नियत १२ घण्टों में से शेष ७ घण्टे २६ मिनट बचे हैं । १३ फरवरी को प्रस्तुत संशोधन सदस्यों में परिचालित कर दिये गये थे । श्री द० अ० कट्टी अपना भाषण आरम्भ करेंगे ।

†**श्री द० अ० कट्टी** : (चिकोड़ी) मेरा निवेदन है कि बौद्ध धर्म में परिवर्तन को हतोत्साहित करने की बजाये उसे प्रोत्साहन देना चाहिये, क्योंकि इससे जाति भेद समाप्त होगा । जो अनुसूचित जाति बौद्ध हो गई है उनकी आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ अत: उन्हें संरक्षण मिलते रहना चाहिये ।

इसके लिये यदि संविधान में संशोधन भी करना पड़े तो कर देना चाहिये अन्यथा पिछड़ी जातियों के लिये उपबन्धों के अन्तर्गत उन्हें संरक्षण देना चाहिये । इस विषय पर प्राय: तीन बार चर्चा हो चुकी है और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस के लिये तैयार नहीं ।

इन लोगों को सुविधायें न भी दी गईं तो भी वे बौद्धधर्म को अपनाते रहेंगे और आखिर वे इस प्रयोजन के लिये आन्दोलन करेंगे । यह देश तो लोकतन्त्रात्मक देश है और यहां बिना खून खराबे

---

*भारत सरकार के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २, दिनांक १४-२-५८ में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरस्थापित ।

†मूल अंग्रेजी में ।

के ही क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। किन्तु इन लोगों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है ।

एक लोकतन्त्रात्मक समाज में इस प्रकार का वर्ग विभाजन नहीं होना चाहिये कि एक वर्ग सर्वथा दलित रहे और दूसरे को पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। अनसूचित जाति के लोग और बौद्ध अपने ढंग से इस असमानता को दूर कर रहे हैं अतः सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिये ।

डा० अम्बेडकर की मृत्यु के बारे में की गई जांच के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि उस जांच प्रतिवेदन को प्रकाशित न करवा कर सरकार लोगों के दिलों में सन्देह ही उत्पन्न कर रही और अनुसूचित जातियों में बहुत असंतोष फैला हुआ है। अतः या तो वह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाना चाहिये या उन लोगों को देना चाहिये जिन्होंने जांच की मांग की थी ।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : अभिभाषण यद्यपि संक्षिप्त था किन्तु उसमें सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों, हमारे सामने आने वाली कठिनाइयों और उन्हें दूर करने के साधनों का पूर्ण वर्णन किया गया है। सरकार आयात निर्यात नीति तथा वित्तीय स्थिति के लिये पूर्णत सतर्क है।

वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में शायद ही किसी विवेकशील व्यक्ति का मतभेद होगा। अभिभाषण में राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिशों का बहुत उपयुक्त उल्लेख है। उसमें यह महत्वपूर्ण बात कही गई है कि खण्डीय क्षेत्रों के विकास कार्य के लिये आय-व्ययक खण्ड विकास पदाधिकारी के के हाथ में रहेगा ।

हमारी नीतियां तो ठीक हैं किन्तु उन की कार्यान्विति पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटी सिंचाई परियोजनाओं में अधिक प्रगति नहीं हुई और मैं आशा करती हूं कि सरकार अवश्य इस ओर ध्यान दे रही है। प्रशासन तंत्र में ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है। जिससे वह एक कल्याणकारी राज्य के उपयुक्त बन सके ।

अभी कुछ दिनों में आय-व्ययक पर चर्चा होगी और आप देखेंगे कि बहुत सा आय-व्ययक व्यपगत हो गया है। आय-व्ययक को स्वीकृत करवाने के लिये इतना समय और खर्च करना पड़ता है किन्तु वर्ष के अन्त में देखते हैं कि वह व्यपगत हो जाता है। इसका मूल कारण क्या है ? नीति को कार्यान्वित करने वाले प्राधिकारियों को आखिर के दो तीन महीनों में धन दे दिया जाता है और उसे व्यय करने के लिये कहा जाता है जिससे बहुत व्यर्थ व्यय होता है। जब तक हम प्रशासन की मशीनरी में आमूल परिवर्तन नहीं करते ये त्रुटियां बनी रहेंगी ।

केन्द्र और राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध और भी खराब हैं। यह अच्छा है कि समान अनुदान देने की नीति को छोड़ दिया गया है। किन्तु अभी और अधिक परिवर्तन की आवश्यकता है। केन्द्र के प्रशासक मंत्रालयों को अधिक वित्तीय अधिकार देने चाहिये। इसी प्रकार राज्य-सरकारों को स्वीकृत राशि दे देनी चाहिये और बाद में उनके लेखों को परीक्षा करनी चाहिये। इससे कार्य में गति आ सकती है ।

हमने कार्य में गति लाने के लिये यह नया ढंग अपनाया है कि सरकारी उद्योग क्षेत्र में कई बोर्डों का निर्माण किया गया है। किन्तु उन के अधिकारों और प्रक्रिया की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार के तंत्र में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है ।

गत वर्ष नीति को सख्त किया गया था। उससे स्थिति में सुधार हुआ। किन्तु अभी और सुधार की आवश्यकता है। यह कहा जाता है कि कृत्रिम रेशम निर्यात के लिये तैयार किया जाता है किन्तु

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्रीमती रेणुका राय]

सत्य यह है कि उसकी अत्यधिक खपत देश में ही होती है। आयात पर सख्त नियन्त्रण होने पर भी हम देखते हैं कि यहां की दुकानें विलास की वस्तुओं से भरी पड़ी हैं। अत्यावश्यक वस्तुओं के आयात की यह स्थिति है कि आयात की अनुमति देने में इतनी देर कर दी जाती है कि माल समय पर नहीं पहुंचता ।

देश में लगभग पांच स्थानों पर मोटर गाड़ियां बनाने की अनुज्ञप्तियां दी गई हैं किन्तु उनमें से कोई भी अभी तक आत्म निर्भर नहीं हुआ । हमारे औद्योगिक विकास की यह स्थिति है। आखिर वे क्यों निर्यात पर निर्भर किये बिना मोटरें नहीं बनाते चाहें वे आधुनिकतम मोटरों की तुलना में कितनी ही भद्दी क्यों न हों। हम तेल शोधनालयों के सम्बन्ध में रुपया कम्पनी के प्रस्ताव से सहमत हैं किन्तु उन लोगों से सतर्क रहना चाहिये। जब तक हमारे देश में सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ गैर-सरकारी क्षेत्र है प्राकृतिक रूप में वह सरकारी विशेषज्ञों को अधिक वेतन देकर अपनी ओर आकर्षित करेगा । अतः सरकार को सावधान रहना चाहिये ।

मैंने पहले कतिपय सार्थों के साथ किये गये करारों को देखा है। हमें सावधानी से सदैव देखभाल रखनी चाहिये। कई बातें अब भी गलत हो रहीं हैं और हमारी प्रगति में बाधा पड़ रही हैं। गलतियां तो मानव से होती ही हैं किन्तु हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिये।

सारी बात का सम्बन्ध तो हमारी प्रशासकीय व्यवस्था से है। वास्तव में हमारे प्रशासन की व्यवस्था में पूर्ण रूप से परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। हमारी आर्थिक प्रगति तभी सम्भव होगी जब कि सरकारी व्यवस्था पूर्णतया ठीक तरीके से काम करेगी। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ।

डा० राम सुभग सिंह : (सहसराम) अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश के आर्थिक जीवन का बड़ा सुन्दर चित्र चित्रित किया है। इस मौके पर मैं यह चर्चा करना चाहता हूं कि हाल ही में जो लाइफ इन्शोरेंस कारपोरेशन (जीवन बीमा निगम) की स्थिति की जांच की गई, उसके कारण यहां मंत्रि-मंडल में भी कुछ तब्दीली हुई। मैं श्री कृष्णमाचारी जी को इसके लिये धन्यवाद दूंगा। उनके लिये मेरे दिल में काफी बड़ी कद्र है। वे हम लोगों से विदा हो रहे हैं, इसका मुझे दुख भी है। लेकिन मैं सरकार की इस नीति का पूरा समर्थन नहीं करता कि आटानोमस कार्पोरेशन्ज (स्वायत्तशासी निगम) में इस तरह की नीति चलने दें कि उनको नाम के लिये तो अर्ध-सरकारी बनाया जाय, परन्तु उन पर विभागीय संस्थाओं से भी ज्यादा नियन्त्रण सरकारी अफसरों का रहे। यहां पर केवल लाइफ इन्शोरेंस कार्पोरेशन का ही सवाल नहीं है। सिन्ध्री, स्टेट बैंक आफ इंडिया और दामोदर वैली कार्पोरेशन, इन सभी की यही स्थिति है। स्टेट बैंक आफ इंडिया का निर्माण हुआ था किसानों को कर्ज देने के लिये, लेकिन उसके बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज पर एक भी किसान नहीं नहीं है। सिन्ध्री खाद के--फर्टिलाइजर्ज (उर्वरक) के--उत्पादन की एक बड़ी फैक्टरी है, लेकिन वहां पर बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज पर एक भी किसान नहीं है। दामोदर वैली कार्पोरेशन की भी यही हालत है। अभी कल मंत्री महोदय ने कहा कि उस योजना के अन्तर्गत करीब ११ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने की बात थी, लेकिन केवल १,४५,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हुई है और बिहार में तो एक एकड़ की भी सिंचाई नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि इन संस्थाओं में ऐसे लोग होते हैं, जो समस्याओं को नहीं समझते हैं और इस वजह से काफी तकलीफ होती है और इससे सरकार को भी प्रगति करने में सहूलियत नहीं होती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सब कार्यों को बहुत हुशियारी के साथ करना चाहिये। मुझे हर्ष है कि जब से श्री मोरारजी भाई आए हैं, तब से उनक मंत्रालय में काफी उन्नति हुई है और आगे भी होने की सम्भावना है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : तो फिर उनको फाइनेंस मिनिस्टर (वित्त मंत्री) बना दिया जाय ?

डा० राम सुभग सिंह : चाहे जिसको बना दीजिये ।

इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से यहां पर लाइफ इन्शोरेंस कार्पोरेशन के सम्बन्ध में जांच हुई,उसी तरह काश्मीर के बारे में यहां दिल्ली में जो कार्यवाहियां हो रही हैं, उनकी भी जांच की जानी चाहिये । मुझे इस बात की भी खुशी है कि काश्मीर के बारे में जिस नीति को अपनाने का हम लोग आग्रह करते थे, आज वही नीति अपनाई जा रही है । ग्राहम साहब आये हैं । उनसे हमको इस सम्बन्ध में साफ शब्दों में बात करनी चाहिये । आज ही एक क्वेस्चन (प्रश्न) आया था कि मैसर्ज बिन्नी, डीकन एण्ड गोर्ले आफ लंडन और मैसर्ज हार्जा इंजीनियरिंग कम्पनी ऑफ यू० एस० ए० सीधे पाकिस्तान से बात करते हैं और उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में मंगला डैम बनाने के विषय में बातचीत की है । ग्राहम साहब अमरीका और इंग्लैंड की सरकारों को क्यों नहीं समझाते ? ऐसा न करके वह बराबर दिल्ली से कराची आ जा रहे हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि आतिथ्य-सत्कार के अलावा उनसे कोई बात नहीं करनी चाहिये । छागला साहब ने जिस मुस्तैदी से लाइफ इन्शोरेंस कार्पोरेशन के मामले की जांच की, उसी तरह से दिल्ली में जो काश्मीर के बारे में जो कारनामे हो रहे हैं और जो बहनें यहां पर प्रचार कर रही हैं, उनकी जांच होनी चाहिये और उन पर काफी नियन्त्रण होना चाहिये । उसी तरह से इस बारे में बड़ी भी कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये । आज तक उनका बहाना था कि शेख साहब जेल के अन्दर हैं, लेकिन अब तो वह बाहर आ गये हैं । इसकी मुझे खुशी है । उनके व्यक्तित्व के प्रति मुझे काफी श्रद्धा है, लेकिन देश के प्रति श्रद्धा और वफादारी रखने के कारण मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति की कद्र नहीं कर सकता, जो कि अपने देश के हित के साथ अपने हित को मिला न चले । ऐसे व्यक्ति के विषय में हम लोगों को कोई व्यक्तिगत कद्र की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिये । इसलिये यदि दिल्ली में कोई इस तरह की हरकत होती है, तो सरकार को बड़ा कड़ा कदम उठाना चाहिये और दिल्ली से ऐसे तत्वों को हटा दिया जाना चाहिये, जो कि यहां पर बैठे-बैठे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं ।

जहां तक गोआ का सम्बन्ध है, पहले वहां से आने जाने की सहूलियत थी । गोआ के लोग आसानी से यहां आते थे और हम लोग भी जाते थे । चूंकि वहां पर ऐसी सुविधा थी , इसलिये भारत सरकार को सत्याग्राहियों को भी आने जाने देने में कोई अड़चन नहीं करनी चाहिये थी । उस वक्त १९५५-५६ में—हम लोगों ने मान लिया कि सरकार वहां के बारे में कदम उठायेगी, लेकिन दो तीन वर्ष हो चुके हैं और कोई कार्यवाही नहीं की गई है । इस बीच में सरकार को कोई निश्चित कार्यवाही करनी चाहिये । थी । अगर हमारे घर में कोई चोर घुसे, तो हम यह घोषणा नहीं करेंगे कि चोर कितनी ही चोरी करे, हम कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे । अगर कोई बाहर वाला अनधिकृत ढंग से आय, तो हम उसको गोली मारने को तैयार हो जाते हैं । तो गोआ हमारा अंग है—और इस बात की स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी गई है, इस विषय में कोई विवाद नहीं है—और वहां पर अनधिकृत ढंग से जो पुर्तगाली बैठे हैं, जो कि अच्छी बात को नहीं सुनते हैं, उनको बगैर किसी हिचक के हटा देना चाहिये, जैसे कि हम लोग चोर को हटाते हैं । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अच्छे और बुरे में भेद करना चाहिये । यह घोषणा करना कि हम कभी भी सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यह एक श्रेयस्कर बात है, लेकिन यह अच्छे लोगों के लिये है, बुरे लोगों के लिये नहीं है । गोआ के बारे में सरकार को जरा तीव्रता से और मुस्तैदी से कोई कदम उठाना चाहिये और मैं समझता हूं कि वह घोषणा वापस ले लेनी चाहिये कि चाहे कुछ भी हो जाय, हम अपनी सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे ।

[डा० राम सुभग सिंह]

केवल इम्पीरियल बैंक, लाइफ इन्शोरेंस इत्यादि का नैशनलाइजेशन (राष्ट्रीयकरण) कर के हम समझते रहे हैं कि हम समाजवादी समाज की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं इसको कोई विशेष समाजवाद की चीज़ नहीं समझता हूं। जब तक कि देश में बेकारी है, तब तक समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती है। समाजवाद का मोटा उसूल यह है कि जो आदमी काम करने लायक हैं, उनको काम देने की व्यवस्था करें और उनको काम के अनुसार ही मजदूरी दें। हमारे देश में इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आज हमारे देश में काम करने वाले लाखों करोड़ों आदमी हैं, लेकिन वे क्या काम करें, कहां काम करें, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। काम भी ऐसा होना चाहिये, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो, लेकिन ऐसा काम मिलता नहीं है। चाहे क्लर्की मिले, चाहे मिनिस्ट्री मिले, उनसे उत्पादन बढ़ने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर कोई शौक से हल चलाने का काम करे, तो उत्पादन बढ़ सकेगा। इस दिशा में यह भावना उभाड़ने में—हम असमर्थ रहे हैं। मैं समझता हूं कि समाजवाद का यही सीधा और मोटा अर्थ है और इसका प्रचार होना चाहिये और इसको ही क्रियान्वित करने का प्रयत्न करना चाहिये।

राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि इस समय तक २,१५२ सामुदायिक विकास केन्द्र खोले जा चुके हैं। वहां पर हजारों, लाखों लोगों की बहालियां हुई होंगी, लेकिन वे बहालियां बतौर एक इंस्पैक्टर के, ब्लाक डेवेलपमेंट आफिसर के, पंचायत सुपरबाइजर के, को-आपरेटिव सुपरवाइजर के या विलेज लैवल वर्कर के हुई हैं। इसके बजाय वहां के लोगों को प्रेरणा देकर, उभाड़ कर नालियां बनाने, हल चलाने, बांध बनाने इत्यादि के काम में लगायें। मैं यह नहीं कहता कि उन लोगों को काम न दिया जाय। मैं सब्स्टीच्यूट भी देता हूं। इन केन्द्रों में २,७६,००० गांव आते हैं। हर एक गांव में एक-एक आदमी को विकास सेना में रखा जाय। फर्ज कीजिए कि एक ब्लाक में सौ गांव हैं, तो उन सौ गांवों में से सौ आदमी विकास सैनिक के रूप में भरती किये जायें। हर जगह जहां जरूरत हो उनसे आप कुएं खुदवां लें, जहां आवश्यकता हो बांध बनवा लें, अगर कहीं पर आवश्यकता हो और बाढ़ आ गई हो, तो उनको आप वहां भेज सकते हैं, उनसे आप सफाई का काम करवा सकते हैं या इसी तरह से दूसरे सेवा के कार्य करवा सकते हैं। आज यह होता है कि आप आधा या $\frac{1}{3}$ हिस्सा खर्च कर देते हैं लेकिन आप यह नहीं देखते हैं कि काम होता है या नहीं। आप इस चीज को नहीं देखते हैं कि किसान काम करता है या नहीं। आप शिक्षा के लिये रुपया देते हैं लेकिन यह नहीं देखते कि स्कूल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। आप इस बात का कोई विचार नहीं करते हैं कि जो स्कूल बने हुये हैं वे धराशायी हो रहे हैं और उनकी मरम्मत होनी चाहिये। आपने कहा है कि सामुदायिक विकास केन्द्रों की संख्या इस समय २,१५२ है और भी स्थापित किये जायेंगे। आज तक इन विकास केन्द्रों के आधीन १५ करोड़ लोगों को लाया जा सका है। जिस सेना बनाये जाने का मैंने सुझाव दिया है वह कई काम कर सकती है। इन केन्द्रों के आधीन अगर आप एक-एक आदमी भी रखें और उसको एक रुपया हर रोज यानी तीस रुपया प्रतिमास भी दें तो आप देखेंगे कि इससे स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा। आज आप देखते हैं कि गांवों में मजदूरों का अभाव है, काम करने वालों का अभाव है, खेती का ह्रास होता है, खेती नहीं हो पाती है, मवेशियों को खाना नहीं मिल पाता है, सड़कों की मरम्मत नहीं होती है और इन सब चीजों में सुधार करना बड़ा आवश्यक है। यदि ये लोग रहेंगे तो वे इन अभाव अभियोगों को देखेंगे और इनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। जहां पर भी आवश्यकता होगी वहां पर इनको कार्य करने के लिये भेजा जा सकता है। आप एक सौ के बजाय पांच सौ आदमी रख सकते हैं और उनको एक रुपया रोज के बजाय आठ आना रोज मजदूरी दी जा जा सकती है। इस तरह से आप का ३६,००० के करीब ही खर्च होगा। आज आप सात साढ़े सात लाख तक एक-एक ब्लाक पर खर्च कर रहे हैं और आगे १२-१३ लाख खर्च करने वाले हैं लेकिन इसका अधिकांश भाग व्यर्थ ही जाता है और इसे अच्छी तरह से खर्च नहीं किया जाता है।

मेरे ही क्षेत्र में १२-१३ जिलों में विकास केन्द्र खोले गये हैं। उनमें से सभी में मैं गया हूं। मैंने देखा है कि उन विकास केन्द्रों में से मुश्किल से दो तीन में ही एग्रिकल्चरल ओवरसीयर हैं जो समय पर भी एस्टीमेट नहीं देते हैं। कुएं बनाने की या सड़कें बनाने की उनको जानकारी ही नहीं है। इस तरह से कठिन परिस्थिति पैदा होती है। मैं अपने क्षेत्र का ही उदाहरण देता हूं। अगर आप एक ब्लाक में १०० आदमी स्टेंडिंग रख लें तो १३ ब्लाकों में आप १३०० आदमी रखेंगे। उनसे आप दुगुना या तिगुना काम ले सकते हैं और वे इतना काम कर भी सकते हैं। इससे आपका एक लाख या डेढ़ लाख खर्चा होगा। इसका नतीजा यह होगा कि हर गांव में जो बेकारी की समस्या है वह हल हो जायेगी। इस चीज को अभी तक इस दृष्टि से नहीं देखा गया है।

दूसरी बात यह है कि जो आदेश जाते हैं उनको कार्यान्वित नहीं किया जाता है। १५ सितम्बर को एक आदेश गया था जिसमें कि यह लिखा था :

> उपस्थित लोगों में से एक गैर-सरकारी व्यक्ति को प्रधान चुना जायेगा तथा क्लेक्टर आदि कनवीनर का काम करेंगे।

आज फरवरी का महीना आ गया है लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ है। यदि इस विकास के काय में इतनी ढिलाई दिखाई जा सकती है और आदेशों को इतनी तत्परता से कार्यान्वित किया जा सकता है तो दूसरे डिपार्टमेंट्स की क्या हालत होती होगी, इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं। राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण किया है, उसमें उन्होंने शिथिलता का जिक्र किया है। शासन का अंग जिसको कि विकास कार्य करना है, सब से ज्यादा शिथिल है। सितम्बर के आदेश को आज तक कार्यान्वित नहीं किया गया है और यह फरवरी का महीना आ गया है। इस तरह से काम नहीं चल सकता है।

खेती के बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति जी ने कहा कि अनाज का उत्पादन बढ़ाने का अपूर्व प्रयास किया जा रहा है। अपूर्व के माने यह हैं कि बहुत पक्का प्रयास किया जा रहा है जो काफी नहीं है। मैं अपने यहां की बात कहता हूं। दामोदर वैली, तिलैय्या डैम, कोनार डैम, मैथन डैम ये सब डैम १९५३ में बन गये थे और इनका उद्घाटन भी हो चुका है। इन डैमों को आप लोग भी देख चुके होंगे। जहां जो जलाशय बनाये गये हैं वे समुद्र की तरह के है। लेकिन एक इंच के लिये भी सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध नहीं हुआ है। उससे बिहार में तो एक इंच भूमि भी इस पानी से नहीं सींची गई है। अगर इसी को अपूर्व प्रयास आप कहना चाहते हैं तो मैं इसको मान लूंगा। ट्यूबवैल्स का भी यही हाल है। उत्तर प्रदेश एक बहुत निराला प्रदेश है। वहां पर भी ट्यूबवैल के लिये ४५ अरोड़ रुपया खर्च किया गया था प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत। हमारे यहां भी करीब डेढ़ सौ के करीब ट्यूबवैल बने। उन ट्यूबवैल्स में से एक भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। मैंने माननीय खाद्य मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि वे मेरे साथ चल कर देखें कि किस तरह से ये ट्यूबवैल वर्क कर रहे हैं। मंत्री महोदय इस समय यहां पर नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में भी ५० प्रतिशत पानी मिला, बजाय इसके कि १०० प्रतिशत मिलता। यह कोई छिपी हुई चीज नहीं है, यह ओपन सीक्रिट है। उत्तर प्रदेश के मंत्री भी यहां बैठे हुए हैं वे सब चीज जानते हैं। जब ऐसी स्थिति है तो मैं इसको अपूर्व प्रयास मानने के लिये तैयार नहीं हूं और इस तरह के प्रयास नहीं किये जाने चाहियें।

राष्ट्रपति जी ने जनता को मितव्ययी होने का परामर्श दिया है। उन्होंने कहा है कि जन साधारण की समस्याओं को समझना चाहिये। जनता को छोटी बचत योजना को सफल बनाना चाहिये और कुर्बानी करने के लिये तैयार रहना चाहिय। जनता को स्तर्क रहने का परामर्श भी दिया गया है। जहां तक आम जनता का सम्बन्ध है उसने काफी कुर्बानी की है। उसने स्वतन्त्रता प्राप्त

[डा० राम सुभग सिंह]

करने में काफी योग दिया है। वह काफी सतर्क है। वह देश की स्वतन्त्रता को बरकरार रखने के लिये उद्यत है। विकास कार्यों में भी दिलचस्पी ले रही है और अपना योग दे रही है और जहां जरूरत होती है सरकार का प्रबल समर्थन करती है। लेकिन सरकार सतर्कता बरतने के लिये क्या कर रही है। हम सब यह भी जानते हैं कि कितनी मितव्ययता सरकार बरत रही है। सरकार के किन कामों से मितव्ययता आई है ? काफी इकोनोमी ड्राइव भी हुई है। लेकिन उसमें मैं इस समय जाना नहीं चाहता। सरकार की शानो-शौकत में कोई कमी नहीं हुई है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि कामों से मितव्ययता आई है ? काफी इकोनोमी ड्राइव भी हुई है। लेकिन उसमें मैं इस समय जाना नहीं चाहता। सरकार की शानो-शौकत में कोई कमी नहीं हुई है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि सम्बन्धी खर्च को मैं देख चका हूं। जहां सौ रुपया खर्च किया गया है उसमें से पचास रुपये तो ऐसे कामों में खर्च किये गये हैं, जो निरर्थक थे। इस तरह से मितव्ययता नहीं होती है। सरकार को चाहिये कि वह मितव्ययी हो, सतर्क रहे और बहुमत के फैसलों के अनुसार चले तथा उनकी भावनाओं को पहचाने। आज जनमत है। मैं दुबारा एल० आई० सी० का उदाहरण प्रस्तुत तो नहीं करना चाहता लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे उसको दौहराना पड़ता है। वह उदाहरण आपके सामने है। मैं चाहता हूं कि कोई भी मिनिस्टर या कोई सरकारी अफसर, बड़ा अफसर यदि देहात में जाये या दौरा करे तो वह कभी उस आदमी को अपने साथ न ले जाये, जिस व्यक्ति के बारे में वहां की जनता को सन्देह है। यह बात मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। इस तरह से आजकल हो रहा है। आजकल उन लोगों को साथ लेकर चला जाता है जो लोग वहां की जनता में तिरस्कृत हो चुके होते हैं, निंदित हो चुके होते हैं, जिन पर सरकार का दोषारोपण है। कोई मैम्बर भी अगर ऐसे लोगों को लेकर जाता है तो मैं चाहूंगा कि वह भी ऐसा न करे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आजकल नैतिकता भी गिरती जा रही है। यह बहुत बुरी बात है। नैतिकता को ऊंचा उठाना चाहिये। आजकल ऐसे लोगों को नेता बना दिया जाता है जो वैसे ही थोड़े दिनों के लिये बनाये जाते हैं। इसके दोषों की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। हमें ऐसे लोगों को नेता नहीं बनाना चाहिये। हमें ऐसे लोगों को ही नेता बनाना चाहिये जो सचमुच अपने काम के बल पर, कुछ कार्य करने के बल पर, खड़े हों। हमें नेताओं को ऊपर से नहीं लादना चाहिये, ऊपर से उनको जनता पर नहीं थोपना चाहिये।

कोओप्रेटिव की बात भी यहां की जाती है। किसी के पास एक बैल होता है किसी के पास दो होते हैं। दौरी करने के लिये वे आपस में कोओप्रेट करते हैं। किसी से मांग करके भी वे दौरी कर लेते हैं। इस तरह से छः बैलों का आठ बैलों का प्रबन्ध कर लेते हैं। इस तरह से उनमें पहले से ही आपस में सहयोग है। इस तरह से पुराने कोओप्रेटिव के जो सिस्टम हैं उनके आधार पर ही आपको सहायता देनी चाहिये। जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो सरकार के प्रिय पात्र हैं, उनको सरकार आसानी से लाखों हजारों रुपया दे देती है बड़े-बड़े फार्मों के लिये। उनमें से करीब-करीब सब डूब गये हैं या डूब रहे हैं। यहां पर आकर सरकार गलती करती है। इस आधार पर मैं यह कहता हूं कि ऊपर से थोपने के बजाय, चाहे शहरों में चाहे गांवों में, हमें काम करने वालों को ऊपर उठाना चाहिये।

हम उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं जिनका एक आधार केवल फ्लैटरी होता है। उनको बढ़ाने से हमारी प्रगति रुक रही है। आज हम ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं जिनमें कोई हिम्मत नहीं होती, जो कायर होते हैं, जो हाँ में हां मिलाने के सिवाय दूसरी बात नहीं जानते। यह चीज सरकार के लिये और देश के भविष्य के लिये खतरनाक है कि हम ऐसे आदमियों को आगे बढ़ने का मौका दें जिनका केवल एक काम है, और वह है फ्लैटरी करना।

हमारा ध्येय था कि हम दस वर्ष में सब लड़कों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दे देंगे । लेकिन अभी तक यह चीज नहीं हो पायी है । अब कहा जाता है कि तीसरी योजना के अन्त तक ऐसा कर पायेंगे । यह दुःखद चीज है कि शिक्षा के काम में वृद्धि नहीं हुई है । यह ठीक है कि स्कूलों की संख्या बढ़ी है । आप किसी ब्लाक डेवेलपमेंट के स्कूलों की लिस्ट को लें तो आप देखेंगे कि बहुत से स्कूल बढ़े हैं चाहे पढ़ने वाले हों या न हों । लेकिन जिन स्कूलों को सहायता की आवश्यकता है उनको सहायता नहीं मिलती है । शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जाता है । खड़गपुर में जो हिन्दुस्तान का सबसे अच्छा टैकनिकल स्कूल है और जो दिल्ली का पोली टैकनिक स्कूल है ये देश के लिये शान की चीजें हो सकतीं थीं लेकिन हम इनको ठीक तरह से नहीं चला पा रहे हैं । इस ओर हमको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये ।

शासन की क्षमता की ओर भी हमको ध्यान देना चाहिये । आज जो लोग अनशन करते ह उनके लिये कहा जाता है कि यह चीज गलत है । लेकिन जब आदमी को कोई और सहारा न रह जाये तो वह और क्या कर सकता है । अगर किसी के सामने कठिनाई आने पर जब वह आप से शिकायत करता है और आप उचित ध्यान नहीं देते तो उस आदमी को अनुचित कार्रवाई करने के लिये बाध्य होना पड़ता है । आपके अधिकारी किसानों से मालगुजारी वसूल करने में और नहर के अधिकारी पनवट वसूल करने में किसानों पर ज्यादतियां करते हैं, चोरी डकैतियां हो रही हैं, किसान अफसरों के पास जाते हैं तो घूस के बिना कोई कागज नहीं निकलता । कलैक्टर ही विकास अधिकारी हैं । ऐसी हालत में किसान किसके पास जाये । बाध्य होकर उनको नाजायज हरकत करनी पड़ती है । यह चीज आजकल ज्यादा तादाद में हो रही है । मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसा उपाय करे जिससे शासन की कुशलता बढ़ जाये और लोगों की जो भी शिकायत हो उस पर फौरन ध्यान दिया जाये । यदि ऐसा होगा तो किसी को अनशन करने की जरूरत ही नहीं होगी और सब कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश (शिवपुरी): कृष्णं बन्दे जगद्गुरुम् । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आशा नहीं थी कि कल ही मुझे इस अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने का सौभाग्य मिलेगा । मैं उस समय अपनी अनुपस्थिति के लिये क्षमा चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी निराशा क्यों माननीय सदस्यों के दिलों में होनी चाहिये ।

पंडित ब्रज नारायण ब्रजश : राष्ट्रपति जी ने देश की आर्थिक समस्या के सम्बन्ध में जो अपने भाव व्यक्त किये हैं इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस विषय में सदन के सदस्यों के दो मत नहीं होंगे । निःसन्देह हमारा शासन देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये सचेष्ट और सावधान है । उस दिशा में जो करना चाहिये वह करने के लिये वे उद्यत हैं । परन्तु मैं देखता हूं कि आज हमें जितनी साधन सामग्री प्राप्त है उससे देश को जितना लाभ होना चाहिये था उतना नहीं हो रहा है । इस कारण जितनी प्रगति होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई है । इसमें सन्देह नहीं कि शासन का ध्यान अर्थ की तरफ जाना चाहिये और तदनुसार राष्ट्रपति के भाषण में अर्थ का ही प्राधान्य है और यह बात भी ठीक है कि अर्थस्य पुरुषो दासः, मनुष्य अर्थ का दास है । यदि अर्थ नहीं होगा तो अनर्थ अवश्य होगा । अनर्थ को रोकने के लिये अर्थ होना आवश्यक है । परन्तु मैं देखता हूं कि समूचे भाषण में अर्थ को छोड़ कर बेचारे धर्म के लिये कोई स्थान नहीं है । अर्थ यदि धर्म से हीन होगा तो वह भी अनर्थकारी ही होगा । आज कम्पिटीशन चल रहा है अर्थ प्राप्ति के लिये । सभी पैसा पैदा करने में लगे हैं । इस सम्बन्ध में मुझे एक मराठी कहावत याद आती है :

"अखण्ड लक्ष्मी आहे कुणाची मार्गपाहे"

इस प्रकार की बुराई देश में उत्पन्न हो रही है । यहां हर एक का जीवन स्तर ऊंचा करने का नारा लगाया

[पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश]

जाता है। प्रत्येक आदमी अपना जीवन स्तर ऊंचा करने के लिये दूसरे आदमी से छीन झपट करना आरम्भ कर देता है। हर एक अपना स्तर ऊंचा करने के लिये दूसरे की जेब पर ब्लैड चलाने को तैयार रहता है। इसलिये जैसा कि मैंने निवेदन किया कि अगर राज्य में धर्म नहीं रहेगा और केवल अर्थ की ही आवाज उठायी जायेगी तो धर्म हीन अर्थ भी अनर्थ का कारण होगा।

एक माननीय सदस्य : यह राज्य का काम नहीं है।

पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश: हमारी सरकार का यह काम है क्योंकि हम रोज अपने सामने यह वाक्य देखते हैं "धर्मचक्र प्रबर्तनाय"। धर्म से मेरा तात्पर्य किसी सम्प्रदाय से नहीं है कि इस तरह से तिलक लगायें या इस तरह से दंड बैठक करें। धर्म का सीधा सा अर्थ है "यथोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः" अर्थात् जो संसार में भी हमारा अभ्युदय करे और परलोक में भी हमारा अभ्युदय करे वही धर्म है। धर्म के आधार पर कभी लड़ाई नहीं हो सकती। ये तो वे लोग लड़ते हैं जो धर्म का नाम लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। इसमें धर्म का दोष क्या है।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : धर्म के ही नाम पर बहुत सी लड़ाइयां हुई हैं।

पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश : अर्थ के नाम पर पर भी बहुत सी लड़ाइयां हुई हैं तो अर्थ को भी भट्टी में झोंक दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यहां धर्म पर लड़ाई नहीं होनी चाहिये।

पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश : लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं यह देश का दुर्भाग्य है। धर्म न होने का सबसे बुरा परिणाम आज यह हो रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसके मूल में यही चीज है कि हमारी अर्थ नीति धर्म हीन है। आज हम धर्म हीन होते जा रहे हैं। बापू जी ने देश के सामने, समाज के सामने, और कांग्रेस पार्टी के सामने गीता का धर्म रखा था। गीता का धर्म क्या है : "परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम्" अर्थात् साधुओं का परित्राण और दुष्टों का विनाश। यही मुख्य धर्म का कार्य है। जिस राज्य में साधुओं का परित्राण हो और दुष्टों का दमन हो वही राज्य श्रेयस्कर है वही कल्याणकारी है, वही धर्म की ओर ले जाने वाला है। पर आज हम देखते हैं कि इससे उलटा हो रहा है "परित्राणाय दुष्टानाम् विनाशाय च साधूनाम्"। अर्थात् जो अच्छा काम करते हैं उनको तो दबाया जाता है और जो दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, स्वेच्छाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अनाचारी हैं, वे बड़ी-बड़ी गुटबन्दियां बना रहे हैं, ऐसे लोग शासन में लोगों में घुस कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिये मेरा नम्र निवेदन यह है कि सबसे प्रथम धर्म पर जोर दिया जाना चाहिये। हमारे सामने यह वाक्य सदा चमकता रहता है "धर्म चक्र प्रबर्तनाय"। हमें धर्म चक्र प्रवर्तन करना है। हमें केवल अर्थ चक्र प्रवर्तन नहीं करना चाहिये। आज हर एक आदमी अर्थ पैदा करने का यत्न कर रहा है, पैसा कमाने में लगा है, रोटी कमाने में लगा है। हम अर्थ और काम में ही लगे हुए हैं। दिन में पैसा कमाते हैं और रात में कामना पूरी करते हैं। क्या हम इसी के लिये इस संसार में पैदा हुए हैं? इसके सिवा और क्या कोई दूसरा हमारा कर्त्तव्य नहीं है? उन हालत में तो हममें और पशुओं में फर्क ही क्या रह जायगा। हमारे वहां इस प्रकार कहा गया है :

"आहार निद्रा भय मैथुनच्च सामान्यमेतत पशुभिर्नराणाम,
धर्मोहितैषा विशेषी धर्मेणहीना पशुभिः समानाः"

फिर मनुष्य और पश में फर्क ही क्या रह जायगा। मनुष्य रोटी खाता है पशु भी घास खाता है और मनुष्य की भांति वह भी भय भीत होता है। आज हम पशुता की ओर जा रहे हैं। आज हम विनाश

की ओर जा रहे, हैं, यह मानवता का लक्षण नहीं है। मानवता का तो हम नारा लगाते हैं किन्तु बढ़े हम उसकी विपरीत दिशा में जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि गरीबों का त्राण नहीं हो रहा है। बड़े-बड़े लोग तो अपना काम करा लेते हैं और चूंकि उनकी पहुंच होती है इसलिये गड़बड़ करके भी मूंछों पर ताव देते हुए साफ निकल जाते हैं और शासन, पुलिस, मिलेटरी और नेता सब देखते रह जाते हैं और उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अभी मूंदड़ा साहब का ही मामला देख लीजिये। उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। गरीब लोगों का पैसा इस तौर पर हड़पा जाता है लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि यह बड़े-बड़े लोक कलाबाजी में बड़े निपुण होते हैं। मुसीबत गरीब जनता की है जिस पर कि आये दिन टैक्सों का भार बढ़ता जा रहा है, अपनी गाढ़े पसीने की कमाई में से वह सरकारी खजाने में टैक्स जमा करती है और दूसरी तरफ उस पैसे का अपव्यय होता है और उसको बर्बाद किया जाता है और 'माले मुफ्त दिले बेरहम' वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। धन को इस तरीके पर बर्बाद किया जा रहा है मानों वह लूट का माल हो और कोई उसका पुरसांहाल नहीं है। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई राज्य या शासन इस देश में है ही नहीं। धोखा देने की कला में जो जितना निपुण है वह उतने जोर से धोखा देकर लूट खसोट कर रहा है। राष्ट्रपति महोदय ने यदि इस बात पर जोर दिया होता, निर्देश दिया होता, कि शासन को इतना मजबूत होना चाहिये और सतर्क होना चाहिये कि वह सज्जनों की रक्षा कर सके और दुर्जनों को दंड देकर दबा सके, तो उचित होता। याद रखिये जब हमारे देश में सज्जनों की रक्षा होने लगेगी और दुर्जनों का दमन किया जाने लगेगा, गुंडे दबा दिये जायेंगे और अनाचार का यहां से उन्मूलन हो जायगा तब देश में सर्वत्र शांति और संतोष की लहर दौड़ जायगी और प्राइम मिनिस्टर महोदय की कोठी पर आज जो आये दिन भूख हड़ताल चलती है वह नहीं चलेगी। इन भूख हड़तालों और प्रदर्शनों के पीछे असंतोष छिपा हुआ है और यदि जनता को संतुष्ट रखा जाता है और गरीब और सज्जनों की रक्षा की जाती है और उनको राहत पहुंचाई जाती है तो आपको यह प्रदर्शन और प्राइम मिनिस्टर की कोठी के सामने भूख हड़ताल होती नहीं दिखाई देंगी और जो इस प्रकार की हरकत करेंगे उनके प्राण तक ले लेने के लिये जनता तैयार हो जायगी।

लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं। आज कलियुग नहीं करियुग है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कलयुग भी है। मशीन का युग है और सारे हमारे काम मशीन द्वारा चल रहे हैं लेकिन मशीन से काम लेते समय हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना है कि कहीं हम स्वयं मशीन न बन जायें। आज प्रजा-तांत्रिक जनतन्त्र का युग चल रहा है और इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि जनता को जागरूक होना चाहिये और जनता द्वारा चुने गये शासन को भी जागरूक रहना चाहिये। इनका जब आपस में ठीक से समन्वय होगा तब काम ठीक प्रकार से चलेगा। इसलिये हमारे ऋषियों ने ठीक ही कहा है :

"दंडो ही भगवान् विष्णु, दंडो नारायणः प्रभो
शश्वदूपम् महद्विभ्रन् महान् पुरुष उच्यते।"

तात्पर्य यह कि दंड ही नारायण है, दंड ही विष्णु है और दंड से ही सब कार्य चलता है लेकिन आज दंड कुंठित हो गया है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि वे लोग जो कि शासन में हैं और वहां पर कार्य करते हैं वे शासन का नाश करने के लिये दिल्ली में कान्फ्रेंस करते हैं और शासन आंखों से देखता रहता है। मैं तो यही इस पार्लियामेंट में भी इस शासन के विरुद्ध काम करने वाले लोगों को लौबी में घूमते हुए देखता हूं। मुझे पता नहीं है कि यहां भी कोई गुप्तचर विभाग रहता है या नहीं रहता है। यहां राज्य और शासन के विरुद्ध कनवैसिंग चलती ह और कार्यवाहियां चलती हैं। राज्य के विरुद्ध वे एक दूसरे के साथ मंत्रणा करते हैं और कानाफूंसी करते हैं। यह बड़े खेद और दुःख का विषय है कि मृदुला साराभाई जिन्होंने कि वर्षों कांग्रेस के अन्दर रह कर काम किया

[पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश]

आज राज्य और शासन के विरुद्ध मंत्रणा करती फिरती हैं। उनके द्वारा भारत विरोधी लिटरेचर प्रकाशित किया जा रहा है। मैं देखता हूं कि जब शेख अबदुल्ला पहले जेल में बन्द थे तो उनको बाहर निकालने की सोचते रहे और जब अब वह बाहर निकाल दिये गये हैं तो सारा काश्मीर भारत के हाथ से चला जाय, इसके लिये तैयारी और प्रयत्न हो रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि यदि उनको किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता तो पुनः उनको मिनिस्ट्री में लेकर हम अपने प्राण को बचायें, आखिर ऐसे लोगों के लिये और क्या इलाज किया जाय, उनके लिये कोई न कोई हल तो निकाला जाना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर राज्य गरीबों का त्राण करेगा तो यह किसान, मजदूर अथवा अधिकारी और क्लर्क की समस्या नहीं रहेगी। हमें ऊंचे वर्ग द्वारा जो निचले वर्ग का शोषण किया जा रहा है उसको तत्काल बन्द करना चाहिये। मझे तो जब इस सदन में कांग्रेस दल की ओर से कुछ सदस्यों द्वारा शासन की आलोचना स्पष्ट शब्दों में सुनने की मिलती है तो मुझे हर्ष होता है कि चलो शासक दल में कुछ ऐसे लोग तो हुये जो शासन को जाग्रत करने का प्रयत्न करते हैं और उसकी खामियों को दूर करने के लिये प्रयत्नशील हैं।

एक और महत्वपूर्ण चीज जिसकी कि ओर राष्ट्रपति के अभिभाषण में अगर संकेत किया गया होता तो अच्छा होता और वह है अपने देश के पशुधन की रक्षा करना। हमारे राष्ट्रपति को शासन का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाना चाहिये था। यदि हम मानवता का नारा सही अर्थ में लगाते हैं और साथ ही हम अपने आप को अहिंसक भी कहते हैं तो कम से कम यह बहुत जरूरी हो जाता ह कि इस देश में पशुओं की रक्षा की जाय और उनकी नस्ल बढ़ाई जाय। पशु हमारे राष्ट्र की महान सम्पत्ति हैं। गाय हमारा अमूल्य पशुधन है और आप किसी भी देश में चले जाइये किसी भी मत मतान्तर में गायों की हत्या नहीं की जाती है। गाय से हमें दूध, घी, मक्खन मिलता है और उसके गोबर की खाद बनती है जो कि जमीन के लिये बहुत लाभदायक है। जिस देश में गायों को मारा जाता हो वहां आप को शांति कहां देखने को मिलेगी वहां तो क्रांति ही क्रांति देखने को मिलेगी। जब लोगों को तामसी भोजन करने के लिये मिलेगा तब शांति कहां रह सकती है। खेती की उपज को बढ़ाने के लियें भी पशुधन की रक्षा करना आवश्यक है। खेती करने के लिये हमें बैलों की आवश्यकता है और बैलों को हम काट-काट कर मुद्रा विनिमय के लिये बाहर भेजें और खेती के लिये हमारे पास बैल न हों तो हमारा क्या बनेगा, उस हालत में हम ही बैल बन जायेंगे। यह अच्छा होता यदि राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश में गोसंवर्धन और गोसंरक्षण की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता। आज चूंकि हमारे देश में गोहत्या बन्द नहीं हुई है और वह चल रही है इसलिये इस देश के दो वर्गों के बीच में एक स्थायी कटुता मौजूद है और वह कटुता उसको बन्द करके हमेशा के लिये मिटाई जा सकती है। मैं तो स्वर्गीय किदवाई साहब को इसके लिये धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में गोहत्या को बन्द करने के लिये कहा था और चेतावनी दी थी कि यदि गऊ दश में नहीं होगी तो हमारे वहां क्रांति हो सकती है। मैं समझता हूं कि उनकी सी राय रखने वाले और बहुत से मित्र होंगे। मैं समझता हूं कि हमारे मौलाना आजाद भी इस का समर्थन करेंगे लेकिन एक बात मुझे जरूर खटकती ह कि मौलाना साहब तो मौलाना के रूप में ही बैठ कर अपना सब कार्य चलाते हैं लेकिन हमारे पंडित जी अपने को पंडित कहलाने में भी संकोच करते हैं और घबड़ाते हैं और इसके रहते कसे काम बनेगा। मैं तो चाहता हूं कि मौलाना, मौलाना बने रहें और पंडित, पंडित बने रह कर दोनों प्रेम और समन्वय के साथ काम को चलायें और उसके लिये किसी तरह के घबड़ाने और हिचकने की जरूरत नहीं है। हम फूलों की माला धारण करते हैं और जिस प्रकार एक माला में गुलाब, चमेली, जूही और बेला इत्यादि अनेक फूल गूंथे हुए होते हैं उसी प्रकार इस देश की नैय्या खेने के लिये भारत माता की सेवा करने के लिये सम्प्रदायों के लोग अपने-अपने मतों का

अवलम्बन करते हुए भी प्रेम की डोरी में एक साथ अपने को पिरो लें। आज जब मैं देखता हूं कि छोटे-छोटे प्रश्नों पर जैसे भाषा आदि विषयों पर देश में झगड़े चलते हैं तो मेरे दिल में एक टीस उठती है और मन दुःखी होता है कि हम लोग आज किधर बहके जा रहे हैं। सब को इस देश को सम्पन्न और समृद्ध बनाने के लिये कन्धे से कन्धा भिड़ा कर काम करना चाहिये, लेकिन उन्हें हिन्दुस्तान की चिन्ता नहीं है—उन्हें तो अपनी चिन्ता है, स्वयं की चिन्ता है। वे मानवता का नारा लगाते हैं, लेकिन काम नहीं करते है। मैं चाहता हूं कि शासन और विशेषकर शासन का कार्य करने वाले इस तरफ बहुत जोर से ध्यान दें। आज इस देश में अराजकता और अशांति बढ़ रही है, गरीबों का संरक्षण होना कठिन हो रहा है। अगर इस तरफ ध्यान दिया जायगा, तो बाकी की छोटी मोटी समस्यायें अपने आप सुलझ जायेंगी। अन्न और वस्त्र का उत्पादन बढ़ेगा, न्याय का उत्पादन भी बढ़ेगा, अर्थ का उत्पादन भी बड़ेगा और तदनुसार धर्म का उत्पादन भी बढ़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस भावना की तरफ बहुत जोर से ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि अगर शासन ने इस तरफ धीरे-धीरे ध्यान दिया, तो फिर हिन्दुस्तान की प्रगति के मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं होगी और एक दिन ऐसा आयगा, जब कि भारतवर्ष—आर्यवर्त—का प्रजातंत्रीय शासन सारे संसार के लिये एक आदर्श होगा। हमने दुनिया को एक आदर्श प्रजातन्त्र देना है। हमने संसार को एक आदर्श राजतन्त्र दिया और दिखा दिया कि हमारा राजतन्त्र—हमारा राम-राज्य—संसार में सब से श्रेष्ठ राज्य था। इसीलिये स्वयं गांधी जी ने राम-राज्य का नारा लगाया। वह महान लोक-तंत्रात्मक नेता थे। इस देश का सब से बड़ा प्रजातांत्रिक नेता होते हुए भी उन्होंने एक राजतन्त्र—राम-राज्य—का नारा लगाया। ऐसा राज्य न अमरीका ला सकता है, न रूस ला सकता है और न ही इंग्लैंड ला सकता है—यह राज्य केवल हिन्दुस्तान ला सकता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि हमने संसार में जो शांति का नारा लगाया है, वह हमारे उस राज्य का श्री गणेश है। आज हम दुनिया को निषेध कर रहे हैं कि गिरने मत जाओ, विनाश की तरफ मत जाओ, निर्माण की तरफ जाओ। अगर हम संसार को तो यह उपदेश दें और अपने घर में ध्वंस के कार्य करें, तो हमारी स्थिति उपहासास्पद हो जायगी और संसार हमारी बातों को दिखावा मात्र समझेगा।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विदेशों के लोग यहां पर आते हैं और हम उनका स्वागत-सत्कार करते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि दुनिया में फैले हुए संघर्ष और पारस्परिक विरोध को मिटाने के लिये, लड़ाई झगड़ा मिटाने के लिये हिन्दुस्तान कोई आरामगाह नहीं है। हमारा दृष्टिकोण यह नहीं होना चाहिये कि यहां आओ और दुनिया की अदावत मिटाने के लिये यहां पर दावत खाओ। वहां अदावत हो और यहां दावत हो। सिर्फ दावतों से काम नहीं चलेगा। इस देश को दावतखाना न होकर प्रेरणा का—इंस्पिरेशन का—स्थान होना चाहिये। बाहर से आने वाले यहां आ कर देखें कि मनुष्य इसको कहते हैं, देवता इसको कहते हैं। हमारी जीवन व्यवस्था ऐसी हो, ऐसा हमारा राज्य हो कि बाहर से आने वालों को प्रेरणा मिले।

हमारे दूतावासों में लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वे केवल अपना अर्थ पूरा कर रहे हैं या इस देश का भी हित-साधन कर रहे हैं। क्या विदेशों को उनके द्वारा भारतीयता का सन्देश मिलता है या नहीं ? मैं चाहता हूं कि बाहर भी हमारी प्रेरणा ठीक तरह से पहुंचे। अपने देश में हम को एक ऐसे वायु-मंडल —एट्मास्फियर—का निर्माण करना चाहिये, जिस में एक राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण हो, कन्धे से कन्धा भिड़ा कर हम लोग अपने राज्य को शक्तिशाली बनायें—चाहे वह राज्य कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे किसी अन्य पार्टी का हो। पार्टियों की हमें चिन्ता नहीं है। पार्टियां बनेंगी और मिटेंगी, देश रहेगा, —देश रहना चाहिये। पार्टियां मिटती हैं, समाप्त होती हैं, तो कल मिट जायें, कल समाप्त हो जायें, लेकिन देश रहना चाहिये, राष्ट्र रहना चाहिये। इस भावना

[पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश]

के साथ यहां हम कार्य करें। यह सदन कहलाता है। सदन का सीधा अर्थ घर है। यह मेरा घर है, अपने बन्धु-बान्धवों के साथ मिल कर इस घर को सुखी, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने की दृष्टि से हमको यहां पर स्पष्ट रूप से विचार व्यक्त करने चाहियें, आत्मीयता के साथ इस सदन के सम्मान पर मर मिटने के लिये तैयार रहना चाहिये।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराज गंज) : मैं अपने संशोधन संख्या ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, १६० तथा १६१ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन सभा के समक्ष हैं।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में शिपिंग शब्द का प्रयोग किया है और जहाज-विकास के लिए उन्होंने शुभ कामना भी प्रकट की है। परन्तु आज मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि हमारे जहाज का व्यवसाय दिन प्रति दिन अवनति की ओर जा रहा है और इस दिशा में हम उतनी प्रगति नहीं कर रहे हैं जितनी प्रगति की अपेक्षा हो सकती है।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सन् १९५७ की तरफ। १९५७ में इस दुनिया में ९९ लाख टन जहाज बने। यह फिगर ३१ दिसम्बर, १९५७ तक की है : उसमें से हमारे भारतवर्ष का हिस्सा सिर्फ २९ हजार टन का होता है, अर्थात सैकड़े में हमरा शेयर .३० है। जहां तक जहाज-उत्पादन का सम्बन्ध है, हमारी यह भयंकर स्थिति है। विश्व ने १९५६-५७ के बीच में ८४ लाख टन के जहाज बनाए, जिसमें कि जापान का हिस्सा २४ लाख टन, यू० के० का हिस्सा १४ लाख टन, वैस्ट जर्मनी का १२ लाख टन है। आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि इस एक वर्ष में—१९५७ में—जापान ने करीब ७ लाख टन ज्यादा जहाज और बनाए, यू० के० ने १० लाख टन और बनाए और वैस्ट जर्मनी ने करीब ३ लाख टन और बनाए। और हमने कितने और बनाए ? जितने जहाज हम पहले बनाते थे, हमने उससे कम बनाए। १९५७ में दुनिया में ४९·१ सिर्फ टैंकर जहाज बनाए गए, जब कि भारतवर्ष में, जो कि इतना बड़ा देश है, जिसमें तीन रिफाइनरीज (शोधनालय) हैं, एक भी टैंकर जहाज नहीं बनाया गया। यह स्थिति बड़ी शोचनीय है।

आप यह बात ध्यान में रखिये कि भारतवर्ष एक बहुत विशाल देश है, बड़ा महान देश है। मैं छोटे देशों का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। नार्वे बहुत छोटा मुल्क है। उसके पास लोहा भी नहीं है और कोयला भी नहीं है। उसने १९५७ में ११ लाख टन के जहाज बनाए। पनामा को आपने वर्ल्ड मैप पर देखा होगा। यह बहुत छोटी स्टेट है, जिसकी आबादी सिर्फ चालीस, पचास लाख होगी। उसने २२ लाख टन के जहाज एक बरस में बनाए। लाइबीरिया तो पनामा से भी छोटा है, लेकिन उसने ९ लाख टन के जहाज बनाए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे-छोटे देश नौ-नौ, दस-दस लाख टन के जहाज प्रति वर्ष बना रहे हैं, जब कि अपनी सैकंड फाइव ईयर प्लान के अन्त में हम मुश्किल से तीन लाख टन जहाज बनायेंगे।

जापान को हमने स्क्रैप बेचा। हमारे स्क्रैप से उसने अपने जहाजी व्यापार की उन्नति की। जहाज बनाए और सारी दुनिया में वे जहाज बेचे। यू० के और यू० एस० ए० जहाज बनाने में बहुत आगे थे, लेकिन आज वे पीछे हैं। जापान, जर्मनी, इटली आज सब से आगे हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में शिपिंग के सम्बन्ध में जो एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं वे फ्रांस से बुलाए जाते हैं। इस सदन में भी इस सम्बन्ध में बड़ी समालोचना हुई कि फ्रांस वाले एक्सपर्ट नहीं थे, उनको हिन्दुस्तान शिपयार्ड का काम

†मूल अंग्रेजी में।

क्यों दिया गया। उसके बाद फिर यू० के० के एक्सपर्ट बुलाए गए। साल भर हो गया है, लेकिन अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। हमारा सैकंड शिपयार्ड कहां होगा, इसकी कोई चर्चा नहीं आई है। अभी हम रिपोर्टों के चक्कर में पड़े हुए हैं और दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है।

आप कहेंगे कि हम इस शोचनीय स्थिति का कैसे सामना कर सकते हैं। सामना हम इस तरह कर सकते हैं कि इस विषय में हमारी एक डेफिनिट पालिसी और सुनिश्चित प्लैन होनी चाहिए। पांच बरस में तीन लाख टन जहाज बना कर हम देश की उन्नति नहीं कर सकते हैं। हम २४ करोड़ रुपया फूड पर खर्च करते हैं और ६०, ७० करोड़ रुपया फ्रेट के चार्ज में देते हैं। लेकिन ६०-७० करोड़ रुपया लगाकर जहाज खरीदने के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं। आपने अपने शिपयार्ड में तकरीबन चार या पांच करोड़ रुपया खर्च किया है। लेकिन उन शिपयार्ड्स की क्या अवस्था है? दुनिया में जबकि एक करोड़ टन के जहाज बने तो हिन्दुस्तान शिपयार्ड में हमने कुल जमा २९,००० टन के ११ जहाज बनाए। सात मोटर शिप बनाए ४,००० टन के। दो जहाज बनाये २,००० टन के, चार स्टीमर शिप बनाये ४,१०० टन के। इसमें एक जहाज बनाया गया था और उसके विषय में लोक-सभा में एक सवाल भी पूछा गया था। हमने एक पांच हजार टन का जहाज अंडमान की सर्विस के लिए बनाया था। यह जहाज होम मिनिस्ट्री द्वारा बनवाया गया था। हमारी एक सदस्या अंडमान गई थीं। यह बताया गया कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड में पांच हजार टन का जो जहाज बना उसका स्पेसिफिकेशन, उसकी रचना इतनी खराब थी कि पांच हजार टन के जहाज में दो हजार टन का लोहा और डालना पड़ा और तब जाकर वह जहाज सर्विसेबल बना। उसमें पहले जहां पांच हजार का कार्गो जा सकता था वहां अब सिर्फ तीन हजार का ही जा सकता है। यह हमारे शिपयार्ड की अवस्था है। इस तरह के परिमित ज्ञान से यदि हम चाहें कि भारतवर्ष में जहाजी व्यवसाय की उन्नति कर लें, तो हम नहीं कर सकते हैं। मैं कई दिनों से कहता आ रहा हूं कि जो देश जहाज के व्यापार में, जहाजों की रचना में, उसके निर्माण कार्य में तरक्की किए हुए हैं, उनसे हमें सम्बध बढ़ाने चाहिय, उनसे हमें मैत्री रखनी चाहिए। किन एक्सपर्ट्स को सरकार को भारत में लाना चाहिये और वे एक्सपर्ट कहां के हों? वे एक्सपर्ट इटली के होने चाहियें, जर्मनी के होने चाहियें, जापान के होने चाहियें। हमको इंग्लैंड के, यू० के० के या फ्रांस के एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है। ये मुल्क आज इस काम में प्रसिद्ध नहीं हैं। पीछे रह गए हैं। इस वास्त मैं चाहता हूं कि कोई नई नीति इस सम्बन्ध में आप अपनायें। हमको चाहिये कि हम अपने जहाजी व्यवसाय की ओर और अधिक ध्यान दें।

अब मैं आपका ध्यान एक बात की ओर और दिलाना चाहता हूं। वह नेवी के सम्बन्ध में है। हमारे पास एक भी नेवल शिपयार्ड नहीं है। आपने पंचशील का सिद्धान्त निकाला है और मैं उसको मानता हूं। आप शान्ति के उपासक हैं, इसको भी मैं मानता हूं। आप शान्तिमय ढंग से कार्य करना चाहते हैं, इससे भी मुझे कोई मतभेद नहीं है। लेकिन अगर आप पर आज सी साइड से हमला हो जाए तो आपको सोचना चाहिये कि हमारी रक्षा कैसे होगी। हमला करने वाला यह नहीं देखेगा कि हम पंचशील के सिद्धान्त का पालन करने वाले हैं, या शान्ति के उपासक हैं, वह तो सीधा हमला करेगा। क्या गारंटी आपके पास है कि पाकिस्तान आप पर हमला नहीं करेगा? आपके पास कोई गारंटी नहीं है। कोई भी मुल्क यह गारंटी नहीं कर सकता कि उस पर कोई भी पचास बरस तक या सौ बरस तक हमला नहीं कर सकता है। जर्मन और आपके रूसी बहुत दोस्त थे लेकिन छः महीने के भीतर ही एक ने दूसरे पर हमला कर दिया था। आज पाकिस्तान का हौसला हमला करने का नहीं हो रहा है, इसका कारण यह है कि हमारी सैनिक शक्ति उससे अधिक है। इसलिए वह हम पर हमला नहीं कर रहा है कि हम पंचशील को मानते हैं। हमारा जो सी कोस्ट है, उसका रक्षा करने की शक्ति हमारे अन्दर होनी चाहिये। यह जो इंडियन ओशन है, इसकी रक्षा करने की शक्ति भारत के पास होनी

[श्री रघुनाथ सिंह]

चाहिए और शत्रु का सामना करने की ताकत उसमें होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक नेवी का सम्बन्ध है हम किसी भी देश का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं, हमारे पास एक भी सब-मैरीन नहीं है। आपने कहा कि आप एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदेंगे। आपने यह खरीदा और इस पर २०–२५ करोड़ रुपया खर्च किया। लेकिन उसको अगर एक तारपीडो मारा जाय तो यह आपका २०–२५ करोड़ रुपया नष्ट हो सकता है। इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर बिना सब-मैरीन के, सोचा भी नहीं जा सकता। इस वास्ते मैं कहूंगा कि नेवी का जहां तक सम्बन्ध है, उसके विषय में भी एक योजना होनी चाहिए, एक प्लानिंग होना चाहिये। आज आपकी नेवी में भी जहाज हैं, अगर उनकी रिपेयर की आवश्यकता होती है तो आप उनको यू० के० भेजते हैं। हमारे पास कोई साधन नहीं हैं कि हम उनकी रिपेयर कर सकें। हमारे पास साधन नहीं हैं कि आप यहां एक भी सब-मैरीन बना सकें या एक भी माइन-स्वीपर बना सकें। इस प्रकार के जहाजों से ही सी कोस्ट की रक्षा हो सकती है। आपको चाहिए कि आप उनकी रिपेयर के साधन भी अपने पास रखें। हमारा सी कोस्ट करीब दो हजार मील लम्बा है। आज दुनिया से हमारा सम्बन्ध केवल सी द्वारा ही है लैंड द्वारा नहीं। अगर हमारे पास नेवी नहीं होगी, जहाज नहीं होंगे, तो हमारा सम्बन्ध दुनिया से नहीं स्थापित रह सकेगा। बिना सी के अगर दुनिया चाहे भी तो भी हमारी रक्षा नहीं कर सकती है। यदि पाकिस्तान आप पर आक्रमण कर दे तो दुनिया हमारी रक्षा केवल सी के रास्ते ही कर सकती है, कोई हिमालय को पार करके हमारी रक्षा के लिए नहीं आ सकता। इस वास्ते यह आवश्यक है कि हमारी नेवी स्ट्रांगेस्ट हो और सब से अच्छी नेवी हो।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इंडियन ओशन का सम्बन्ध है हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सिलोन और बर्मा भी हमारे साथ रहें और हम समान नीति अपनायें। हमारे रक्षा मंत्री बहुत दूरदर्शी व्यक्ति हैं और मैं चाहता हूं कि वह इस बात का भी ध्यान रखें। हम तीनों की ज्वाइंट पालिसी होनी चाहिए। हमारी नीति इंडियन ओशन की रक्षा करने की होनी चाहिए और उस पर हमारा आधिपत्य होना चाहिये। हमें ऐसे अधिकारों का प्रयोग करना चाहये कि हम इंडियन ओशन पर स्वतन्त्रतापूर्वक घूम सकें। आपने अखबारों में देखा होगा कि ट्रिंकोमाली, जोकि सिलोन में है, वहां पर अंग्रेजों का सब से बड़ा नेवल बेस था। सिलोन गवर्नमेंट ने जब यू० के० गवर्नमेंट पर जोर डाला और वहां से अपना बेस हटाने को कहा तो उन्होंने उसको हटाया भी। लेकिन अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर यू० के० फिर बड़ा भारी बेस बना रहा है। चार पांच रोज की बात है, यू० के० पार्लियामेंट में यह बात कही गई कि हमें फ़ार-ईस्ट में और अदन के उस तरफ नेवल बेस रखना चाहिये। यह इसलिए होना चाहिए कि इंडियन ओशन में यह है। एयर बेस और नेवल बेस का क्या मतलब है। इसका मतलब केवल इतना है कि हिन्दुस्तान पर दबाव डाला जाए और उसको तंग किया जाए। इसके सिवा और कोई इसकी वजह नहीं हो सकती। इस वास्ते मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इंडियन ओशन की नेशंस का ताल्लुक है, उनको मिल करके एक ज्वाइंट पालिसी पर चलना चाहिए और इस तरह की पालिसी अपनानी चाहिए कि वे एक-दूसरे की आक्रमण के समय मदद कर सकें और एक-दूसरे को सहायता पहुंचा सकें।

मेरे मित्र ने काश्मीर का जिक्र किया है। डा० राम सुभग सिंह जी ने भी उसका जिक्र किया है। यह ठीक है कि कोई भी मुल्क और खास तौर पर हिन्दुस्तान कभी भी किसी भी नागरिक को बहुत दिनों तक जेल में बन्द करके नहीं रख सकता। सरकार ने शेख अबदुल्ला को छोड़ दिया। डेमोक्रेसी का यही तकाजा था। लेकिन हमें यह भी देखना है कि अगर हिन्दुस्तान के खिलाफ कोई शख्स आवाज उठाता है जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो हम सब हिन्दुस्तानियों को उसका सामना करना होगा। शेख साहब ने मस्जिदों में जाकर के भाषण देना शुरू किया है। उन भाषणों का किसी भी हिन्दुस्तान

के कोने में स्वागत नहीं हो सकता है। उन्होंने फिर से साम्प्रदायिकता की अग्नि को उभारना शुरू किया है और उस अग्नि को उभारना शुरू किया जिसको कि महात्मा गांधी ने अपने खून से सदा सर्वदा के लिए शान्त किया था। महात्मा जी को हम नहीं भूले हैं और न ही उन लोगों को भूले हैं जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में अपनी जानें दी हैं। हम सब हिन्दुतानी हिन्दुस्तान की रक्षा करने के लिए और यहां पर शान्ति बनाए रखने के लिये हमेशा उद्यत रहेंगे। आपने कल के अखबारों में देखा है कि पांच सात आदमी जोकि पाकिस्तानी थे, जम्मू में गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से ऐसा सामान बरामद हुआ है जोकि सैबोटोज करने की गरज से वे लाए थे। पाकिस्तान आज यह सोचता है कि हिन्दुस्तान जो कि एक शक्तिशाली देश है, उसके लिए एक खतरा पैदा हो सकता है। मैं पाकिस्तान से यह कहना चाहता हूं कि हम भी यह चाहते हैं कि पाकिस्तान भी शक्तिशाली हो लेकिन लोकतंत्र के आधार पर, आर्थिक प्रश्नों को हल करने के आधार पर। जिस तरह से हम सब संसार के लोगों को अपना भाई मानते हैं उसी तरह से वे भी हमारे भाई हैं। पाकिस्तान के लोगों के साथ हमारे सम्बन्ध इसलिए भी अच्छे होने चाहिए कि हम सब लोग एक खून के हैं। खून-खून के पास आना चाहिए, खून को खून नहीं बहाना चाहिए।

अन्त में मेरा यह निवेदन है कि जहां तक हमारी नेवल पालिसी का सम्बन्ध है इस ओर सरकार को खास तौर पर ध्यान देना चाहिये। करीब ८० करोड़ रुपया फ्रेट के रूप में हम हर साल विदेशों को दे रहे हैं। यह ड्रेनेज बन्द होना चाहिए। अगर यह बन्द नहीं होगा तो हम संसद् सदस्य सरकार को बाध्य करेंगे कि वह इस ८० करोड़ की राशि को जोकि फ्रेट के रूप में, किराये के रूप में, फारेन एक्सचेंज के रूप में बाहर जा रही है, उसको वह रोके।

†राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा): श्रीमान्, मैंने अभिभाषण में दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि देश में अनाज का उत्पादन बढ़ना चाहिये। यह ठीक है किन्तु इसी के साथ हमें सन्तति निरोध के तरीके भी अपनाने चाहियें। क्षय रोगियों, कुष्ट रोगियों तथा हत्यारों को नपुंसक बना दिया जाये ताकि वे बच्चे न पैदा कर सकें।

इसके अतिरिक्त अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अन्य देशों में आबादी बहुत ही कम है अतः हम भारतीयों को वहां भी भेज सकते हैं। जापानी भी ऐसे क्षेत्रों में जाकर बस रहे हैं।

गोआ के बारे में संभवतया मेरी बातें लोगों को पसन्द न आयें। हमें चाहिये हम पुर्तगाल से मैत्रीपूर्ण सन्धि करलें ताकि उसके अफरीका के उपनिवेशों में भारतीयों को भेज दें। इस प्रकार अफरीका की पुर्तगाली बस्तियां भी हमारी हो जायेंगी।

इसके अतिरिक्त मैं चाहता हूं कि भारत को समस्त धर्मों का केन्द्र बनाया जाये। हम परम श्रेष्ठ पोप से प्रार्थना कर सकते हैं कि वह सर्दी में गोआ को अपना ठिकाना बनायें तथा गर्मियों में रोम रहें। सिखों का धर्मस्थान अमृतसर है। मुसलमानों का अजमेर तथा बौद्धों का गया इत्यादि हैं ही।

आबादी कम करने के बारे में मैंने सुझाव दे ही दिये हैं। हमें रोगियों को कहना चाहिये कि बच्चे पैदा न करें।

पहले मैंने राष्ट्रपति के छत्र पर आपत्ति की थी किन्तु अब स्थिति बदल गई है। उन्होंने मुझे राष्ट्रपति भवन में बुलाया था तथा मेरे मानव प्रेम के धर्म के बारे में जानकारी ली थी। अब मैं यह समझता हूं कि संभवतया वह हमारा धर्म स्वीकार कर लें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[राजा महेन्द्र प्रताप]

अब विश्व शान्ति की बात सब से महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं कि हमारी सैनिक शक्ति मजबूत होनी चाहिये। आपको पता होगा कि जर्मनी तथा जापान की सैनिक शक्ति कितनी थी किन्तु दोनों का नाश हो गया। सेनाओं से ही किसी देश की रक्षा नहीं हो सकती।

यह भी गलत है कि सह-अस्तित्व या पंचशील से ही शान्ति हो जायेगी। हमारे प्रधान मंत्री यद्यपि दिल से विश्व शान्ति बनाये रखना चाहते हैं किन्तु मैं समझता हूं कि वे भी युद्ध में पक्ष ले रहे हैं। जब हमारा देश राष्ट्रमंडल का सदस्य है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि हम तटस्थ हैं। अतः यह पंचशील आदि की बातें लोगों को धोखा देने के लिये हैं। विश्व शान्ति का एक ही तरीका है कि विश्व का एक संघ बने। हमें विश्व संघ को अपना धर्म बना लेना चाहिये जैसे रूसियों ने साम्यवाद को बना रखा है। यूरोप के छोटे-छोटे राष्ट्र रूस तथा अमेरिका से घृणा करते हैं। उनकी इच्छा है कि कोई नई बात पैदा होनी चाहिये। विश्व संघ से समस्त राज्यों की सुरक्षा होगी। मैं चाहता हूं कि होनोलूलू उस विश्व सरकार की राजधानी बने। पांच स्वायत्त राज्य हों अर्थात् एशिया, यूरोप, अफरीका, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका। यूरोप की राजधानी जेनेवा हो इत्यादि। मैं जानता हूं कि इस योजना को सभी लोग पसन्द करते हैं। लेटिन अमरिकी, अमरीकियों तथा रूसियों से घृणा करते हैं। वे सब विश्व संघ की बात को सुनेंगे तथा उसे स्वीकार करेंगे।

इधर मैं ईरान, अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया में भी घोड़े पर चढ़कर हजारों मील घूमा हूं। ये सब लोग भी रूस से घृणा करते हैं। यदि रूस, अमेरिका तथा इंगलैंड उसमें सम्मिलित न भी हों तो भी हम सब मिलकर उन्हें चुप रहने के लिए बाध्य कर सकते हैं।

मैं यह नहीं समझता कि लोग क्यों धर्म के आधार पर लड़ते हैं। धर्म की बिना पर आपस में रक्तपात करना उचित नहीं है।

मैं एक बात और कहना चहाता हूं कि हमें पंजाब तथा बंगाल के एकीकरण का प्रयास भी करना चाहिये।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में राष्ट्र की दशा का जो भी चित्रण किया गया है, उसे देखकर भविष्य के बारे में जनता के मन में अच्छे जीवन की आशा उत्पन्न होना कठिन है। अभिभाषण में अधिक बल, शासन ने अभी तक जो कुछ किया है, उसकी ओर दिया गया है, जब कि यह सदन और राष्ट्र की जनता, आज हमारे सामने जो संकट खड़े हैं, उनका निराकरण किस प्रकार किया जायगा, इसके सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन की आशा करती थी। राष्ट्र-जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के जो परिणाम हुए हैं, वे हमारे सामने हैं और मुझे यह देख कर बड़ा खेद हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में राष्ट्र की सुरक्षा के लिये, एकता के लिये जो नए-नए संकट खड़े हो रहे हैं, उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

कुछ ही दिन हुए, हमारे सुरक्षा मंत्री ने एक भाषण में कहा था कि भारत शत-प्रति-शत सुरक्षित नहीं है--भारत शत-प्रति-शत सुरक्षित नहीं है। किसी देश का सुरक्षा मंत्री सार्वजनिक रूप से इस तरह के विचार व्यक्त करे, तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से खड़ा होता है कि राष्ट्र की सुरक्षा की ओर, जो कि सर्वोपरि है, ध्यान देने के लिए पूरा प्रयत्न क्यों नहीं किया गया। सभी जानते हैं कि सुरक्षा के लिए जो भी संकट हैं, वह हमारे पड़ौसी से है और वह पड़ौसी आणविक शस्त्रों की मांग कर रहा है। वे शस्त्र किस के विरुद्ध काम में लाये जायेंगे, इसके सम्बन्ध में भी किसी को सन्देह नहीं है। किन्तु प्रश्न यह है कि जहां तक परम्परागत हथियारों का प्रश्न है, क्या हमारा सैनिक-बल, हमारी शस्त्र-सज्जा किसी भी आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि

हमें किसी बड़े युद्ध की आशंका नहीं है, किन्तु पाकिस्तान के नेता अपनी जनता का ध्यान वहां की गिरती हुई आर्थिक स्थिति से दूर करने के लिये किसी भी समय काश्मीर के सवाल पर अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक हस्तक्षेप को निमंत्रण देने के लिए झगड़ा कर सकते हैं। और कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो, देश की जनता इस सरकार से यह आश्वासन चाहती है कि जहां तक पाकिस्तान के आक्रमण का सवाल है, भारत सौ फीसदी सुरक्षित है। इस सम्बन्ध में सरकार को जनता के मन में विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए।

जहां तक काश्मीर का सवाल है, बार-बार यह आश्वासन दिए जाने के बाद भी कि सरकार तब तक काश्मीर के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य विदेशी शक्ति से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है, जब तक कि काश्मीर का एक तिहाई भाग, जो कि वैधानिक दृष्टि से भारत का अभिन्न अंग है, भारत को प्राप्त नहीं हो जाता है, हम समाचारपत्रों में देख रहे हैं कि काश्मीर की समस्या के सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद् ने अपने जिन प्रतिनिधि को कराची और नई दिल्ली भेजा है, उनसे वार्ता की जा रही है। अनेक दिनों से वार्ता की जा रही है, अनेक घंटों से वार्ता की जा रही है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जिस सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव के अन्तर्गत डा० ग्राहम भारत में आए हैं, वह प्रस्ताव जब हमें अमान्य है, तो डा० ग्राहम से इतनी देर तक इतनी लम्बी वार्ता करने का क्या दुनिया यह अर्थ नहीं लगायेगी कि हमने किसी रूप में सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। ऐसा संकेत दिया गया है कि डा० ग्राहम को यह बताया गया है कि जब तक पाकिस्तान का आक्रमण समाप्त नहीं होगा, भारत कोई बात नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि डा० ग्राहम को यह बात कहने में इतना अधिक समय नहीं लगाना चाहिए था। कई घंटे बात हुई। मैं यह तो नहीं मान सकता कि मौसम के बारे में बात करने या तबियत का हाल-चाल पूछने में इतना समय लगा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक काश्मीर के प्रश्न पर हम संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य विदेशी शक्ति से बाच-चीत करते रहेंगे, तब तक काश्मीर की जनता के मन में अस्थिरता की भावना उत्पन्न होती रहेगी। उस अस्थिरता की भावना को उत्पन्न करने के लिए काश्मीर के जेल से छोड़े गए भूतपूर्व मुख्य मंत्री जिम्मेदार नहीं हैं। इस बारे में नई दिल्ली में जो कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं, उन्हें भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं। इसके लिए जिम्मेदार वह सरकार है, जिसने काश्मीर के घरेलू प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जा कर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की शतरंज का एक मोहरा बना दिया। उस गलती को स्वीकार किया गया है, यह निहायत खुशी की बात है, किन्तु अभी भी वह गलती किसी न किसी रूप में चल रही है। जब हम डा० ग्राहम से बातें करते हैं, तो जो लोग काश्मीर को भारत में मिला देने के विपक्ष में हैं, उन्हें काश्मीर की घाटी में यह प्रचार करने का मौका मिलता है कि अभी काश्मीर का भविष्य पूरी तरह से तय नहीं हुआ है। अगर हम अस्थिरता को समाप्त करना चाहते हैं, तो हमारे सामने इसके सिवाय कोई चारा नहीं है कि हम काश्मीर के सवाल पर किसी भी विदेशी शक्ति से बात करना बन्द कर दें और संयुक्त राष्ट्रसंघ को स्पष्ट शब्दों में सूचित कर दें कि तुमने काश्मीर के सवाल पर हमारे साथ न्याय नहीं किया, इसलिए हम वह सवाल सुरक्षा परिषद् से वापस लेते हैं। यदि यह कहा जाय कि जो प्रश्न सुरक्षा परिषद् में ले जाया जाता है, वह वापस नहीं लिया जा सकता, तो मेरा निवेदन यह है कि हम वहां पर बात-चीत करने से इन्कार कर सकते हैं। पाकिस्तान अगर चाहे, तो वह वहां पर शिकायत ले जाय, लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, काश्मीर के प्रश्न पर हमें किसी भी प्रकार की बात-चीत करने से इन्कार कर देना चाहिये।

दूसरा सुझाव मैं यह रखना चाहता हूं कि शेख अब्दुल्ला के विचारों में जो आकस्मिक परिवर्तन हुआ है, जो बड़ा दुखदायी है, यद्यपि वह अप्रत्याशित नहीं है; मेरी पार्टी——भारतीय जनसंघ ने उसकी चेतावनी पहले से दी थी और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि जब कभी काश्मीर के सवाल

[श्री वाजपेयी]

पर हमारी सरकार जो कोई घोषणाएं करती है, जिन्हें करने का आग्रह इसी सदन में खड़े हो कर स्वर्गीय डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी किया करते थे, तो मुझे लगाता है कि यदि प्रारम्भ में ही हमने ऐसी सही नीति अपनाई होती, तो इस प्रकार का बलिदान हमें न देना पड़ता, और यह जो नया संकट खड़ा हो गया है, न वह खड़ा होता। लेकिन जो भी संकट खड़ा हुआ, वह इसलिए खड़ा हुआ कि हमने काश्मीर को पूरी तरह से भारत में मिलाया नहीं। हमने जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा और शेख अब्दुल्ला ने काश्मीर की जनता के मत को भारत के पक्ष में खड़ा करने के लिये अपनी कीमत मांगी और जब वह कीमत हम पूरी नहीं दे सके, तो राष्ट्रवादी शेख अब्दुल्ला सम्प्रदायवादी के रूप में हमारे सामने आ गए। आज भी यदि शेष भारत और काश्मीर के बीच में खाई रखी जायगी, तो फिर उस खाई का कोई लाभ उठायगा, फिर से नया संकट खड़ा होगा। हमें उस खाई को पूरी तरह से पाट देना चाहिये। भारत के संविधान को पूर्ण रीति से काश्मीर पर लागू करना चाहिये। काश्मीर के विकास के लिए हम केन्द्र से करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। यह आवश्यक है, क्योंकि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उसके विकास का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है। किन्तु यह रुपया ठीक तरह से खर्च होता है या नहीं, इसकी जांच करने का आडिटर जनरल को अधिकार होना चाहिये। काश्मीर की संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया है, मगर उसे कार्यान्वित नहीं किया गया है। अभी तक हमारा आडिटर जनरल काश्मीर के हिसाब किताब की जांच नहीं कर सका। काश्मीर में जो भी चुनाव होते हैं, वे भारत के चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होते। यदि हमारे चुनाव आयुक्त इस योग्य हैं, इतने निष्पक्ष हैं, कि उन्हें सूडान में चुनाव कराने के लिये बुलाया जा सकता है और वह सूडान जा सकते हैं तो श्रीनगर में उनको बुलाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत का संविधान अपने नागरिकों को जहां मूलभूत अधिकार प्रदान करता है वहां जम्मू व काश्मीर की जनता को उन अधिकारों से भी वंचित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट को पूरे अधिकार नहीं हैं कि वह वहां के नागरिकों की अपीलों को सुन सके। ये बातें हैं जो भारत और काश्मीर की जनता के बीच में भेद पैदा करती हैं, जो द्वैत की भावना जगाती हैं। उस द्वैत की भावना का लाभ उठा कर शेख अबदुल्ला का विकृत रूप हमारे सामने आ गया है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अद्वैत को स्थान दें। जम्मू-काश्मीर और शेष भारत के बीच में किसी तरह का भेद नहीं रहना चाहिए। हां, अगर कोई दृष्टि से जम्मू काश्मीर की जनता के कुछ विशेष अधिकारों की रक्षा का प्रश्न है तो देश को उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। जहां तक मुआवजे का सवाल है या जम्मू काश्मीर में भारत के लोग जाकर जमीन खरीदें, यह सवाल है, इनके बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। इस विवाद के हल के लिये जो पक्ष आज तक भारतीय जनसंघ प्रस्तुत करता रहा है, अब और भी पार्टियां उसी की ओर आ रही हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि काश्मीर में जो भी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, उसके प्रति हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए और सरकार को यथार्थवादी नीति अपनानी चाहिए।

राष्ट्र की एकता को लेकर देश के और भी भागों में संकट खड़े हो रहे हैं। पंजाब की परिस्थिति हमारे सामने है। पांजाब में जो कुछ भी हो रहा है, कोई भी देशभक्त उसके प्रति उपेक्षा की दृष्टि नहीं अपना सकता। भाई-भाई के बीच संघर्ष हो इससे बढ़कर कष्ट की और शोक की बात और कोई नहीं हो सकती। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है और पंजाब का वर्तमान शासन उस परिस्थिति को नियंत्रण में रखने में पूरी तरह से असफल साबित हुआ है। भारत के संविधान ने राष्ट्रपति महोदय को कुछ संकटकालिक अधिकार प्रदान किए हैं। मैं समझता हूं कि पंजाब की परिस्थिति आज यह तकाजा करती है कि उन संकटकालिक अधिकारों का पंजाब में प्रयोग किया जाए, पंजाब के मंत्रिमंडल को भंग कर दिया जाय और वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया जाए। जो शासन माताओं और बहनों के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता और नहीं कर सका, जो शासन विभिन्न

सम्प्रदायों के बीच न्याय की तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर नहीं रख सका, जो शासन न्यायाधीशों द्वारा दी गई रिपोर्ट को भी कार्यान्वित नहीं कर सका, जो शासन साम्प्रदायिकता की भावना से प्रेरित है, जो शासन जनता से दूर चला गया है, वह लोकतंत्र के माथे पर कलंक है। पंजाब की जनता ऐसे शासन से छुटकारा चाहती है। केन्द्र को समय रहते पंजाब की परिस्थिति को सुधारने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए अन्यथा पंजाब की परिस्थिति काबू से बाहर हो सकती है। पंजाब में जो भी कुछ हो रहा है, उसके लिए भी सरकार की अदूरदर्शी नीतियां जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए अकाली दल के साथ एक समझौता किया था। उस समझौते के परिणाम आज पंजाब में दिखाई दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज पंजाब में ही नहीं तमिलनाड में भी एक विघटन की परिस्थिति उत्पन्न है। हमारा शासन विघटनकारी मनोवृत्तियां तोड़ने में असमर्थ साबित हुआ है और उसका परिणाम यह हो रहा है कि देश के टुकड़े-टुकड़े होने का खतरा बढ़ रहा है। कहीं भाषा के नाम पर, तो कहीं पंथ के नाम पर राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के प्रयत्न किए जा रहे हैं, उन्हें हथियार बनाया जा रहा है। अगर हम इन विघटनकारी मनोवृत्तियों का सामना नहीं कर सके तो मुझे शंका है कि हम राष्ट्र की एकता जो सभी प्रकार के विकास के कार्यों के लिए आवश्यक है, उसको कायम रखने में कहां तक सफल होंगे।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में जो भी विचार व्यक्त किए गए हैं उनसे सर्वसाधारण का समाधान नहीं हो सकता। आज हमारे सामने एक आर्थिक संकट खड़ा है। देश के अनेक भागों में भुखमरी फैल रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भूख से मृत्यु की घटनायें हुई हैं और जब वे घटनायें उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री के सामने रखी गईं तो उन्होंने कहा कि मरने वाला इसलिए नहीं मरा कि उसको खाना नहीं मिला, मगर इसलिए मरा कि उसने आम की गुठली का भोजन किया था। लेकिन गुठली का भोजन वह ही करता है जिसके घर में भोजन नहीं होता। जब उनसे पूछा गया कि क्या उस मरने वाले व्यक्ति के घर में अनाज था, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मरने के बाद अनाज नहीं मिला। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आसपास कोई सस्ते अनाज की दुकान थी, उन्होंने उत्तर दिया कोई दुकान नहीं थी। अगर सूखे के कारण देश के भिन्न-भिन्न भागों में जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, उसका सामना करने के लिए प्रभावकारी और पूर्ण उपाय नहीं उपाये गये तो यह भुखमरी बड़े पैमाने पर फैल सकती है। केन्द्र सरकार, यह विषय राज्य सरकारों का है, यह कह कर छुटकारा नहीं पा सकती। सम्पूर्ण देश एक है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के दौरे में अपने भाषण में कहा था कि अगर एक भी व्यक्ति भूख से मर जाए तो यह शासन के लिए बड़ी अप्रतिष्ठा की बात होगी। एक नहीं, अनेक मौतें भूख के कारण हो चुकी हैं। अन्न की भी कमी है और लोगों के पास अन्न खरीदने की ताकत की भी कमी है और शासन इस परिस्थिति का सामना करने में सफल नहीं हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि हम दूरगामी और अल्पकालिक दोनों तरह के उपाय अपनायें। नई दिल्ली में बैठ कर अन्न उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करने से काम नहीं चलेगा। हमारे प्रधान मंत्री कभी-कभी कह देते हैं कि अन्न की पैदावार ७० फीसदी बढ़ सकती है मगर यह नहीं बताते कि बढ़ कैसे सकती है, बढ़ाने का उपाय क्या है। अगर आंकड़े जब तक गांव से तैयार नहीं होंगे, जब तक एक-एक किसान की आवश्यकताओं का, असुविधाओं का पता नहीं लगाया जाएगा और जब तक एक परिवार के, एक ग्राम के, एक तहसील के, एक जिले के और एक प्रान्त के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जायेंगे, तब तक अन्न की पैदावार नई दल्ली में बैठकर नहीं बढ़ाई जा सकती। पहली पंचवर्षीय योजना में जो आंकड़े रखे गए थे, जांच के बाद वे गलत साबित हुए हैं और मुझे लगता है कि आंकड़ों से खेल किया जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में अनेक आंकड़े दिए गए हैं। मगर भूखे लोगों का पेट आंकड़ों से नहीं भर सकता। सरकार कहती यह है कि अन्न

[श्री वाजपयी]

की पैदावार बढ़ रही है और इसका दावा भी करती है लेकिन इसके विपरीत भूख से लोग मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूख से मरने वालों को अनाज चाहिए, आंकड़े नहीं चाहियें। अगर देश में अनाज है तो लोगों के पास उसे खरीदने की ताकत चाहिए। मैंने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के जिले, विन्ध्य प्रदेश के इलाके और बिहार के उत्तरी भागों में जाकर स्वयं देखा है कि सैकड़ों लोग सूखाग्रस्त इलाकों से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर काम की खोज में दूसरे प्रान्तों में चले गए हैं जैसे जनसंख्या का निष्क्रमण हो रहा हो। यह परिस्थिति बड़ी गम्भीर है और सरकार को इस सम्बन्ध में जितना जागरूक होना चाहिये, सरकार ने उतनी जागरूकता का परिचय नहीं दिया। अन्न की समस्या सब से प्रमुख समस्या है। आज हम विचार करें तो बाहर से अन्न मंगाने के लिए विदेशी मुद्रा का भी उपयोग करना पड़ा रहा है। उसके कारण विदेशी मुद्रा का भी संकट हमारे सामने खड़ा हो गया है। उस संकट के और भी कारण हैं और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस संकट के कारणों की जांच के लिए सरकार को एक उच्च अधिकार सम्पन्न आयोग नियुक्त करना चाहिये। मुझे विश्वास है कि अगर विदेशी मुद्रा के संकटों के कारणों की जांच की जाए तो मूंदड़ा कांड में जो सनसनीखेज तथ्यों का रहस्योद्घाटन हुआ है उससे अधिक नहीं तो मिलते-जुलते सनसनीखेज तथ्य जरूर प्रकट होंगे। १९५६ में बहुत अधिक विदेशी वस्तुओं का आयात करने के लिये लाइसेंस दिए गए। मुझे अभी पता लगा है कि १९५६ में एक फर्म को जर्मनी से चांदी जड़ी हुई सिल्वर प्लेटें मंगाने के लिये लाइसेंस दिए गए। ये चाय पीने की प्लेटें और कप थे। लेकिन सामान अब आया है। अगर १९५६ में ये लाइसेंस न दिए जाते, अगर चांदी से जड़ी और मढ़ी हुए प्लेटें और कप हमारे देश में न आते तो देश भूखों नहीं मर जाता। बगैर सोच-समझकर दूरदर्शिता के साथ हम राष्ट्र का विकास कर रहे हैं। हमने योजना बनाई है। उस योजना में हमने इतनी अधिक विदेशी सहायता की आशा की है जितनी प्राप्त नहीं हो सकती। जिस आयात-नीति का निर्धारण करना चाहिए था, नहीं किया गया और उसके परिणाम आज दिखाई दे रहे हैं। अभी भी ७०० करोड़ रुपये की कमी है। वह कमी कैसे पूरी की जायेगी।

अभी दो दिन हुए हमारे वित्त मंत्री ने राज्य-सभा में अल्पबचत योजना की सफलता के सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये हैं उनसे पता चलता है कि अल्पबचत योजना उन अंशों में सफल नहीं हो रही है। पिछले साल अप्रैल से लेकर जनवरी तक ३७ करोड़ ४ लाख रुपया एकत्र हुआ था। इससे पहले इसी समय में ४४ करोड़ और कुछ लाख रुपया एकत्र हुआ। आज जनता के पास बचत के लिए जितना धन चाहिए वह नहीं है। जो टैक्स लगाये जाते हैं उनका भी उपयोग योजना में जो बाहर की सहायता की और भीतरी साधनों की कमी है उसमें उपयोग नहीं हो पाता। वे सुरक्षा पर खर्च हो जाते हैं। महंगाई बढ़ रही है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और इस कारण सरकारी कर्मचारियों की वेतन और भत्तों की मांग बढ़ रही है। उस मांग को भी हमें पूरा करना पड़ता है। पंचवर्षीय योजना में सरकार को क्या परिवर्तन करने हैं, क्या संशोधन करने हैं उनके सम्बन्ध में कोई निश्चित राय नहीं मालूम देती। कहा जाता है कि कोर आफ दी प्लान को पूरा किया जायेगा, कभी कहा जाता है कि हार्ड कोर आफ दी प्लान को पूरा किया जायेगा। परन्तु योजना का मर्म क्या है और मर्म का भी मर्म क्या है यह आज देश की जनता के लिये समझना सम्भव नहीं है। मुझे तो कभी-कभी सन्देह होता है कि क्या सरकार भी इसे ठीक से समझती है या नहीं।

योजना किसी की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। अगर हमको ऐसा दिखायी देता है कि बाहरी सहायता कम है और जो रुपया हम अन्दर से एकत्र कर सकते हैं उससे पूरा काम नहीं होगा तो हमको योजना की कांट छांट करने में संकोच नहीं करना चाहिये। योजना में हमने जो लक्ष्य निर्धारित किये

हैं यदि हम समझते हैं कि हम उनको पूरा नहीं कर सकेंगे तो आज ही हमको व्यावहारिक दृष्टि से योजना में कांट छांट कर देनी चाहिए। ऐसा करने में हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिये। लेकिन भाषण इस प्रकार के दिये जाते हैं कि जो भी परिस्थितियां हों हम योजना को पूरा करेंगे। आज अवस्था यह है कि परिस्थितियां बिगड़ गयी हैं, बाहरी सहायता जिस परिमाण में मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है, अन्दर के साधन एकत्र करने के लिए जितने टैक्स लगाये जा सकते थे लगा दिये गये हैं। अब अधिक टैक्स नहीं लगाये जा सकते। जो आगे बजट आ रहा है यदि उसमें और टैक्स लगाये गये तो जनता में असंतोष पैदा हो जायेगा और जब जनता में असंतोष पैदा हो जायेगा तो योजना के लिए उत्साह कहां से आयेगा और जब तक जनता में योजना को सफलता के लिए उत्साह नहीं पैदा होगा तब तक योजना सफल नहीं हो सकती क्योंकि नौकरशाही के बलबूते पर कोई निर्माण कार्य सफल नहीं हो सकता। हम अपनी योजनाओं की सफलता के लिए जिस मशीनरी पर निर्भर करते हैं वह जनता की प्रतिनिधि नहीं है। वह जनता की भावनाओं का ठीक प्रतिनिधित्व नहीं करती। यदि हम चाहते हैं कि हम योजना को सफल करें और उसके लिए आवश्यक जन सहयोग प्राप्त करें तो हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए और योजना के निर्धारण और कार्यान्वन में प्रत्येक स्तर पर जनता का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। मैं समझता हूं कि यदि इस दृष्टि से प्रयत्न किये जायेंगे तो सारा देश उन प्रयत्नों में सरकार का साथ देने के लिए तैयार होगा। राष्ट्र के विकास की समस्या किसी एक दल की समस्या नहीं है। योजना की सफलता के लिये सब लोग सहयोग कर सकें इसके लिये सरकार को उचित वातावरण उत्पन्न करना चाहिये और मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि सरकार ऐसा वातावरण उत्पन्न नहीं कर सकी है। भिन्न-भिन्न समस्याओं के बारे में उसका दृष्टिकोण जनता की भावनाओं के अनुकूल नहीं है।

यहीं दिल्ली में दिल्ली पोलीटैकनीक के विद्यार्थी हड़ताल कर रहे हैं। पहल उन्होंने बीस दिन की हड़ताल की थी। वे नेशनल डिप्लोमा की मांग कर रहे थे लेकिन उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। फिर बीस दिन की हड़ताल के बाद उसी मांग को मान लिया गया। अब एक नया कांड हो गया है। यहीं पर सरकार की नाक के नीचे पोलीटैकनीक का एक विद्यार्थी कालिज की इमारत के ऊपर से उसके प्रांगण में गिर कर आत्महत्या कर लेता है। यह किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके कारणों की जांच की जानी चाहिए। प्रायः विद्यार्थियों को अनुशासन-हीनता के लिए दोष दिया जाता है। लेकिन अनुशासन तभी उत्पन्न होता जब कि उसके लिए खास व्यवस्था की जाये। सरकार को विद्यार्थियों की आशाओं और आकांक्षाओं की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यदि सरकार अपना दृष्टिकोण बदलेगी तो उसे जनता का सहयोग मिलेगा अन्यथा उसको वांछित सहयोग नहीं मिल सकता।

श्री कोरटकर (हैदराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिये जो स्वागत का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बहुत ही अच्छी तरह से यह चीज हमारे सामने रखी है कि किस प्रकार हमारी कृषि और उद्योगों की पैदावार में वृद्धि होती गयी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने दो खास कठिनाइयों का भी जिक्र किया है, एक तो मुद्रास्फीति की ओर दूसरी विदेशी मुद्रा की। इन कठिनाइयों को भी कम करने में हमारी सरकार बहुत कामयाब हुई है। अन्य वक्ताओं ने इन पैदवारों के विषय को सदन के सामने बहुत अच्छी तरह से रखा है। मैं सिर्फ एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं और वह यह है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस बात को भी बतलाया है कि हमारे वैज्ञानिक ऐसी परिस्थितियों में आ गये हैं कि साल दो साल के अन्दर एटम बम भी तैयार कर सकेंगे।

[श्री कोरटकर]

यह जो एक उन्नति हुई है उसकी तरफ मैं बहुत ज्यादा तवज्जह दिलाना चाहता हूं। ऐटामिक इनरजी आगे आने वाली दुनिया में एक बहुत भारी शक्ति होने वाली है और इसके कारण दुनिया के बहुत से क्षेत्रों में उन्नति होगी। हमारे हिन्दुस्तान में दूसरे देशों के मुकाबले में शक्ति के साधन बहुत कम हैं। दूसरे देशों में बहुत सा कोयला है, तेल है और पानी से भी बिजली पैदा की जाती है। ये सब चीजें दूसरे देशों के मुकाबले में हमारे यहां बहुत ही कम हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए अगर हमको कोई बड़ा साधन मिल सकता है तो वह ऐटामिक इनरजी (अणु शक्ति) से ही मिल सकता है। इस बात के लिये वैज्ञानिकों को बधाई देनी चाहिये कि उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। हम को अपने को भी इस सौभाग्य के लिये बधाई देनी चाहिए कि हमारे यहां बड़े पैमाने पर ऐटामिक इनरजी पैदा हो सकती है और उसको काम में लाया जा रहा है। हमारे वैज्ञानिक इस हद तक उन्नति कर चुके हैं कि अपने ही देश में रिएक्टर बना सकते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए मैं उनको बधाई देता हूं।

इसके साथ ही साथ एक चीज के बारे में मैं खास तौर से सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि अभिभाषण में यह भी कहा गया है कि यद्यपि हम ऐटम बम बनाने की स्थिति में आ गये हैं और साल दो साल में उसको बना सकते हैं, लेकिन हम उसे नहीं बनायेंगे, इसके टैस्ट हम नहीं करेंगे और इसको कभी भी इस्तैमाल नहीं करेंगे। यह चीज बहुत सही है और बहुत अच्छी है। यह हमारी विदेश नीति के अनुसार है। किन्तु मेरा इसमें थोड़ा-सा मतभेद है। सम्भव है कि उस मतभेद को पूरा करते हुए भी हम अपनी विदेश नीति पर पूरी तरह से कायम रह सकें। यदि इस बात को खुले में कहा न जाता कि हम ऐटम बम बनाने के लिये तैयर हो चुके हैं तो शायद बहुत अच्छा होता। लेकिन अब यह कहने के बाद फिर यह कहना कि हम इसको बनायेंगे नहीं, हम इसको टैस्ट नहीं करेंगे और हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें जरा कमजोरी प्रकट होती है। वातावरण थोड़ा बिगड़ जाता है। इसलिए मैं सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं और वह यह कि यदि हम ऐटम बम बनाने की स्थिति में हैं तो हमारी सरकार को इसकी तरफ प्रयत्नशील होना चाहिये, और उसको बनाना चाहिए, और बनाने के बाद दुनिया के सामने उसको रख देना चाहिए कि हमने भी ऐटम बम तैयार कर लिया है। ऐटम बम का किसी देश में होना एक खास तरह का वातावरण पैदा करता है। दूसरे देशों के लिये और साथ ही अपने देश के लिये भी यह वातावरण एक तरह से उठाने वाला होता है। दुनिया उन देशों की तरफ आज नजर लगा कर देख रही है जिनके पास यह बड़ा भारी हथियार है। अगर हम छोटे हथियार रख सकते हैं, अगर हम तोप और बन्दूक रख सकते हैं तो फिर बड़े हथियार को भी अपने पास रखने में किसी तरह की भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि सिद्धान्त के खिलाफ जाती हो। हमें चाहिए कि हम इसको तैयार करें और इसको तैयार करके इसके भेद को प्रकट कर दें। दूसरे देशों ने इसको गुप्त रखा है, हमें चाहिए कि इसको गुप्त न रखें, इसका ब्ल्यू प्रिंट दुनिया के सामने प्रकट कर दें कि यह हमारा ब्ल्यू प्रिंट है, टैस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने टैस्ट किया है वे इस ब्ल्यू प्रिंट को देख लें और उनको मालूम हो जायेगा कि हमने यह हथियार तैयार कर लिया है और इस समय यह हमारे पास है।

हमारा सिद्धान्त सिर्फ इसी हद तक है कि इसको टैस्ट नहीं किया जायगा और दूसरे यह कि इसको किसी पर इस्तेमाल नहीं किया जायगा। मैं इस चीज को अपनी सरकार के सामने रखना चाहता हूं। तीन चीजें इसमें कही गई हैं कि हम ऐटेमिक बम नहीं बनायेंगे, उसको टैस्ट नहीं करेंगे और उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनमें से एक चीज जो कि पहली है उसको कर लेना चाहिये। अगर हम इसके लायक हो गये हैं तो उसको बना कर दुनिया के सामने अगर हम रख देंगे तो हम भी अपने देश

की जनता का उत्साह बढ़ायेंगे और दूसरे देशों के ऊपर भी इसका असर होगा कि भारत भी एक ऐसा देश है जिसके कि पास यह हथियार मौजूद है। यही चीज मैं विस्तार से रखना चाहता था।

अब एक लोकल बात छोटी-सी है। वह भी मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह भी बताया है कि एक चौथा लोहे का कारखाना खुलने वाला है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की मदद से हिन्दुस्तान में खोला जायगा। उस कारखाने के लिये कौन-सी जगह मुकर्रर की गई है उसके बारे में मुझे अभी कुछ ज्ञान नहीं है। मैं सरकार के सम्मुख उस सम्बन्ध में यह सुझाव देना चाहता हूं कि आंध्र देश में रामागुंडम सबसे उपयुक्त स्थान इसके लिए है जहां कि यह कारखाना खोला जा सकता है। पुरानी हैदराबाद की गवर्नमेंट ने उसकी पूरी जांच की थी और यह पाया था कि वहां लोहे की कच्ची धातु बड़े पैमाने पर मौजूद है और सारे हिन्दुस्तान में यही एक जगह है जहां कच्चे लोहे के साथ-साथ उसको लगने वाली चूने और कोयले की खानें २५ मील के दायरे के अन्दर हैं और स वजह से इससे और अच्छा स्थान ऐसे कारखाने के लिए और कहीं नहीं हो सकता है।

इसमें शक नहीं है कि लोहे की धातु जो वहां की है वह इतनी रिच नहीं है जितनी कि और जगहों पर मिलती है। वहां लोहा ४० परसेंट के परिमाण में मिलता है लेकिन उसके साथ ही साथ मैं सरकार के सामने यह चीज रखना चाहता हूं कि ४० परसेंट लोहा कोई कम नहीं होता है। आज यूरोप में जो लोहे के बहुत बड़े कारखाने चल रहे हैं वहां भी लोहे की मात्रा उससे बहुत अधिक नहीं होती है। बड़ी चीज जो देखने की है वह यह है कि अगर ऐसे कारखाने के लिए कोई और जगह चनी गई है तो फिर दुबारा उस पर गौर किया जाय और अगर नहीं चुनी गई है तो यह नोट कर लिया जाय कि रामागुंडम की जगह इस कारखाने के लिए सब से बेहतर जगह होगी और वहां इस कारखाने को खोला जाये। इन चन्द शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है जो कि इस सभा में १३ फरवरी, १९५८ को उपस्थापित किया गया था।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है जोकि इस सभा में १३ फरवरी, १९५८ को उपस्थापित किया गया था।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन हेतु बैंकों के कार्यों के पुनर्विलोकन के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री रामेश्वर टांटिया के संकल्प को लेगी। अब केवल १ घंटा और ५९ मिनट शेष हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** (सीकर) : श्रीमान् अब मैं नहीं चाहता कि यह संकल्प इस समय लिया जाये। यदि आप सभा से यह कहें तो मैं अतिशय प्रसन्न होऊंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह संकल्प अभी सभा के समक्ष नहीं रखा गया है। माननीय सदस्य ने अपना भाषण भी समाप्त नहीं किया था। अब माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसे न रखें। किन्तु यदि सभा चाहती हो तो मैं सभा में इसे रख देता हूं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार): यदि उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं कि यह सभा के समक्ष रखा ही नहीं गया तो अब इसके लिये सभा की अनुमति की क्या आवश्यकता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जी हां। यह सभा के समक्ष नहीं रखा गया। अतः मामला यहीं समाप्त होता है। अब हम अगला कार्य लेते हैं।

पन्ना में हीरे की खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सम्मुख यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

> "इस सदन का यह अभिमत है कि पन्ने की हीरे की खदानों का तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाय।"

इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए मैं चाहता हूं कि सदन का ध्यान उन आवश्यक बातों की तरफ आकर्षित किया जाय जो कि इस सम्बन्ध में सदन को जाननी आवश्यक हैं। यह सदन को मालूम है कि हमारे देश में बड़ी-बड़ी हीरे की खदानें हैं। एक हीरे की खदान गोलकुंडा के पास है। एक दूसरी खदान पन्ना में है जो कि आज कल मध्य प्रदेश में है। पन्ना की हीरे की खदानों के बारे में यह आसानी से कहा जा सकता है कि इसमें ५०० वर्गमील से लेकर १००० वर्ग मील तक का क्षेत्र हीरे की खदान कहलाता है और यहां पर हीरा बराबर निकलता आया है। अभी तक यह क्षेत्र राजा महाराजाओं के शासन के अन्तर्गत था। सन् १९४८ तक विलीनीकरण के पश्चात् यह क्षेत्र अब हमारे मध्य प्रदेश के शासन के अन्तर्गत है। ऐसा दुर्भाग्य रहा कि इन हीरे की खदानों का उचित मात्रा में कोई प्रयोग नहीं किया जा सका और वहां के स्थानीय लोग ही धीरे-धीरे ऊपर की सरफेस से कुछ कंकर निकालते थे और उनसे ये हीरे निकाले जाते थे। तब भी इतने अधिक हीरे निकाले जाते रहे हैं कि जिसके सम्बन्ध में इस सदन को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा-महाराजाओं के समय में लोगों को यह भय था कि वे इस काम को उचित रीति से नहीं चला सकते हैं। इसलिए वहां पर जाकर लोगों ने इस काम को उचित मात्रा में करने का विचार नहीं किया और स्थानीय लोग ही इस काम को करते रहे।

१९४८ में जब विन्ध्य प्रदेश की स्थापना हुई, उससे कुछ पूर्व ही बम्बई की एक फर्म, जिसका नाम पन्ना माइनिंग सिन्डीकेट या पन्ना डायमंड माइनिंग सिन्डीकेट था, को पन्द्रह साल की लीज मिली और उसने वहां काम आरम्भ किया। जब विन्ध्य प्रदेश सरकार की स्थापना हुई, उस समय उसने किसी कारण से उस लीज को रोक दिया। वह काम रुका रहा। इस के पश्चात एक-दूसरे सज्जन ने इस माइन के सम्बन्ध में वार्ता की और उसको लगभग ४ लाख रुपए में खरीद लिया। पहले डायमंड सन्डीकेट का मालिक था श्री चुन्नी लाल माधव लाल। दूसरी नई फर्म उसी नाम से स्थापित हुई और उसको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बना दिया गया और उसका नाम था पन्ना माइनिंग सिन्डीकेट

---

†मूल अंग्रेजी में।

कम्पनी लिमिटेड। इस क्षेत्र में बावजूद इसके कि ५०० से १००० वर्ग मील का क्षेत्र हीरों की खदानों का है, अभी तक केवल १० वर्ग मील इस सिन्डीकेट को दिया गया। शेष इलाके में से १० वर्ग मील का क्षेत्र एक सुरेशचन्द्र शर्मा नाम की फर्म को दिया गया और तीसरा इलाका, जोकि लगभग साढ़े चार वर्ग मील है, एक तीसरी फर्म के पास था, जिसका नाम था हाजी अली मुहम्मद एंड सन्ज़। यह फर्म बहुत कदीम जमाने से काम करती रही और उसने वहां बराबर स्थानीय काम करने वालों क जरिये हीरे निकालने का काम किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान इस तरफ गया है कि सदन में सरकार की ओर से कोई नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : बैठे हैं।

सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : तीन मिनिस्टर बैठे हैं।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : पन्ने वाले नहीं हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : वही तो मैं कह रहा हूं। माइन्ज एंड नैचुरल रीसोर्सिज के मिनिस्टर नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बतलाया गया है कि वह भी आ रहे हैं। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री म० ला० द्विवेदी : जो बातें मैं बताना चाहता हूं, वे कुछ ऐसी गम्भीर बातें हैं, जिनकी तरफ मंत्री-मंडल का ध्यान आकर्षित होना चाहिए, और इसलिये जो मंत्री इस सम्बन्ध में जानकारी रखते हैं, उनको यहां होना आवश्यक है।

इस माइनिंग सिन्डीकेट के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी विचित्र घटनायें हुईं। आपको मालूम होगा कि १९४८ में विन्ध्य प्रदेश मंत्री-मंडल के एक सदस्य ने लगभग पच्चीस हजार की रिश्वत लेकर इस माइन को शुरू करने का विचार किया था। इस सम्बन्ध में वे गिरफ्तार भी हुए और उनको पांच, छः, सात साल की सजा हुई। जो कम्पनी पहले काम करती थी, उसने दस-बारह साल काम करने के पश्चात् यह नतीजा निकाला कि वहां पर ठीक तरह से लाभ नहीं उठा सकती है। इसलिए उसने केवल ४ लाख रुपए में अपनी कम्पनी एक सज्जन को बेच दी, जिनका नाम श्री एम० जी० कुलकर्नी है। आज कल वह उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कुलकर्नी ने एक पुस्तिका लिखी है, जिसका नाम है "ए शार्ट स्टडी आफ इंडियन डायमंड फील्ड्स एण्ड थाट्स आन नेशनलाइजेशन" इस पुस्तिका में उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें बतलाई हैं। मालूम पड़ता है कि उनका लक्ष्य शुरू से इस दिशा में था कि सरकार इन खदानों का राष्ट्रीयकरण कर ले। उनका अभिप्राय यह था कि किसी प्रकार से इसके बारे में इतनी पब्लिसिटी और इतना प्रचार कर दिया जाये कि तमाम भारतवर्ष और अन्य देशों का ध्यान पन्ना की हीरा खदानों की तरफ आकृष्ट हो। उन्होंने यह दिखलाया कि उन्होंने काफी परिश्रम किया है और काफी रुपया व्यय किया है। उन्होंने विदेशों के लोगों से भी बातचीत की। यहां तक कि उन्होंने निजी तौर पर रूस के कुछ विशेषज्ञ भी बुलाए। उन विशेषज्ञों ने पन्ना की खदानों को देखा और उस सम्बन्ध में कुछ जानकारी भी हासिल की। लेकिन आप जानते हैं कि उन्होंने कोई सर्वे नहीं कराया और न कोई सरवे पहले मौजूद था। हुआ यह कि इस फर्म ने अपने तरीके से उनको जानकारी कराई और यह दिखाया कि वहां पर बहुत ज्यादा हीरे निकलते हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि वहां हीरे बहुत ज्यादा निकलते हैं, लेकिन इस कम्पनी के पास कोई ऐसे साधन नहीं थे कि वह ज्यादा हीरे दिखा सकती। उसने रूसी विशेषज्ञों के सामने यह दिखाने की चेष्टा की कि पन्ना में हीरे बहुत निकलते हैं और वह बहुत

[श्री म० ला० द्विवेदी]

रिच माइन है और उसमें से लगभग दस, पन्द्रह करोड़ रुपए के हीरे प्रति वर्ष निकल सकते हैं। इस संबंध में जो यंत्र लगाया गया था, उस यंत्र में जो कच्चा माल था, उसमें कुछ ऐसे हीरे मिला दिये गये थे, जो कि पन्ना के नहीं थे। वे हीरे निकले और वे हीरे बहुत कीमती थे। अतः उस विशेषज्ञ की राय कायम हुई कि यह क्षेत्र वाकई बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। जब हीरे बिकने के लिये गये, तब पता चला कि हीरे पन्ना के खदानों के नहीं हैं। बात यह है कि जितने हीरे पन्ना के खदानों के निकलते हैं, वे सरकार के सामने पेश होते हैं, वे रजिस्टर होते हैं और सरकार को उस पर रायल्टी दी जाती है पन्ना में हीरों की जांच करने वाले ऐसे-ऐसे विशेषज्ञ हैं, जिनका संसार में हीरों की परख करने में कोई सानी नहीं है। उन विशेषज्ञों ने परख की कि ये यहां के हीरे नहीं हैं। बाद में उस पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन किसी कारणवश वह मुकद्दमा वापस हो गया और वे हीरे भी कुलकर्नी को वापस दे दिए गए।

इसके पश्चात् सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ कि हीरे की खदानों के विषय में रूस के लोगों नें बड़ी भारी राय दी है, इसलिए इस सम्बन्ध में कोशिश करनी चाहिए। परिणामस्वरूप सरकारी स्तर पर वार्ता आरम्भ हुई और रूस सरकार से हमारी सरकार ने विशेषज्ञ बुलाए। कलकत्ता के भी विशेषज्ञ---जैसे श्री उपाध्याय, श्री माथुर, श्री रत्नम् इत्यादि बुलाए गए। उन्होंने वहां पर सैम्पल-सरवे का काम किया, जिसके अन्तर्गत जगह-जगह के हीरे निकाले गए और उनकी जांच की गई। उनके नतीजे के मुताबिक यह पता लगा कि ५. कुछ कैरट के कुछ हीरे प्रति सौ टन के कच्चे माल में से निकले, जब कि कुलकर्नी का दावा था कि वहां पर १० कैरट प्रति सौ टन से कम हीरे नहीं निकलेंगें, इससे भी अधिक हीरे निकलेंगे। बात इस तरह चलती रही और सरकार को प्रलोभन हुआ कि यदि यह इतनी अच्छी चीज है, तो सरकार इसको राष्ट्रीयकरण क्यों न कर ले। इसी आधार पर मंत्री महोदय ने ७ अप्रैल, १९५६ को यह एलान किया कि पन्ना की खदानों को राष्ट्रीयकृत कर लिया जायेगा। जहां तक राष्ट्रीयकरण की बात है, मैं उसके पक्ष में हूं और इस आशय का मेरा यह प्रस्ताव भी है और मैं चाहता हूं कि वह काम, जिसके सम्बन्ध में हमने एलान किया है, जल्दी किया जाय और उसमें विलम्ब करने की क्या आवश्यकता है। अगर हम राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, तो फौरन करें। उपाध्यक्ष जी, आप यह अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर हम एक नीति का एलान करें, तो उसके परिपालन में हमको शीघ्रता करनी चाहिए। राष्ट्रीयकरण एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि जिस पर अगर हम ढील देते हैं, तो दूसरे लोग फायदा उठा जाते हैं और जनता की हानि होती है। इस मामले को लगभग दो वर्ष हो गए हैं। अप्रैल, १९५६ में इसका एलान किया गया और अब अप्रैल होने वाला है, जब कि पूरे दो साल हो जायेंगे। इस बीच में सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, जिससे जाहिर हो सकता हो कि सरकार ने ये खदानें हथिया ली हैं। यह बात कि पन्ना डायमंड सिन्डीकेट के बारे में रुपया तय करना था, कुछ मुआवजा देना था, ठीक है, लेकिन वह तो केवल १० वर्ग मील में थी, जब कि वहां ५०० से १००० वर्ग मील का क्षेत्र हीरों की खदानों का है। फिर सरकार ने यह कदम क्यों नहीं उठाए कि वहां पर काम होने लगे। बाकी जो लैसी थे, वे तो साढ़े चौदह वर्ग मील में काम करते थे। उसमें सुरेशचन्द्र शर्मा का नाम भी है और उसका भी काम बन्द पड़ा हुआ है। उसमें दूसरे लैसीस जो थे उनको भी सरकार ने रोक दिया है। मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से आर्डर दिया गया कि तुम अपना काम बन्द कर दो और काम बन्द कर दिया गया। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि इसकी वजह से लगभग ५,००० जो काम करने वाले लोग थे वे बेकार हो गए हैं। इन खानों में जो विशेषज्ञ या दूसरे लोग काम करते थे उनकी संख्या अलग है। इन विशेषज्ञों में वे लोग भी हैं जो हीरों की परख करते थे, उनकी कांट-छांट करते थे और तरह-तरह के दूसरे काम करते थे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि संसार के जो बड़े-बड़े विशेषज्ञ हैं उनकी राय यह है कि जो हीरा

पन्ना की खानों में पाया जाता है वह संसार के सर्वोत्तम हीरों में गिना जा सकता है, बड़ा मूल्यवान हीरा है, ज्यादा चमकदार है, ज्यादा आबदार है। हमारे यहां भी इसके बारे में बड़े-बड़े अनुसंधान हुए हैं और उससे भी यही बात प्रमाणित होती है। श्री सी० बी० रमन ने भी यही राय दी है कि कैम्बरली के हीरे के मुकाबले में पन्ना का हीरा ज्यादा अच्छा और ज्यादा चमकदार है। सरकार की घोषणा होने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाये गये हैं, इसका क्या कारण है, यह बात जानने का इस सदन को हक़ है। मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार उन रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखे जो रिपोर्टें कि हमारे विशेषज्ञों ने दी हैं तथा रूसी विशेषज्ञों ने दी हैं और जो रिपोर्टें सैम्पल सर्वे करने के बाद दी गई हैं ताकि सदन यह जान सके कि असल स्थिति क्या है और किस तरह से हम इन खानों का राष्ट्र के हित में उपयोग कर सकते हैं और किस तरह से उनसे लाभ उठा सकते हैं। मैं समझता हूं कि अभी भी बिलम्ब नहीं हुआ है और सरकार को शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिए। कौन-से ऐसे कारण हैं जिनको ध्यान में रख कर और घोषणा होने के बाद भी इन खानों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। क्या कारण है कि पांच हजार के करीब मजदूरों को फिर से काम पर लगाने की कोशिश नहीं की जा रही है और उनको भूखों रखा जा रहा है। ये खानें एक ऐसे राज्य के भीतर स्थित हैं जोकि पिछड़ा हुआ इलाका है और जहां पर कोई उद्योग धंधे नहीं हैं। वहां के लोगों के पास अपनी आजीविका उपार्जित करने के और कोई साधन नहीं हैं। आज से नहीं सैकड़ों बरस से वे इसी काम को करते आ रहे हैं।

कुछ क्षेत्रों से यह आवाज उठाई गई है कि वहां के लोगों ने बड़ी निफेरियस एक्टिविटीज की हैं, उनमें हिस्सा लिया है। कुलकर्नी साहब ने भी इस चीज को प्रमाणित करने की कोशिश की है और इस फर्म के कर्मचारियों को बदनाम करने की चेष्टा की है। उन्होंने यह भी कहा है कि वहां के लोग हीरे चोरी करके ले जाते हैं और इस तरह से राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान होता है। मैं सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि वहां से हीरों की चोरी का होना एक असम्भव बात है। इसका कारण यह है कि जो हीरा खान से निकाला जाता है उसकी पहले तो रजिस्ट्री की जाती है, फिर उस पर कोई चिन्ह लगाया जाता है जिससे यह पता लगता है कि यह हीरा खान से निकला हुआ है और जो बेचा जा रहा है वह हीरा ही है। अगर कोई चोरी हो सकती है तो इस तरह से हो सकती है कि जो लैसी है या सब-लैसी है वहां से कोई कारीगर कोई हीरा ले जाता है और दूसरे क्षेत्र में जाकर के एक छोटी सी लीज एक रुपये या दो रुपये पर लेकर के उसमें से और निकालता है और निकाल कर के बताता है कि मैंने यह निकाला है। इस तरह से सरकार को जो रायल्टी मिलती है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नुकसान नहीं है। यह रायल्टी बीस फीसदी मुकर्रर है। प्रत्येक हीरा वहां पहुंचता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब कुलकर्नी साहब ने चार हीरे निकाले और परीक्षा जब उन हीरों की की गई तो यह पता चला कि वे कैम्बरली और अफ्रीका के हीरे हैं। इसलिए यह दावा करना कि वहां के हीरों की चोरी होती है, बिल्कुल निराधार है, तथ्य से यह बात बिल्कुल परे है। तो इतनी बेशकीमती चीज जैसे कि हीरे जोकि इतने बड़े इलाके में, यानी १,००० वर्ग मील में फैले हुए हैं, उसकी देखभाल में सरकार क्यों उपेक्षा करती है, यह मेरी समझ में नहीं आया है।

अगर आप सिंडीकेट को मुआवजा देने में असमर्थ हैं, आपके पास रुपया नहीं है, आप उसके काम को नहीं ले सकते हैं तो बाकी जो छोटी-छोटी दूसरी हीरे की खानें हैं, बाकी के जो क्षेत्र हैं उनको तो आप अपने कब्जे में ले सकते हैं। इसमें तो मुझे कोई बाधा नहीं दिखाई देती है। यहां पर जो काम बन्द पड़ा है उसको तो आप चालू कर सकते हैं। यहां पर आप पहरा बिठा सकते हैं और काम चला सकते हैं। इस तरह से काम चालू करके आप पांच, दस या पन्द्रह हजार लोगों को काम पर लगा सकते हैं। वहां के स्थानीय लोगों से ही आप काम करवा सकते हैं। आपने जब घोषणा की थी तो मैंने उसका

[श्री म० ला० द्विवेदी]

स्वागत किया था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि सरकारी स्तर पर या छोटे सब लैसीस के जरिये से काम नहीं चालू हो सका है। जब यह इलाका विन्ध्य प्रदेश में था या उससे पहले छोटी-छोटी रियासतों में बंटा हुआ था जैसे चरखारी, अजयगढ़ इत्यादि रियासतों में उस समय यहां पर काम बड़ी अच्छी तरह से हुआ करता था और लाभ भी मिलता था। सदियों से वहां यह काम होता आ रहा है। लेकिन अब इसको क्यों चालू नहीं किया जा रहा है। आज हमें स्वतन्त्र हुए आठ दस वर्ष हो चुके हैं और तब से हमारी अपनी सरकार पदारूढ़ है। इस अर्से में एक भी लीज किसी आदमी के नाम से सरकार ने नहीं दी है, एक हीरा भी सरकारी नाम पर नहीं निकाला गया है। पूरी खानों की मालिक सरकार है तब क्या कारण है कि काम बन्द कर दिया गया है तथा छोटे छोटे लोगों को काम करने से रोक दिया गया है।

कुलकर्नी साहब ने दावा किया है कि चोरी होती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह किन आधारों पर यह कह सकती है कि वहां के लोग चोरी करते हैं और जो सिंडीकेट है और जो बाहर की एक कम्पनी है, वे लोग चोरी नहीं करते हैं। अगर दूसरे लोग चोरी कर सकते हैं तो ये लोग भी चोरी कर सकते हैं। उसकी रोकथाम के आपके पास क्या उपाय हैं। इसके बारे में आपने क्या कदम उठाये हैं। बाहर से लोग कम्पनी लेकर आये हैं और इस तरह से पन्ना के क्षेत्र से नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वे यह नाजायज फायदा न उठायें इसके बारे में आपने क्या कदम उठाये हैं। आपने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है। कुलकर्नी साहब ने मांग की है कि उनको १४० करोड़ का मुआवजा दिया जाये। जिस फर्म ने केवल चार लाख रुपया लगाया है और छोटी-सी खान खरीदी हो वह आज १४० करोड़ रुपये की मांग करती है। यह कहां का इंसाफ है, किस आधार पर वह इतने अधिक मुआवजे की मांग करती है, कौन से तथ्य उसके पास मौजूद हैं। कुछ सूत्रों से मुझे मालूम हुआ है कि सरकार ४० लाख रुपया देने को तैयार हो गई है लेकिन कुलकर्नी साहब नहीं मान रहे हैं। अगर सरकार के पास उसको मुआवजा देने के वास्ते धन नहीं है तो दूसरी छोटी खानों को तो सरकार काबू में कर सकती है। इस फर्म ने भी तीन-चार लाख लगा कर किस तरह से १४० करोड़ की मांग की है, यह मेरी समझ में नहीं आया है। ४० लाख जो दिया जा रहा है वह काफी होना चाहिये। यह फर्म नाजायज रूप से धन कमाने की कोशिश कर रही है। इस फर्म ने कुछ लोगों को ऐसा साध रखा है कि वह यह प्रमाणित करने की कोशिश कर रही है कि जो मुआवजा वह मांग रही है, वह जायज है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

मैं चाहता हूं कि इस सब चीज की जांच हो। मैं चाहता हूं कि सरकार एक कमेटी बनाए जिसमें पब्लिक के लोग हों और कुछ विशेषज्ञ हों और वे पता लगायें कि वास्तविकता क्या है। यह कमेटी इस बात का भी पता लगाये कि पन्ना की खानों में अच्छे हीरे निकल सकते ह अथवा नहीं। अगर निकल सकते हैं तो फौरन ही रोकथाम का काम होना चाहिये। यह सिंडीकेट कई प्रकार की अनधिकृत चेष्टायें कर रहा है और इस ओर सकार को ध्यान देना चाहिये। अगर आप समझते हैं कि अनधिकृत चेष्टायें नहीं हो रही हैं तो आपको काम चालू करना चाहिए। दो वर्ष का समय हो चुका है जब से आपकी घोषणा हुई है लेकिन अभी तक भी सरकार इस काबिल नहीं है कि वह यह बात दावे के साथ कह सके कि इतने दिनों के अन्दर वह इन खदानों को अपने कब्जे में कर लेगी। जो प्रस्ताव मैंने पेश किया है वह सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया है, सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए पेश किया है। मैं चाहता हूं कि इस सदन को तथा आम जनता को यह मालूम हो जाए कि हमारे पास इतने बेशकीमती हीरे और खदानें होने पर भी हम कितनी ढील दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बतलायें कि इस ढील के क्या कारण हैं और कब तक वह काम शुरू करवा देंगे। आपने जो राष्ट्रीयकरण की घोषणा की थी, वे कौन-से कारण हैं जिसके होते हुए आप

उसको अमल में नहीं ला सके हैं । आज जो कानून आपने बना रखे हैं उनके अन्तर्गत इन खदानों पर कब्जा कर सकते हैं। इस फर्म ने जो प्लांट और मशीनरी लगा रखी है वह निकम्मी है। इसका प्रमाण यह है कि जो कलकत्ते से हमारे विशेषज्ञ आये जो ज्योलोजिकल सर्वे करते हैं और उन्होंने सैम्पल सर्वे किया था और इसमें से पन्ना की खानों से और निकाल कर छाना गया तो उसमें से एक भी हीरा नहीं निकल सका। इसी ओर को जब देशी कारीगरों ने छाना अपने तरीके से तो उन्होंने हीरे निकाल बाहर किये। इससे प्रमाणित होता है कि जो प्लांट और मशीनरी इस फर्म ने लगाई है वह किसी काम की नहीं है, वह निकम्मी है। लोगों को दिखाने के लिये तथा लोगों को धोखा देने के लिये ही इसको लगाया गया है। यह सब दिखावा मात्र है और सरकार को प्रलोभन देने के लिए किया गया है और इस कारण से किया गया है कि सरकार भारी मुआवजा अदा करे। वह चाहते हैं कि सरकार इसके प्रलोभन में आ जाए और इसमें खब रुपया लगा दे, बाद में मुनाफा हो अथवा न हो । लेकिन वह रुपया सरकार का ऐसे हाथ में चला जाएगा जोकि जनहित में नहीं होगा बल्कि प्राइवेट कम्पनी के हाथ में पहुंच जायेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां पर जो भी चीज लगायी है, मशीनरी आदि, उसकी सरकार सही-सही जांच करे कि वह काम की है या नहीं। अगर वे चीजें काम की हैं तो उचित मुआवजा दिया जा सकता है। देश में अनेक प्राइवेट लिमिटेड कारपोरेशन खोले गये हैं। जिनमें सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया है लेकिन उनके द्वारा हम बहुत बड़े काम नहीं कर पाये हैं। भारत के विकास के सम्बन्ध में इन राष्ट्रीय कारपोरेशन्स ने अच्छा काम किया है किन्तु लागत के मुकाबले में लाभ नहीं हुआ है। लेकिन अगर इस काम को सरकार अपने हाथ में ले ले, और अगर कुलकर्नी का दावा ठीक मान लिया जाये, तो ११ या १२ करोड़ की आमदनी हो सकती है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य संक्षेप में कहें समय थोड़ा है।

श्री म० ला० द्विवेदी : यह सही है कि जिस समय इस प्रस्ताव के लिए समय निर्धारित किया गया था उस समय इसके लिए एक घंटा रखा गया था लेकिन मुझे आश्वासन दिया गया था कि यदि इस विषय पर अधिक वाद-विवाद की गुंजायश हुई तो यह समय बढ़ाया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण विषय है। इसमें राष्ट्रीय सम्पत्ति का सवाल है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सदन की अनुमति से इसके लिए कुछ अधिक समय दिया जाये। मैं शीघ्र ही समाप्त करता हूँ।

मेरे पास बहुत से कागजात हैं जिनसे मैं यह प्रमाणित कर सकता हूं कि हीरे की खानों के राष्ट्रीयकरण की सरकार की कितनी जिम्मेदारी है और यह काम शीघ्र से शीघ्र होना चाहिये। मैं तमाम विवरण सदन के सामने रख कर यह बता सकता हूं कि यह कितने महत्व की चीज है और हम इस पर ढील डाले हुए हैं। कोई कारण नहीं है कि जब हम दूसरी जगह करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं तो इस काम में कुछ रुपया क्यों न खर्च करें। यदि अभी सरकार यह समझती है कि इस राष्ट्रीयकरण के काम में बिलम्ब लगेगा तो मेरा सुझाव है कि जो लोग पहले हीरे का काम करते थे उनका काम चालू कर दिया जाये ताकि जो हजारों आदमी आज बेकार बैठे हैं वे बेकार न रहें। सरकार की पंचवर्षीय योजना में यह नीति भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार पर लगावें। अभी राष्ट्रीयकरण की अवधि निर्धारित नहीं हुई है। उस समय तक ये लोग बेकार बैठे रहें इसमें कोई न्याय नहीं है। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि मंत्री महोदय यह एलान कर दें कि वहां शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण किया जायेगा लेकिन जब तक यह काम न किया जा सके उस समय तक के लिए जो लोग पहले काम करते थे उनको लीज दे दी जाये ताकि वह काम शुरू कर दें।

न शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं द्विवेदी जी के प्रस्ताव का स्पष्ट रूप से समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मैं चाहता हूं कि सरकार वह कारण सदन के सामने रखे कि वह अब तक इतने महत्वपूर्ण मामले पर क्यों चुप बैठी रही । अब तक इसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया । जब यह जगह राजाओं के कब्जे में थी तो वे इससे फायदा उठाते थे । लेकिन सरकार के कब्जे में आने के बाद उस काम का राष्ट्रीयकरण न हो जहां से करोड़ों रुपये के हीरे मिल सकते हैं, यह बड़े दुःख की बात है जैसा श्री द्विवेदी जी ने बताया इस स्थान पर इस वक्त तीन फर्में हीरे निकालने का काम कर रही हैं । लेकिन मैं इन फर्मों के सम्बन्ध में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमें इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं इस तरह की कोई बात न हो जाये कि जिससे हिन्दुस्तान में दूसरा मूंदडा कांड पैदा हो जाये । ये फर्में सरकार पर कुछ दबाव डाल कर फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं । मैं कहना चाहूंगा कि इन खानों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और कहीं ऐसी बात न हो कि राष्ट्रीयकरण न होकर इन फर्मों को फिर से यह काम सुपुर्द कर दिया जाये ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक हीरों का सवाल है यह स्पष्ट है कि हिन्दुस्तान जैसे हीरे दुनिया में और जगह नहीं निकलते । हिन्दुस्तान में भी हीरे निकलने का मुख्य स्थान पन्ना है । मैं समझता हूं कि इसका नाम पन्ना इसीलिए पड़ा कि यहां पर अच्छे पन्ने और हीरे मिलते थे । तो जब यहां पर एक ऐसा स्थान है तो उस विस्तृत क्षेत्र से हीरे क्यों न निकाले जायें । कोई ५०० वर्गमील का ऐसा स्थान है जहां हीरे मिलते हैं । इस सारे क्षेत्र में से अभी तक मुश्किल से १५ या २० वर्ग मील के क्षेत्र में हीरे निकालने की कोशिश की गयी है । वहां और दूसरा बहुत-सा क्षेत्र पड़ा है जहां से हीरे निकल सकते हैं ।

जब इस सदन में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सवाल आता है, जब कपड़ा उद्योग के राष्ट्रीयकरण का सवाल आता है, जब इस्पात और लोहे के राष्ट्रीयकरण का सवाल आता है तो यह बहाने बाजी की जा सकती है कि जो लोग इन कामों को कर रहे हैं वही करें क्योंकि हमारे पास अभी इतने साधन नहीं हैं कि हम इनका राष्ट्रीयकरण कर सकें । लेकिन इस काम के राष्ट्रीयकरण न करने का क्या कारण हो सकता है । इस इलाके में जो कम्पनी काम कर रही है उसके कुलकर्नी साहब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं । इस कम्पनी में चार लाख रुपया लगाया गया है, पर आज वह किताबें छाप कर और प्रचार करके सरकार से १ करोड़ ४० लाख रुपये की मांग करते हैं । मैं सरकार को इस बारे में आगाह करना चाहता हूं कि कहीं वह इस जाल में न फंस जायें । हमें इस प्रकार के जालों से बचने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए । वह इसलिए इतना रुपया चाहते हैं कि उन्होंने वहां हीरा निकालने के लिए कुछ रद्दी-सद्दी मशीनें लगा दी हैं । हीरे निकल नहीं रहे हैं । पहले जब वहां हाथ से काम होता था तो वहां हीरे निकलते थे । आज क्या वजह है कि मशीनों के वगैर हीरे नहीं निकल सकते । मैंने सुना है कि वहां पूरे क्षेत्र में हीरे हैं जो कि हाथ से निकाले जा सकते हैं । मशीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है । मेरा स्पष्ट मत है कि सरकार पूरे क्षेत्र को अपने हाथ में ले ले और जल्दी से जल्दी इस बात की कोशिश करे कि वहां से हीरे निकाले जायें और जो लोग चार लाख रुपया लगाकर अब प्रचार करके सरकार से करोड़ों रुपया लेना चाहते हैं उनसे आगाह रहे । जब मुआवजा देने की बात आवे तो अधिक मुआवजा देने की बात नहीं होनी चाहिए । मैं समझता हूं कि चार लाख के अलावा कुछ भी देने का सवाल नहीं उठना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

वहां पहले दूसरे लोग काम कर रहे थे। कहा जाता है कि आजकल वहां हजारों मजदूर बेकार हैं। मैं चाहता हूं कि इन मजदूरों को काम मिलना चाहिए। आज देश में लाखों लोग बेकार हैं। उन को काम नहीं मिल रहा है। लेकिन इन मजदूरों को जो कि हमेशा से वहां काम कर रहे थे काम न मिलना अच्छी बात नहीं है। लेकिन यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसूल के सवाल को टाल न दिया जाये। ऐसा न हो कि राष्ट्रीयकरण के नाम पर हम और लोगों को मदद दें और वह फायदा उठाते रहें। इसलिए मेरा मत यह है कि मंत्री महोदय इस बात का एलान करें कि वह जल्दी से जल्दी राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं जिससे कि इस स्थान से बहुमूल्य हीरे निकाले जा सकें। ऐसा करके हम अपनी संपत्ति को बढ़ा सकेंगे और उन लोगों को जो हमेशा से वहां काम कर रहे हैं काम दे सकेंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें अब तक जो ढिलाई रही है सरकार की तरफ से उसकी कोई सफाई न पेश की जाये। सरकार का १४०० या १५०० करोड़ का बजट है। इस काम के लिए बहुत रुपया नहीं चाहिए। इस काम के विशेषज्ञ और काम करने वाले वहां यहां मौजूद हैं। यह काम जो नहीं हो पा रहा है इस सब का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है। दूसरे कामों के राष्ट्रीयकरण का जहां सवाल आता है तो सरकार यह बहाने बना देती है कि उस काम का राष्ट्रीयकरण करना उसकी सामर्थ्य से बाहर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार वाकई समाजवादी समाज की रचना में विश्वास करती है या अगर वाकई वह राष्ट्रीयकरण में विश्वास करती है तो मैं नहीं समझता कि पन्ना की खदानों का जो कि राष्ट्र और समाज की समृद्धि और खुशहाली का एक बहुत बड़ा साधन है, उसका राष्ट्रीयकरण न करे और उस दिशा में आवश्यक कदम न उठाये। दूसरी चीजों के बारे में भले ही कुछ कहा जाय लेकिन यह एक इस तरह की चीज है जिसमें एक मिनट के लिए भी कोई यह नहीं सोच सकता कि जिसकी सरकार खुद मालिक है, उसको निकालने के लिए, हीरा निकालने के लिए ठेके दे और ठेकेदारों को रायल्टी दे और काफी रायल्टी दे। बताया गया है कि जितने का काम होता है उसका करीब ८० फीसदी रायल्टी की सूरत में ठेकेदारों के पास चला जाता है। हमें इस सम्बन्ध में यह नहीं सोचना चाहिये कि दूसरे मुल्कों में क्या कुछ होता है। हमें तो यह देखना है कि आज ८० फीसदी जो रायल्टी में हमारा ठेकेदारों के पास चला जाता है वह उचित नहीं है। ऐसे समय में जब कि हमारे पास साधनों की कमी है, जब हमें कहा जाता है कि हम राष्ट्र निर्माण के बड़े-बड़े काम सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास साधनों की कमी है तब ऐसा अच्छा साधन जिससे कि हमें १०, ११ करोड़ रुपये सालाना की आय हो सकती है उससे क्यों वंचित रहें और हमें उसको जरूर लेना चाहिए।

इन शब्दो के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : रूसी विशेषज्ञों ने भी अपने प्रतिवेदन मे यह बताया है कि यहां बहुत पन्ना पाये जाने की आशा है। माननीय मंत्री ने भी, १९५६ में, सभा में एक बार कहा था कि सरकार उन खानों का राष्ट्रीयकरण करने की सोच रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इन दो वर्षों में सरकार ने इस दिशा में क्या किया है? सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। भारत की प्रगति के साथ ही साथ उद्योगों में हीरों का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। और हमें उसके लिये हीरों का आयात करना पड़ता है जबकि कभी हमारा देश अपने हीरों के लिये विश्वविख्यात था।

१७वीं शताब्दी में, एक फ्रेंच यात्री तावेरवियर ने भारत का वर्णन करते हुए लिखा था कि गोलकुंडा की हीरों की खानों में लगभग ६०,००० मजदूर काम करते थे। लेकिन, आज हमें उनका आयात करना पड़ता है। प्रतिवेदन में बताया गया है पन्ना का क्षेत्र हीरों से अत्यधिक सम्पन्न है। वहां १,००० फीट की गहराई तक हीरों के निक्षेप हैं। रूसी विशेषज्ञों का अनुमान है कि वहां ४० करोड़ से ७०

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वें० प० नायर]

करोड़ रुपयों तक के मूल्य के हीरे निकल सकते हैं। उनका अनुमान है कि वहां के कुछ अन्य निक्षेप तो इससे भी अधिक सम्पन्न हैं। इसके लिए, उस क्षेत्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण कराना चाहिये ।

लेकिन हमारे देश में अभी तक हीरों के लिये अधिक गहरी खुदाई नहीं की जाती। धरती की ऊपरी सतह से ही हीरे निकाले जाते हैं। जबकि किम्बरली की खानों में ३,५०० फीट गहराई तक खुदाई होती है, हमारे देश में वह ३० या ४० फीट से आगे नहीं बढ़ती। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि पन्ना क्षेत्र में पाये जाने वाले हीरों में से ४० प्रतिशत औद्योगिक उपयोग के हैं और ६० प्रतिशत बहुमूल्य जवाहिरातों की कोटि के हैं। गैर सरकारी उद्योग को इससे अधिक दिलचस्पी नहीं होगी।

सरकार के पास अपने भूतत्वशास्त्रियों का दल मौजूद है। उस दल को इस क्षेत्र में अधिक तेजी से काम आगे बढ़ाना चाहिए। देश को औद्योगिक उपयोग के हीरों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। इसके लिये, उन खानों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। श्री द्विवेदी ने एक समवाय विशेष पर कुछ दोषारोपण किये हैं। आशा है कि माननीय मंत्री अपने भाषण में उनका उत्तर देने के साथ ही साथ इन खानों को अभी तक राष्ट्रीयकृत न करने का कारण भी बतायेंगे। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि प्राचीन भारत के हीरों से सम्पन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया जाये ? सरकार को सर्वेक्षण ही नहीं, बल्कि हीरों के अनुसन्धान और उनको खानों से निकालने का दायित्व भी अपने ऊपर लेना चाहिये।

†**श्री मोतीलाल मालवीय** (खजुराहो-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, हीरा वैसे संसार में सब से ज्यादा कीमती चीजों में एक चीज माना जाता है। पन्ना, जहां यह हीरा पाया जाता है, उसी स्थान से मैं चुन कर आया हूं।

†**श्री मथुरा प्रसाद मिश्र** : आप भी हीरे हैं।

†**श्री मोती लाल मालवीय** : जनाबे आली मैं मोती हूं।

वह जो भूमि है वह रत्नगर्भा है और उस भूमि के पेट में बहुत ही कीमती रत्न भरे हुए हैं। सन् १९५५ में रूस से एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) लोगों की एक कमेटी आई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि लगभग ४० मील लम्बो और आध मील चौड़ी जो जगह है, यानी ३२० वर्गमील जो जगह है, पन्ना के आसपास, वहां हीरा बहुतायत से मिलता है।

यह बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाती है कि जब हीरा इतनी कीमती चीज है, तो वह कुछ लोगों के हाथ में क्यों रहे ? क्यों न वह एक समूह की सम्पत्ति बन जाये ? और समूह से भी आगे बढ़ कर क्यों न वह पूर्ण राष्ट्र की सम्पत्ति बन जाये ? इस विषय में किसी मतभेद की गुंजाइश नहीं है। और हमारे राष्ट्र के लिए यह और भी आवश्यक है, क्योंकि हमें अपनी पंच-वर्षीय योजना को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। इसलिए यह बात तो सही है कि हम ऐसी सब चीजों का राष्ट्रीयकरण करें। लेकिन राष्ट्रीयकरण करने की जो बात है, वह सिद्धान्त से तो बहुत ही भिली और सुनने में बहुत ही सुन्दर लगती है, लेकिन जहां तक उसका व्यावहारिक पहलू है, अभी आपके सामने द्विवेदी जी और दूसरे मेम्बरों ने जैसा कहा, वह अभी तक व्यावहारिक रूप धारण नहीं कर पाई। इस व्यावहारिक पहलू पर हमको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि घोषणा करना जितना आसान होता है, या सिद्धान्त पर लुभा जाना जितना आसान होता है, उस विषय पर व्यावाहारिक रूप से काम करना जरा टेढी खीर होती है, जरा मुश्किल-सा काम होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

जहां तक यह डायमंड (हीरे) माइनिंग का काम है, इसे साधारण भाषा में अन्धा काम कहा जाता है। आप दस हजार रुपए लगाइये, एक लाख रुपये लगाइये। हो सकता है कि एक करोड़ रुपये के हीरे निकल आयें और यह भी बहुत ज्यादा सम्भव है कि वहां कुछ भी न मिले। रशियन एक्सपर्टस ने मझगवां में कई एक खदानें पन्ना डायमंड सिन्डीकेट की चुनीं और उनको देखा। बहुत-सी जगहों पर उन्हें कुछ भी अच्छी चीज नहीं मिली और मेहनत अकारथ गई। ऐसी हालत में कहीं ऐसा न हो कि करोड़ों रुपए खर्च करके हम इन खदानों का राष्ट्रीयकरण करें और फिर भी हमको कोई विशेष सफलता न मिले। कहीं हमारी ऐसी स्थिति न हो कि चौबे जी गए तो थे छब्बे बनने, मगर दुबे भी न रहे। इसलिए हमको राष्ट्रीयकरण करते वक्त यह देखना चाहिए कि हमको मिलता क्या है। कहीं यह बात न हो कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। और मैं यह भी कह दूं कि वणिकपुत्र तो एक चूहा लेकर भी लखपति और करोड़पति बन सकता है, मगर क्या हम इतने व्यवसायी हैं, क्या हमारी सरकार इतनी व्यवसायी है, क्या हमारा मौजूदा तंत्र ऐसा है कि काफी पैसा होते हुए भी धन को द्विगुणित, चार गुना, छः गुना कर सके और सम्पत्ति को बढ़ा सके। जब हम राष्ट्रीयकरण करते हैं, तो कभी-कभी देखने में आता है और सुनने में आता है कि कहीं-कहीं हमारा तंत्र ठीक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास इतना अनुभव नहीं होता है। व्यक्तिगत रूप में अलग-अलग जो संस्थायें काम करती हैं, उनमें अनुभव होता है, एक अन्दाज होता है, उनमें काफी दक्षता होती है और एक विशेष लगन होती है, जो कि सामूहिक कार्य में कभी-कभी कम नजर आती है। इन दृष्टियों से देख कर अगर हम राष्ट्रीयकरण करें तो ज्यादा मुनासिब होगा।

जैसा कि अभी बताया गया है कि पन्ना में हीरे की तीन खदानें हैं, तीन खदानों के ठेके हैं, जिसमें पच्चीस वर्ग मील के करीब एरिया (क्षेत्र) कवर हो जाता है। बाकी २९५ वर्गमील का एरिया खाली पड़ा हुआ है। यह कितना अच्छा हो कि बजाय उन तीन खदानों को लेने के, जो एरिया खाली पड़ा हुआ है, सरकार उसको ले और एक उदाहरण कायम करे कि सरकार प्राइवेट (निजी) लोगों से सुन्दर काम करती है और वहां पर सरकारी और गैर-सरकारी लोगों के काम में होड़ हो, छिपी हुई दौलत जमीन में से निकालने की होड़ हो और हो सकता है कि इससे अच्छे रिजल्ट्स (परिणाम) हमारे सामने आयें।

राष्ट्रीयकरण की घोषणा के परिणामस्वरूप पन्ना जिले में पांच हजार मजदूर बेकार हो गए हैं। विशेषकर रमखेरिया खदान में जिसके हाजी अली मुहम्मद एंड सन्स ठेकेदार हैं, उनको लीज़ (पट्टे) का लाइसेन्स (अनुज्ञप्ति) नहीं दिया गया, क्योंकि सरकार को राष्ट्रीयकरण करना है, लिहाजा काम करने वाले बिल्कुल भूखे मर रहे हैं। वह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पन्ना डिस्ट्रिक्ट में जो रमखिरिया खदान का इलाका है, उसके आस-पास की ज्यदातर आबादी आदिवासियों की है। उनके पास जीविकोपार्जन के कोई साधन नहीं हैं, कमाने के लिए कोई जरिया नहीं है। वे भूखे मर रहे हैं। दूसरी बात यह हो गई है कि वर्षा न होने के कारण वहां की दोनों फसलें नष्ट हो गई हैं। एक तरफ से सरकार की हीरा खदानों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा और दूसरी तरफ से दैवी प्रकोप, इन्होंने मिल कर आदिवासियों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया है। वे लोग जाग्रत नहीं हैं, ज्यादा हल्ला नहीं मचा सकते हैं, इसलिए हम लोगों के पास, हमारी सरकार के पास उनकी आवाज पहुंचने में, हो सकता है कि दिक्कत होती हो। रशियन एक्सपर्टस ने बताया है कि अगर दूसरी उथली जगहों पर हीरा निकालने का काम किया जाय, जो पांच हजार और मजदूरों को काम दे सकते हैं। बजाय पांच हजार और मजदूरों को काम देने के राष्ट्रीयकरण की घोषणा से जो लोग काम पर लगे हुए थे, वे भी बेरोजगार हो गए हैं। मेरी समझ में यह आता है कि हम जल्दी से जल्दी हीरा खदानों का राष्ट्रीयकरण करें। क्योंकि पन्ना में जो खदाने हैं, वे हिन्दुस्तान का ९५ फीसदी से भी ज्यादा हीरा

[श्री मोतीलाल मालवीय]

निकालती हैं। अगर हम उनको जल्दी से जल्दी राष्ट्रीयकृत नहीं कर सकते हैं, तो मजदूरों की बेकारी को दूर करने के लिए, मजदूरों के हित को सामने रखते हुए, जिन लोगों का काम हमने बन्द कर दिया है, उन लोगों को इस बात की इजाजत दें कि जब तक हम राष्ट्रीयकरण नहीं करते, वे अपना काम चालू रखें।

पन्ना डायमंड सिन्डीकेट के बारे में रशियन एक्सपर्टस ने कहा है कि उनका वाशिंग प्लान्ट डिफेक्टिव (परिष्करण का संयंत्र त्रुटिपूर्ण) है। उन लोगों को सरवे (सर्वेक्षण) करने में इसलिए दिक्कत हुई कि वहां और ज्यादा प्रसाधन नहीं थे। इस परिस्थिति में उनको १४० करोड़ रुपए देना कहां तक मुनासिब होगा, यह भी सोचने की बात है। या तो यह हो कि जब कायदे और कानून के मुताबिक उन का लीज खत्म होता हो, तब हम उनका राष्ट्रीयकरण करें, ताकि हमको उन्हें कुछ मुआवजा न देना पड़े और अगर कुछ देना भी पड़े, तो बहुत ही कम देना पड़े। ये बातें सोचने की हैं।

मेरे सामने---मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में---सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि वहां के लोगों को क्या रोजगार दिया जाय। वह बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, रेल से दूर है और वहां कोई कारखाने भी नहीं हैं और दूसरी तरफ अकाल भी पड़ गया है। मेरा सुझाव यह है कि सरकार को या तो जल्दी से जल्दी हीरा खदानों पर काम शुरू कर देना चाहिये या दूसरों को शुरू करने के लिये इजाजत दे देनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ सभापति महोदय मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : श्री बाजपेयी।

श्री रा० स० तिवारी (खुजुराहो) : मेरा निवेदन है कि पांच मिनट मुझे भी दे दिए जायें।

सभापति महोदय : मैं ने श्री वाजपेयी को बुला लिया है। उनका नाम पहले से आया था।

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरी प्रार्थना है कि आध घंटा समय और बढ़ा दिया जाये, क्योंकि कई लोग बोलने वाले हैं और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : यह कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है।

सभापति महोदय : बिजनैस एडवाइजरी कमेटी (कार्य मंत्रणा समिति) की रिपोर्ट इस सदन ने मन्जूर कर ली है, तो भी हाउस (सभा) की राय के मुताबिक जैसा मौका होगा, वैसा किया जायेगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : समिति ने ही सिफारिश की थी कि समय बढ़ाया जाये।

श्री ब्रजराज सिंह : पहले प्रस्ताव में से दो घंटे का टाइम बच चुका है।

श्री म० ला० द्विवेदी : चूंकि पहले प्रस्ताव में से दो घंटे बच गए हैं, इसलिए एक घंटा और बढ़ा देना चाहिये।

सभापति महोदय : अभी आप तशरीफ रखिए। मैंने पहले श्री वाजपेयी को बुलाया है।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : पन्ना के हीरों की खानों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख विचाराधीन है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो भी सम्पत्ति हीरों के रूप में पन्ना में पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई है, उसे बाहर लाने के लिए यह आवश्यक है कि यह कार्य शासन अपने हाथ में ले। व्यक्तिगत प्रयत्न जो अभी हुए हैं, वे न तो पूरे अर्थों में हीरों को बाहर लाने में सफल हो सके हैं और न उस सम्पत्ति से राष्ट्र का जो हित होना चाहिए, उसे ही पूर्ण किया जा सका है।

तीन तरह की खानें उस क्षेत्र में पाई जाती हैं। एक तो भौड़ा खाने होती हैं। नदी या नाले के किनारे रेत में से यहां हीरे मिल सकते हैं। दूसरे छीला खानें हैं। उनमें कम से कम २० फुट तक खुदाई करना आवश्यक है। तीसरी खानें गहरा के नाम से पुकारी जाती हैं। उनमें ३० फुट से लेकर १०० फुट नीचे तक खुदाई करना जरूरी है। अब पिछले वर्षों में जो यहां काम हुआ है वह काफी नहीं कहा जा सकता है। उनको खोदने के लिए लोग आगे नहीं आए हैं, क्योंकि जो साधन चाहिए और जिस प्रकार की मशीनरी चाहिये वह शायद उनको नहीं मिल सकी है। साथ ही यह भी डर है कि अगर कहीं खान की खुदाई की गई तो सम्भव है कि उसमें से हीरा न निकले। तो जो अपने स्वार्थ या अपनी भलाई के संकुचित दृष्टिकोण को लेकर चलते हैं उन व्यापारियों से या एक दो व्यक्तियों से हम आशा करें कि वे गहरा खानों की खुदाई करेंगे तो यह आशा हमारी पूरी नहीं होगी।

जो सिंडीकेट वहां काम कर रहा है, उसके सम्बध में मेरे आदरणीय मित्र श्री द्विवेदी जी ने जो कुछ कहा है, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। श्री कुलकर्णी जी की और अधिक तारीफ करने की आवश्यकता नहीं है। जब रूसी विशेषज्ञ २४ सितम्बर, १९५४ को मझगांव की खानों को देखने गए थे तो श्री कुलकर्णी जी ने एक जादूगर की तरह से खान में से चार हीरे निकालकर दिखलाये थे और बाद में जब वे हीरे नीलाम के लिए बाजार में रखे गए तो जोहरियों ने पहचाना कि वे हीरे मझगांव की खान से नहीं निकले, बल्कि कहीं और से निकाले गए हैं और बाद में पता चला कि अफ्रीका की किसी खान से उनको निकाला गया था। एक हीरे की कटाई भी हो चुकी थी। यह बता कर कि ये हीरे मझगवां की खानों में से निकले हैं, वे हीरे रूसी विशेषज्ञों के सामने पेश कर दिए गए। यह तो एक बड़ा धोखा देने का कांड हुआ और अगर सरकार सतर्क होती तो श्री कुलकर्णी जी को जेल में भेज देती। लेकिन अब तक उनके काम पर एक पर्दा डाला गया है और व्यक्तिगत लाभ के लिये या एक छोटे से गुट के लाभ के लिये हीरों की खानों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में सरकार ने सही नीति नहीं अपनाई है।

हमारे मंत्री महोदय भी पन्ना गए थे। उन्होंने आठ व्यक्तियों की एक समिति बनाई थी। किन्तु समिति के सदस्यों का चयन भी ठीक ढंग से नहीं किया गया और जिस कार्य को पूरा करने के लिए समिति का गठन किया गया था वह कार्य भी पूरा नहीं किया गया। आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रश्न को स्थानीय जनता और राष्ट्र के व्यापक हित की दोनों दृष्टियों से देखा जाए। मैं समझता हूं कि अगर सरकार जो गहरी खानें हैं उनको खोदने का काम अपने हाथ में ले ले और उसकी पूर्ति के लिए जो स्थानीय लोग हैं, जो खान खोदने और हीरों की कटाई-सफाई आदि में विशेषज्ञ हो चुके हैं उनका सहयोग प्राप्त करे तो स्थानीय जनता की समस्याओं को हल करने का यह एक अच्छा साधन होगा। साथ ही जो सम्पत्ति है उसका राष्ट्र के हित में विनियोग किया जा सकता है। मुझे लगता है कि एक कठिनाई जो शायद सरकार के सम्मुख आ रही है वह पन्ना डायमंड सिंडीकेट को मुआवजा देने के बारे में है। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सही है। मगर मैंने सुना है कि सिंडीकेट ९० लाख रुपये के मुआवजे की मांग कर रही है। जो भी सम्पत्ति अभी तक सिंडीकेट ने कमाई है वह पर्याप्त है। इतने बड़े मुआवजे की वह मांग कर रहा है। सरकार ने मुआवजे से सम्बन्धित धारा में संशोधन कर दिया है और मैं समझता हूं कि उस संशोधन का लाभ उठाकर जो भी कदम सरकार को उठाना है, वह जल्दी से उठाना चाहिए। केवल मुआवजे के कारण ही हम इन खानों का राष्ट्रीयकरण न कर सकें, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने देना ठीक नहीं है। सिंडीकेट ने और भी अनेक गलत काम किए हैं। उसे १० वर्गमील का क्षेत्र दिया गया था। उसने उस क्षेत्र को ३०-३५ वर्गमील तक फैला लिया है और नियमों के अनुसार उसे १० वर्गमील क्षेत्र की दीवार-बन्दी करनी चाहिए थी। मगर शासन की शिथिलता के कारण सिंडीकेट को इस बात के लिए

[श्री बाजपेयी]

विवश नहीं किया जा सका कि वह ठीक तरह से नियमों का पालन करे। जो भी क्षति हुई है, वह राष्ट्र की हुई है। जो भी सम्पत्ति पृथ्वी के गर्भ में पड़ी है, उसका भी राष्ट्र के हित में उपयोग नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि शासन को इस सम्बन्ध में दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए और मुआवजे के सवाल को राष्ट्रीयकरण के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए।

श्री रा० स० तिवारी : सभापति महोदय, जब हमारी सरकार ने ७ अप्रैल, १९५६ में एलान किया था कि हम राष्ट्रीयकरण करेंगे तब से उसका नतीजा यह निकला है कि जितना भी काम वहां हो रहा है, वह सारे का सारा रुका पड़ा है। वहां पर जो लोग भी काम करते थे उनको काम करने से रोक दिया गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि न केवल ५,००० के करीब आदमी ही बेकार बैठे हैं बल्कि और छोटे-छोटे लोग भी जिनकी संख्या १५–२० हजार के लगभग है, वे भी बेकार हो गए हैं।

यह कहा जा रहा है कि हमको इतना रुपया मुआवजे के रूप में देना होगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं को आपको केवल सिंडीकेट की ही मुआवजा देना होगा जिसके पास १० मील का एरिया है। बाकी लोगों में से किसी की भी आपको कोई रुपया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे लोग तो कहते हैं कि हमें छोड़िये, सरकार हमें बिना मुआवजा दिए ही इनको हम से ले ले। उनकी एक ही इच्छा है कि उनको काम मिले। वे चाहते हैं कि काम चालू हो और स्थानीय जनता को करने के लिए कार्य मिले। ये छोटी-छोटी खानें पहाड़ों व जंगलों इत्यादि में हैं और वहां पर कोई दूसरा उद्योग नहीं है, जहां जाकर लोग काम कर सकें। उन लोगों के पास सिवाय हीरों के काम के, या पत्थर तोड़ने के काम के या पत्थर बनाने के काम के और कोई काम करने को नहीं है। पांच हजार मजदूरों के अलावा १०–१५ हजार मजदूर और बेकार बैठे हैं और वहां पर हाहाकार मची हुई है। यह केवल इसलिए हुआ है कि आपकी घोषणा हो चुकी है। जब राज्यों का एकीकरण नहीं हुआ था तो ये खानें विभिन्न रियासतों में बंटी हुई थीं। चार-पांच रियासतों में ये थीं जो इस प्रकार हैं : चरखारी, पन्ना, अजयगढ़, भसौंदा और चौबियाना। उस समय तकरीबन दस लाख रुपया सरकार को सालाना मिलता था। जब इन रियासतों का एकीकरण हुआ और विन्ध्य प्रदेश बना तब दो लाख या ढाई लाख की ही सालाना आमदनी रह गई। ऐसा नहीं है कि हीरा निकलता न हो। हीरा निकलता है और आमदनी भी होती है। अगर कोई १०,००० या १५,००० लगाता है, तो उतना रुपया उसको अवश्य मिलकर रहता है, घाटा नहीं पड़ता। किसी को दस रुपये लगाने से ही एक लाख का फायदा हो गया है। वहां पर रास्ते चलते हीरे कई बार मिल जाते हैं या जब बरसात होती है तो उस वक्त पानी में भी हीरे मिल जाते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : तब तो हम सब वहां चलें।

श्री रा० स० तिवारी : अगर आप सैंट्रलाइज करके उसको अपने अधिकार में लें तो मैं आपको अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि आपको हानि नहीं होगी और हम आपका साथ देंगे। एक सिंडीकेट जो है उसका १० मील का एरिया है और उसी को आपको मुआवजा देना है। बाकी जो छोटे-छोटे व्यक्ति हैं, उनकी सब की सब खानें आप मुफ्त में ले लें। अगर आप उनको कोई मुआवजा देना चाहते हैं तो दें और अगर नहीं देना चाहते हैं तो न दें। बाकी जो बातें हैं वे सब आपको दूसरे माननीय सदस्यों ने बतला दी हैं। इसमें दो आदमी हैं। एक लाल मुहम्मद, जिन्होंने इसको छोड़ दिया है, और दूसरे सुरेश चन्द्र शर्मा हैं जो आज दिल्ली में ही हैं। वह चाहते हैं कि गवर्नमेंट ले ले, हमें दे न दे, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। केवल एक सिंडीकेट जो बना दिया है वह राजा महाराजाओं

से मिल कर बना दिया गया था। उसका दस मील का एरिया छोड़ दीजिये और बाकी को अपने कब्जे में कर लीजिये और बिला कुछ दिये हुए कर लीजिए। यही मैं अर्ज करना चाहता हूं।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : हमें सिर्फ दो मिनट कुछ कहना है। पहली बात तो हमें यह कहनी है कि जैसा हमारे दोस्त ने कहा कि हीरा बहुत निकल सकता है, यह बात ठीक है। हमारे देश में दो जातियां जौहरी और मीनाकार हीरे के व्यापार में लगी थीं और हीरे के व्यापार के खास स्थान थे इन्दौर, जयपुर, बम्बई, और थोड़ा-बहुत वाराणसी। लेकिन, सभापति महोदय, आज जितने जौहरी हैं, श्रीमाली जी इसकी पूरी तरह से गवाही देंगे, वे मक्खी मारते हैं, और इस कारण जो मीनाकार जाति है जो कि हीरे को काटते हैं वे बेकार बैठे हैं। आज लोगों को बेल्जियम-कट का हीरा पसन्द है। जो हीरा ५०० का होता है उसकी कटाई बेलजियम वाले ३,००० तक ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हीरे को बेलजियम-कट से काटा नहीं जाता और उस पर पालिश नहीं होती तब तक हीरे की कोई कीमत नहीं निकलती। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जिस तरह से बेलजियम में हीरा काटा जाता है उस तरह काटने का इन्तिजाम हिन्दुस्तान में अगर किया जाये तो ५०० के हीरे के दाम ५,००० तक मिल सकते हैं।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि पन्ना पर बहुत जोर दिया गया है। यह ठीक है कि पन्ना में हीरे की खान है। काश्मीर में भी एक स्थान है जहां से हीरा पैदा हो सकता है। आज इजरायल का उदाहरण हमारे सामने है जिससे हमें सबक लेना चाहिए। बाइबिल में विवरण दिया हुआ है कि इजराइल में कई जगह खानें हैं। परन्तु आज से आठ दस साल पहले कोई नहीं सोचता था कि इजराइल में कोई खान होगी। लेकिन बाइबिल में जिन स्थानों का विवरण था उन स्थानों पर खोज करने से खानें मिली हैं। इसी तरह से हमारे यहां महाभारत और रामायण में ऐसे स्थानों का बिवरण है जहां पर हीरे की खानें थीं। हमारे यहां चन्द्रकान्त मणि का जिक्र आया है तो मेरा यह निवेदन है कि जिन स्थानों का रामायण में और महाभारत में विवरण दिया गया है उन स्थानों का हमें सर्वेक्षण कराना चाहिये। जैसा इजराइल ने किया है वैसा ही हमको भी करना चाहिए ताकि हमें उन स्थानों से हीरे प्राप्त हो सकें।

आप पुराना इतिहास पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि हिन्दुस्तान से बहुत हीरा बाहर जाता था। यहां से बहुत से हीरा यूनान और रोम को भेजा जाता था और इजिप्ट (मिश्र) को भी भेजा जाता था। आज हिन्दुस्तान से हीरे का लोप हो गया है। अब हमारे यहां बाहर से हीरा आता है।

तो मैंने ये दो सजेशन (सुझाव) दे दिए हैं। एक तो यह कि बेलजियम की तरह हीरे को काटने और पालिश करने का इन्तिजाम हिन्दुस्तान में भी किया जाये और दूसरा यह कि जिन स्थानों का हमारे धर्म ग्रन्थों में वर्णन है कि वहां हीरे पाये जाते थे उन स्थानों का सर्वेक्षण किया जाये और उनको एक्सप्लाइट किया (उपयोग में लाया) जाये।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" (शिवपुरी) : इस विषय में कोई दो मत नहीं हैं कि पन्ना की हीरे की खान का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। लेकिन जो यह कहा जाता है कि दस मील का एरिया छोड़ दिया जाये और बाकी एरिया सरकार अपने कब्जे में कर ले और उस पर काम करे, तो मैं समझता हूं कि ऐसा करने से बहुत गड़बड़ होने की सम्भावना है। जिन लोगों के पास यह दस मील का इलाका है उन्होंने काम करके देख लिया और उनसे कोई काम नहीं हुआ और हीरे निकलना बन्द है, तो क्यों न हम उस भाग को भी अपने कब्जे में कर लें और जो सम्पत्ति छिपी पड़ी है उसको बाहर निकालने का प्रयत्न करें। सरकार को इस कार्य को अपने हाथ में लेना चाहिए। आज हो यह रहा है कि कांच को हम अपने सिर पर रख रहे हैं और हीरा जमीन में पड़ा सिसक रहा है। मणिर्लुठति पादेषु: काच:

[पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश]

शिरसि धार्यते । आज हम मणि को नीचे डाले हुए हैं और कांच को सिर पर रखे हुए हैं । जो रत्न हमारे देश में छिपे पड़े हैं उनको हमें बाहर निकालना चाहिये ताकि हमारे यहां की बेरोजगारी दूर हो । ऐसा करने से देश को बहुत पैसा मिल सकेगा । जैसा अभी माननीय सदस्य ने बतलाया लोग इस जमीन को सरकार को बिना मुआवजे के देने को तैयार हैं । यदि ऐसा है तो क्यों न सरकार इस भूमि को अपने हाथ में ले ले और इन लोगों को उससे मुक्त करे । मैं देखता हूं कि विन्ध्य प्रदेश में जो कि अब मध्य प्रदेश में विलीन हो गया है बड़ी भुखमरी और बेरोजगारी की स्थिति है । वहां पर कोई खेतीबाड़ी भी नहीं हो सकती क्योंकि वह पर्वतीय प्रदेश है । वहां हीरा पन्ना निकल सकता है । पन्ना का नाम ही पन्ना इसलिए पड़ा कि वहां रत्न निकलते थे । मैं चाहता हूं कि सरकार इस काम को अपने हाथ में ले ले और तत्परता से और कुशलता से उसे करे तो हमें बहुत बड़ी सम्पत्ति मिल सकती है और जो उस क्षेत्र में बेरोजगारी और बेकारी है वह भी दूर हो सकती है । मैं समझता हूं कि इस दिशा में जल्दी से जल्दी कार्य किया जायेगा ।

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): मैं अनुग्रहीत हूं अपने मित्र द्विवेदी जी का कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं भवन के सामने सफाई दे सकूं कि मैंने इस सम्बन्ध में, हीरे के उत्पादन के सम्बन्ध में, अब तक सरकार की ओर से क्या किया है और क्या वजह है कि इतनी देर हुई ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : क्या माननीय मंत्री अंग्रेजी में भी अपना भाषण देंगे ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं मिली जुली भाषा में ही बोलूंगा । मैं कह रहा था कि मुझे सभा के सामने इस बात का स्पष्टीकरण करना है कि पन्ना-स्थित हीरे की खानों के राष्ट्रीयकरण या उनको सरकारी अधिकार में चलाने के प्रश्न के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल और परीक्षा करने में इतना विलम्ब क्यों हुआ है । मैं आपको बताता हूं कि इस विषय में बड़ी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं । मैं सभा के सामने कुछ तथ्य रखता हूं ।

सबसे पहली बात तो यह है कि औद्योगिक नीति संकल्प में घोषित किया गया है कि हीरों को खनिजों की अनुसूची 'क' में सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात् हीरों को सरकारी क्षेत्र में रखा जायेगा और उनकी खुदाई का संचालन तथा नियन्त्रण सरकार द्वारा ही किया जायेगा । उसके हाल ही बाद में, मैंने घोषित किया था कि सरकार पन्ना क्षेत्र की हीरों की खानों को अपने अधिकार में लेकर कार्य आरम्भ करने का विचार कर रही है ।

तब से अब तक काफी समय हो चुका है । मैं अभी बताऊंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में किसी निर्णय पर क्यों नहीं पहुंच सकी, या यों कहिये कि सरकार तुरन्त ही अपनी इच्छनुसार कार्यवाही क्यों नहीं कर सकी ।

सभा को यह एक महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखना चाहिये कि यदि सरकार हीरों की खुदाई का आरम्भ करती है तो उसे यंत्रीकृत साधनों द्वारा ही करना पड़ेगा । पन्ना हीरक सिन्डीकेट का राष्ट्रीय-करण हो जाने पर या उसके सरकारी अधिकार में आ जाने पर, हीरों का समूचा उत्पादन यंत्रीकृत साधनों द्वारा ही करना पड़ेगा । उसका फल यह होगा कि अभी हाथ से मेहनत करने वाले जितने भी मजदूर वहां काम कर रहे हैं और जिन्हें साल में कुछ महीनों के लिये रख लिया जाता है, उनमें से बहुत से बेरोजगार हो जायेंगे । बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत साधनों के प्रयोग से यही परिस्थिति पैदा हो जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

इस सम्बन्ध में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिये । सरकारी अधिकार में आने पर वहां का उत्पादन यंत्रीकृत हो जायेगा और वे मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे । हां, हम यह अवश्य कर सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों को उत्पादकों की सहकारी समितियों द्वारा संगठित होने के लिये छोड़ दें, और इन मजदूरों को थोड़े समय के लिये काम मिलता रहे । मैं इसका कुछ और भी स्पष्टीकरण कर दूं । श्री द्विवेदी ने उचित ही कहा है कि उस क्षेत्र में तीन मुख्य क्षेत्रों में हीरों की खुदाई का काम अभी भी एक हद तक हो रहा है । उनमें से एक तो है—पन्ना हीरक सिन्डीकेट, जिसे पन्ना दरबार की ओर से १९३६ में पट्टा मंजूर किया गया था उस पट्टे की अवधि १९५१ में पूरी हुई थी और फिर १३ वर्षों के लिये उसका नवीकरण कर दिया गया था, जिसकी अवधि नवम्बर, १९६६ तक है । उसका नवीकरण १९५३ में किया गया था ।

†**श्री म० ला० द्विवदी** : यह पट्टा १९४८ में निलम्बित कर दिया गया था । इस समवाय ने १९५१ और '५२ में भी काम किया है, जिसके आंकड़े मौजूद हैं ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : पिछली बातों पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है । मैं आपको यही बता रहा था कि पन्ना हीरक सिन्डीकेट को पन्ना दरबार द्वारा जो पट्टा मंजूर किया गया था, वह अभी कई वर्षों तक चालू रहेगा । दूसरा क्षेत्र महालक्ष्मी हीरक खान समवाय को पट्टे पर दिया गया था, जिसकी अवधि १९६० में पूरी होगी । यह पट्टा चरखारी राज्य द्वारा मंजूर किया गया था । शायद यह समवाय वहां कोई भी कार्य नहीं कर रहा है । इसलिये उसके बारे में कोई झगड़ा ही नहीं है । तीसरा क्षेत्र चरखारी हीरक खान वर्क्स का है । यह पट्टा भी चरखारी राज्य द्वारा मंजूर किया गया था । इस पट्टे की अवधि दिसम्बर, १९५० में पूरी हो चुकी है । इस क्षेत्र में काफी मजदूर काम करते थे । इस समवाय को १९५० के बाद से दीर्घकाल के लिये पट्टे के नवीकरण की मंजूरी नहीं दी गई थी । प्रत्येक वर्ष के लिये तदर्थ रूप में ही खनन की अनुमति दी जाती रही है, और वह मजदूरों को बेरोजगार न होने देने के विचार से । इस प्रकार वर्ष-प्रति-वर्ष की अनुमति के आधार पर होने वाला तदर्थ प्रबन्ध जुलाई १५, १९५७ तक चला था ।

यह वही समय है, जबकि सरकार ने खनन सम्बन्धी अपनी पूरी नीति की परीक्षा की थी और उसे औद्योगिक नीति संकल्प की अनुसूची क में वर्गीकृत खनिजीय धातुओं को सरकारी क्षेत्र में रखने की एक व्यापक नीति के अनुरूप टालने की कोशिश की थी । राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया था कि आगे से वे औद्योगिक नीति संकल्प की अनुसूची क में वर्गीकृत कच्ची धातुओं के खनन के प्रबन्धों को नवीकृत न करें । इसीलिये, छैः या आठ महीनों के लिये वर्ष-प्रति-वर्ष की अनुमति के आधार पर होने वाले प्रबन्ध को रोक दिया गया था । इससे निस्सन्देह ही कुछ मजदूरों को कष्ट हुआ था । लेकिन, श्री द्विवेदी द्वारा उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करने के बाद, इस पर विचार किया गया था । अनुसूची क में वर्गीकृत खनिजीय कच्ची धातुओं के लिये होने वाले स्थायी प्रबन्ध में कुछ विलम्ब होता, इसलिये दिसम्बर में हमने एक वर्ष के लिये और अनुमति देने के लिये कह दिया था । लेकिन कुछ महीने तो काम बन्द रहा ही था, और अवश्य ही उससे मजदूरों को कुछ कष्ट हो गया था ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : इस फर्म को काम आरम्भ करने की अनुमति नहीं मिली ।

†**श्री के० द० मालवीय** : केन्द्रीय सरकार ने तो राज्य सरकारों को परामर्श दे दिया था । केन्द्रीय सरकार अनुमति नहीं देती । अनुमति तो राज्य सरकारें ही देती हैं । वह सम्पत्ति भी राज्य सरकार की ही होती है । हमने दिसम्बर, १९५७ में उनसे कह दिया था उन क्षेत्रों की हीरे की खानों का स्थायी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० दे० मालवीय]

प्रबन्ध करने में कुछ विलम्ब होगा और उन्हें एक वर्ष के लिये और भी अनुमति दे देनी चाहिये । श्री रघुनाथ सिंह ने आपको बताया ही था कि सरकार पन्ना क्षेत्र की हीरे की खानों के सबसे अधिक सम्पन्न क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने का विचार कर रही थी । हम हीरों के खनन को एक बड़े पैमाने पर करना चाहते थे और इसलिये उसके प्रौद्योगिक संगठन और उसकी जांच-पड़ताल में कुछ तो समय लग ही गया । उस दस वर्गमील के क्षेत्र में हीरों की सुलभता का पता लगाने के लिये जांच-पड़ताल करनी ही पड़ी । इसलिये, सरकार को निर्णय करने में कुछ समय लग जाना स्वाभाविक ही था । रूसी विशेषज्ञों ने अपनी राय तो दे दी थी, लेकिन उसकी भी तो जांच होनी थी । हमने महसूस किया कि अनुसन्धान परिणामों की जांच करना आवश्यक था ।

इसके कारण क्या हैं ? विलम्ब का एक कारण तो यह था कि हीरों की सुलभता के सम्बन्ध में कुछ भ्रम था । हमारे इंजीनियरों और भूतात्विकों की राय यह थी कि तीन-चार करोड़ रुपयों का व्यय कर बैठने से पहले बड़ी बारीकी से छानबीन कर लेना चाहिये । हम वार्ता या विधान द्वारा बड़ी आसानी से प्रतिकर की मात्रा निर्धारित कर सकते थे । लेकिन सारी समस्यायें तो यह थीं कि पहले यह पता लगा लिया जाये कि वह क्षेत्र काछारी मिट्टी की पर्तों का है, या खड़िया मिट्टी का, या उसमें सचमुच में हीरे पाये जाते हैं । इसमें कुछ समय लग गया था । फिर एक पेचीदगी यह आ गई कि उन खानों का कार्य चलाने के लिये क्या संगठनात्मक व्यवस्था की जाये । यह इसलिये कि हीरों की खुदाई के काम में सबसे बड़ी सावधानी यह रखनी पड़ती है कि उसकी व्यवस्था को तस्कर व्यापार से बचा कर रखना पड़ता है । संसार में सभी जगहों पर जहां बड़े पैमाने पर हीरे निकाले जाते हैं तस्कर व्यापार का बोलबाला रहता है । हमें उसे रोकने की विधान द्वारा विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी । तस्कर व्यापार रोकने के लिये संगठनात्मक उपाय तो करने ही पड़ेंगे ।

मैं सभा का ध्यान सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में मिली सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । अभी इस समय पन्ना क्षेत्र में कार्यपालक अनुदेशों द्वारा ही सुरक्षा उपायों को उपयोग में लाने के लिये कहा जाता है । उन कार्यपालक अनुदेशों को कोई वैधानिक अनुमति नहीं मिली हुई है । इसलिये, स्थायी प्रबन्ध करने के लिये यह आवश्यक है, बल्कि अत्यावश्यक है कि वहां के कर्मचारियों को पर्याप्त संरक्षण दिया जाये, उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध करने के लिये उनको आवश्यक वैधानिक प्राधिकार प्रदान किया जाये । इन सभी बातों की जांच-पड़ताल करने के साथ ही साथ, वहां पाये जाने वाले हीरों के भंडार का मूल्यांकन भी करना पड़ा था । इसमें हमें लगभग डेढ़ वर्ष लगा । और हमने कुछ निष्कर्ष निकाले । हमने यह सोचा कि इसके पश्चात् हम शीघ्रता से कार्य कर सकेंगे । परन्तु विदेशी मुद्रा की कठिनाई सामने आई । हमें खानों के यंत्रीकरण के लिये ३ अथवा ४ करोड़ रुपयों की आवश्यकता थी ।

हम अब इस पर विचार कर रहे हैं। तथा मैं आशा करता हूं कि सरकार ने पन्ना की हीरों की खोनों को सरकारी क्षेत्र में लाने के बारे में जिस नीति की घोषणा की थी, वह शीघ्र कार्यान्वित हो जायेगी । मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरे मित्र श्री म० ला० द्विवेदी ने जो कुछ कहा है, सरकार उसी नीति के अनुसार काम कर रही है । जो कुछ हम कर रहे हैं तथा करने का प्रयत्न कर रहे हैं उसमें तथा जो कुछ उन्होंने बताया उसमें अन्तर नहीं है । कुछ देरी अवश्य हुई है । प्रतिकर के बारे में हम ज्यों ही कोई व्यवस्था करेंगे तो इस परियोजना को सरकारी नियंत्रण में ले लेंगे ।

मुझे इसका विश्वास नहीं है कि कितना हीरा यहां मिलेगा । इन सभी कागजों को देखने के पश्चात् तथा सरकार को इनके बारे में बताई गई बातों पर विचार करने के पश्चात् हमें अभी इसका विश्वास नहीं हुआ है कि रूसी विशेषज्ञों द्वारा बताये गये आंकड़ों के अनुसार, हमें ३० अथवा ४० करोड़ रुपये के हीरे यहां मिल जायेंगे । इसमें कुछ जोखिम तो उठाना ही होगा । परन्तु विदेशी मुद्रा की वर्तमान कठिनाइयों को देखते हुये, हमें अभी रुकना आवश्यक था क्योंकि इस पर विचार करना था कि हम बहुत अधिक जोखिम

तो नहीं उठा रहे हैं। अब इन सभी बातों पर विचार कर लिया गया है तथा हमें आशा है कि अब निर्णय करने में अधिक समय नहीं लगेगा।

कर्मचारियों को न निकालने की ओर सरकार का पूरी तरह ध्यान है। हम राज्य सरकारों को परामर्श दे चुके हैं कि वह हीरों के क्षेत्र में, काम करने वाले व्यक्तियों को बड़े व्यक्तियों के उप-पट्टेदार के रूप में, काम करने की अनुमति दे दें। जैसा कि मैंने बताया उनमें से बहुत से काम करने को उत्सुक नहीं हैं। इसमें से अधिकांशतः थोड़े समय तक काम करने वाले व्यक्ति हैं। व्यवस्था के अनुसार, जो व्यक्ति उप-पट्टेदारों के कर्मचारियों के रूप में हीरों की खोज का काम कर रहे हैं, उनको जहां वह चाहें, वहां काम करने की अनुमति दे दी गई है। हमने कुलकर्णी अथवा पन्ना डायमण्ड सिन्डीकेट के व्यक्तियों को काम रोक देने के लिये कहा है। उन्होंने स्वयं काम रोक दिया है। यह हमारे परामर्श से होगा। उनका अन्य क्षेत्रों में स्वागत किया जायेगा। पाइप क्षेत्र में उन्होंने काम रोक दिया है। हम पाइप क्षेत्र में हीरे की खोज कर रहे हैं। जलोढ़ क्षेत्र में, उनको अभी भी काम करने की अनुमति है और वह अभी भी काम कर रहे हैं। वह सम्बन्धित राज्य सरकारों से अस्थायी अनुमति पत्र पर काम करें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु तब तक हमें आशा है कि अन्तिम रूप से कुछ व्यवस्था कर दी जायेगी तथा श्री म० ला० द्विवेदी और अन्य सभा सदस्य संतुष्ट हो जायेंगे कि सरकार की नीति शीघ्र कार्यान्वित हो जायेगी। मैं समझता हूं कि इस संकल्प पर बल देने की आवश्यकता नहीं है तथा मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र श्री म० ला० द्विवेदी इसे वापस ले लेंगे।

श्री ब्रजराज सिंह : आपकी आज्ञा से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या मशीनों के बिना काम नहीं हो सकता है, जैसा कि पहले होता था ?

श्री के० दे० मालवीय : अभी आपने ही—शायद किसी साहब ने—कहा कि पाइप एरिया में सबसे ज्यादा डायमण्ड होता है। वे बड़े कड़े पत्थर—चट्टान—होते हैं और उनको मशीन से ही तोड़ा जा सकता है। हाथ से उनको तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर हाथ से तोड़ा जायगा, तो हजारों आदमी तोड़ेंगे और मुमकिन है कि डायमंड न मिलें। अगर मशीन से तोड़ा जायगा, तो ज्यादा पत्थर तोड़ा जा सकता है, उनको धोया जा सकता है, कम वक्त में डायमंड मिल सकते हैं। यह तजुर्बे से मालूम हुआ है कि ऐसे एरिया में, जहां ज्यादा डायमंड मिला करते हैं, मशीन से ही सस्ते में काम किया जा सकता है। आज-कल बहुत लार्ज प्राडक्शन का जमाना है। पुराने जमाने में अगर दो-चार डायमंड मिल जाते थे, तो दुनिया भर में फैल जाते थे। अब तो हजारों डायमंड्ज की जरूरत होती है। आबादी बढ़ गई है और डायमंड्ज़ की मांग भी बढ़ गई है।

†**सभापति महोदय** : मैं माननीय प्रस्तावक के विचार जानना चाहता हूं।

श्री म० ला० द्विवेदी : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि मैकेनाइज्ड तरीके से वहां डायमंड निकाले जायेंगे, जिससे वहां काम करने वाले वैसे ही बेकार होजायेंगे। मेरा कहना है कि सरकार की नीति.....

श्री के० दे० मालवीय : मैंने कहा है कि सिवाय उनके, जिनके को-ओपरेटिव्ज बना कर हम उनको बालू वाली जगहों पर काम करने देंगे, जिससे वे भी काम कर सकें।

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरा उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, मशीन से काम होना चाहिये, लेकिन जो सरफेस पर काम करने वाले हों, उनको काम करते रहने देना चाहिये। अगर वे बेरोज-गार होते हैं, तो इतने ज्यादा हीरे निकलेंगे, कि उससे और सरकार की नीति के अनुसार और उद्योग-धंधे खुल जायेंगे, तो वे काम पर लग जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री के० दे० मालवीय : सभापति जी, मैंने कहा था कि मिल्कियत उनको मिल जायगी, जो सरफेस में काम करेंगे। को-आपरेटिव्ज बना कर हम उनको मिल्कियत दे देंगे, यह गवर्नमेंट का इरादा है। हम इसको देख रहे हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : मंत्री महोदय के शब्दों से मुझे काफी विश्वास हो गया है कि.....

श्री वाजपेयी : बड़ी जल्दी विश्वास हो गया है।

श्री म० ला० द्विवेदी : सभापति जी, आपकी आज्ञा से मैं विरोधी सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने तो स्वयं राष्ट्रीयकरण की नीति का एलान किया था। मैंने प्रस्ताव लाकर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। जब मुझे आश्वासन मिल गया है कि कार्य बहुत शीघ्रता से हो रहा है, तो फिर और आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब सरकार कर रही है, तो मैं क्यों प्रैस करूं ? इसलिये मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की जाँच के लिए आयोग के बारे में संकल्प

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

"इस सभा की यह राय है कि विद्यार्थियों में निराशा की भावना के, जिससे अनुशासनहीनता, हिंसा और गुण्डागर्दी की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं और परिणामस्वरूप देश में अशांति फैलती है, कारणों की जांच करने और उसे दूर करने के उपायों का सुझाव देने के लिये सरकार को तुरन्त एक उच्च शक्ति वाला आयोग नियुक्त करना चाहिये।"

मैंने यह संकल्प अहमदाबाद तथा अन्य स्थानों पर विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासनहीनता के कारण प्रस्तुत किया है। कहीं-कहीं पर अध्यापकों को मारा-पीटा जाता है। यह अनुशासनहीनता केवल भारत में ही नहीं है अपितु अन्य देशों में भी है और वहां भी अनुशासनहीनता के कारण शिक्षा संस्थाओं को बन्द करना पड़ता है। मेरा विचार है कि अब समय आ गया है जब हमें इस अनुशासनहीनता की जांच करनी चाहिये या पता लगाना चाहिये कि विद्यार्थियों में असंतोष के क्या कारण हैं।

मेरे विचार से इसके तीन कारण हैं। पहला उनके घरों की खराब आर्थिक स्थिति, दूसरा अध्ययन के पश्चात् काम न मिलना तथा तीसरे राजनीतिक दलों द्वारा विद्यार्थियों को भड़काना।

सबसे पहले आर्थिक स्थिति को लीजिये। भारत में एक हजार व्यक्तियों में ४० बच्चे रोजाना पैदा होते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि अन्य देशों में यह बहुत कम हैं। इसलिये यदि हम अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हैं तो हमें देहातों में परिवार नियोजन का प्रचार करना चाहिये।

दूसरे माता-पिता को बच्चों को शिक्षा उचित रूप में दिलानी चाहिये तथा साथ ही साथ वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिये जिससे माता शिक्षित होकर बच्चों को शिक्षा दे सके। विद्यार्थियों को होस्टल में रखने की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसकी जानकारी आयोग ही कर सकता है कि विद्यार्थियों को शिक्षा घर पर अच्छी तरह दी जा सकती है अथवा होस्टल में। मेरे विचार से परियोजनाओं में से कुछ धन लेकर इस ओर लगाया जाना चाहिये। हमें इसका सर्वेक्षण भी करना चाहिये जिससे विद्यार्थी अध्ययन के पश्चात् बेकार न रहें और उचित काम पर लगाये जा सकें। मेरा एक सुझाव है कि हमें अध्यापकों की संख्या बढ़ा देनी चाहिये जिससे एक अध्यापक कम विद्यार्थियों की ओर ठीक तरह से ध्यान दे सकें। इन अध्यापकों के वेतन की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिये और प्राथमिक अध्यापकों का

†मूल अंग्रेजी में

वेतन ६० रुपये तथा अवर स्नातक अध्यापक के लिये १०० रुपये तथा स्नातक के लिये १२० से १५० रुपये रखे जाने चाहिये। मैं आशा करती हूं कि सरकार इनकी ओर ध्यान देगी।

तीसरी बात राजनीतिक दलों द्वारा भड़काना। कहा जाता है कि स्वतन्त्रता आन्दोलन में विद्यार्थियों का सहयोग ही इस अनुशासनहीनता का कारण है। परन्तु आजकल ऐसी आदत हो गई है कि जो कुछ बुरी बात हो वह महात्मा गांधी पर डाल दी जाये। मैं बता देना चाहती हूं कि महात्मा गांधी ने विद्यार्थियों का कर्त्तव्य केवल अध्ययन करना बताया था। मेरे विचार से अध्यापकों को और अधिकार दिये जाने चाहिये जिनके द्वारा वह विद्यार्थियों पर नियंत्रण कर सकें।

भारत के विद्यार्थी संघों को ले लीजिये। यह संघ विद्यार्थियों में विद्वता बड़ाने के लिये नहीं अपितु उनको बिगाड़ने का काम करते हैं। हमें प्रयत्न करना चाहिये जिससे विद्यार्थी राजनीति की ओर से ध्यान हटाकर अन्य विकास कार्यों की ओर ध्यान लगायें। इस सम्बन्ध में सरकार की एन. सी. सी. तथा ए. सी. सी. की योजनायें बहुत सुन्दर हैं। हमें इस प्रकार के कार्यों के लिये और धन की व्यवस्था करनी चाहिये। हमें इन सब बातों की जांच करनी चाहिये तथा उसके लिये एक आयोग की नियुक्ति करनी चाहिये। मैं आशा करती हूं कि सरकार इस संकल्प पर ध्यान देगी तथा इसे स्वीकार कर लेगी।

†**सभापति महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये अर्थात :

> "विद्यार्थियों में असंतोष की भावना फैलने के परिणाम स्वरूप उन द्वारा किये गये अनुशासनहीनता तथा गुण्डागर्दी और कभी-कभी हिंसा के कार्यों को ध्यान में रखते हुए सभा की यह राय है कि सरकार को उच्च श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिये होस्टल आवास की व्यवस्था करने के उपाय करने चाहिये, कालिजों में वर्ग-अध्यापन पद्धति लागू करनी चाहिए तथा कालिजों में विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए जिससे अध्यापकों का विद्यार्थियों से अधिक सम्पर्क स्थापित हो सके और इस प्रकार अध्ययन कार्य के लिये अनुकूल वातावरण स्थापित हो सके।"

यद्यपि माननीय महिला सदस्य ने विद्यार्थियों में फैल रही अनुशासनहीनता की भावना को ठीक समझा परन्तु हमें इस पर अधिक गंभीरता से विचार करना चाहिये और इसके मूल्य कारणों का पता लगाना चाहिये।

शिक्षा मंत्रालय इस सम्बन्ध में एकदम असफल रहा है क्योंकि उसने अध्यापकों के वेतन बढ़ाने तथा एक कक्षा में अधिक विद्यार्थियों के रहने आदि के बारे में कोई उपाय नहीं किया है। यह कहना कि राजनीतिक दल विद्यार्थियों में गड़बड़ी फैलाते हैं, व्यर्थ है। क्योंकि हममें से बहुत से सदस्यों ने विद्यार्थी जीवन काल में ही राजनीतिक दलों से सम्पर्क स्थापित किया था।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सागर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति को ले लीजिये। मैं उनके चुनाव के बारे में बताता हूं। उनका वहां पर इतना विरोध था कि कुलपति को स्वयं विश्वविद्यालय में जाकर उन्हें निर्वाचित करवाना पड़ा।

यदि बड़े इस प्रकार अनुशासन भंग करेंगे तो छोटों का तो कहना ही क्या है। बड़ों को आज की अवस्था के अनुसार अपने बच्चे-बच्चियों की समस्याओं को समझना है ताकि यह पीढ़ी ठीक ढंग से विकसित हो सके। पदासीन दल को इस पीढ़ी के सामाजिक निर्माण को अपना परम कर्तव्य मानना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खाडिलकर]

इसी से हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है। क्या हमारे अध्यापकों ने इन स्कूलों और कालिजों में पढ़ने वाले बालकों की मनोवृत्ति को समझने के लिये पैतृक भावना से कोई प्रयत्न किया है ? यह जिम्मेदारी अध्यापकों को अपने ऊपर लेनी चाहिये ।

सरकार भी इस समस्या की ओर समुचित ध्यान नहीं दे रही । उन्हें केवल 'गुंडा' कह देने से ही काम नहीं चलेगा। आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन यह बताता है कि इस ढंग से समस्या हल नहीं होगी। आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की बातें करने से मामला नहीं सुलझेगा, वहां की स्थिति बिल्कुल दूसरी है। यहां उच्च कालिज की संस्थाओं में हम कठिनाई से ५०० रुपये प्रति विद्यार्थी खर्च करते हैं, परन्तु वहां यह खर्च २०,००० रु० प्रति विद्यार्थी है। आज हमारे देश में विद्यार्थी आजीविका के लिये पढ़ते हैं, पंडित अथवा विद्वान् बनने के लिये नहीं। इसलिये उनसे तुलना करने वाली बात बनती नहीं।

मेरा निवेदन है कि होस्टल व्यवस्था के साथ-साथ ऐसे शिक्षा वर्ग भी कालिजों में हो, जहां कम संख्या में विद्यार्थी हों। दिल्ली में इस प्रकार के स्कूल हैं, जिनको सरकारी सहायता मिलती है । परन्तु यहां से भी कई सम्पन्न लोग अपने बच्चों को मसूरी और देहरादून में पढ़ने के लिये भेजते हैं। देहाती क्षेत्रों के लोग मुख्यतः आजीविका के विचार से ही पढ़ते हैं। शिक्षा के योजनाबद्ध न होने के कारण ऐसे लोग उत्पन्न हो रहे हैं, जो कि समाज पुनर्गठन में ठीक नहीं बैठते। मेरा कहना है कि होस्टल में रहना प्रत्येक स्थान पर अनिवार्य होना चाहिये ।

शिक्षा वर्ग स्थापित करने का भी प्रश्न है। अन्य देशों में परीक्षा को बहुत महत्व नहीं दिया जाता। वर्ष भर में विद्यार्थी की प्रगति का अध्ययन कर किसी निर्णय पर पहुंच जाता है। यहां वर्ष भर की शिक्षा का परीक्षण दो-तीन घंटों में और मौखिक परीक्षाओं में तो बीस-तीस मिनिटों में हो जाता है। मेरा कहना है कि यह परीक्षाओं की पद्धति में भी परिवर्तन किया जाना चाहिये।

अन्त में मेरी अपील है कि इस युग में पुरानी गति से चलना उपयोगी नहीं होगा। आज के युग में हमें नवीन रचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक समस्या का पुनरीक्षण करना होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री खाडिलकर का स्थानापन्न संकल्प सभा के सामने है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं इस संकल्प तथा स्थानापन्न संकल्प के बारे में ही अपने विचार रखूंगा। कहा गया है कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता, हिंसा और गुंडागर्दी की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। मेरा मत यह है कि हमारे देश में नवयुवकों के इस व्यवहार के प्रति कुछ अनुचित तौर पर अधिक ही शोर मचाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम लोग इसके उत्तरदायी नहीं ? क्या हम अनुशासन का पालन करते हैं ? मेरे विचार में आवश्यकता इस बात की है कि बड़ों के व्यवहार की जांच के लिये आयोग नियुक्त हो, न कि इन विद्यार्थियों की जांच के लिये। कुछ विद्यार्थियों के दोषों को बढ़ा चढ़ा कर बखान किया जाता है। विदेशी विश्वविद्यालयों से तुलना का भी कोई लाभ नहीं । हमारा दोष यह है कि हमारे यहां सभी क्षेत्रों में एक निराशा की लहर चल रही है। संसार भर में भी इस लहर का प्रभाव है। यदि उससे कुछ हमारे विद्यार्थी भी प्रभावित हो जायें तो उसके लिये आयोग की कोई आवश्यकता नहीं ।

यह तो ठीक है कि होस्टलों की आवश्यकता है, शिक्षा वर्ग स्थापित करने की भी आवश्यकता है और विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के सम्बन्धों को सुधारने की आवश्यकता है। मैं यह भी कहूंगा कि विद्यार्थियों को काम काज का भी समुचित अवसर प्राप्त होने चाहियें। यह न हो कि वे बेकार ही फिरते रहें।

†मूल अंग्रेजी में

मैंने आज ही यह भी पढ़ा है कि अमेरिका में भी बेकारों की संख्या काफी है। हमारे नवयुवकों को रचनात्मक आदर्शों की आवश्यकता है, जिनसे उन्हें स्फूर्ति और प्रेरणा मिल सके। यह हम लोगों का, अर्थात् अध्यापकों का दोष है कि हम इन नवयुवकों में यह भावना नहीं भर सके कि वह महान् भारत के निर्माण के लिये प्रोत्साहित हो उठें। ताकि हम अंग्रेजों के काल से अच्छे और सुन्दर भारत का निर्माण कर सकें। कितने दुःख की बात है कि स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें अभी १८वीं शताब्दी की ही चल रही हैं, आज के प्रगतिशील युग की उनमें कोई झलक ही नहीं है। यदि हमारी इच्छा है कि हमारे नवयुवक राष्ट्रीय समस्याओं में रुचि लेना आरम्भ करें तो हमें उन्हें व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देनी चाहिये और अपनी गतिविधियों से परिचित कराना चाहिये।

पंजाब विश्वविद्यालय की ओर से युवक कल्याण आन्दोलन की शाखा स्थापित की जा रही है। परन्तु खेद यह है कि ठीक दृष्टिकोण निर्माण करने की ओर हम इन साधनों का समुचित लाभ नहीं उठा रहे। मेरा मत है कि बुनियादी शिक्षा पद्धति को यदि ठीक ढंग से कार्यान्वित किया जाय तो हमारे बहुत से दोष सुधारे जा सकते हैं। साथ ही हमें उनके चरित्र निर्माण की ओर भी ध्यान देना होगा। इसके लिये किसी धर्म विशेष की आवश्यकता नहीं। धर्म तो घरेलू बात है। हमें उन्हें वह शिष्टाचार सिखाना है जिसकी राष्ट्र निर्माण में देश को आवश्यकता है।

आयोग की इसके लिये कोई आवश्यकता नहीं, केवल इतना ही जरूरी है कि हम प्रयत्न करके अपनी शिक्षा पद्धति को नई दिशा की ओर अग्रसर करें। शिक्षा जीवन के लिये है, स्वतन्त्र भारत में जीवन चाहिये। यदि केन्द्र और राज्यों के हमारे मंत्रालय और विश्वविद्यालय बुनियादी शिक्षा पद्धति को कार्यान्वित करने की ओर ध्यान दें तो यह समस्या हल हो सकती है।

†**डा० क० ब० मेनन** (बडागरा) : स्कूल के बच्चों में निराशा, हिंसा, तथा गुंडापन यह रोग नहीं एक व्यवस्था है। इन बच्चों को परिवार अथवा शिक्षा संस्थाओं में ठीक ढंग की शिक्षा ही नहीं दी जाती। इसलिये जिन हालात में ये बच्चे शिक्षा पातें हैं, हमें उनका सुधार करना है।

निराशा तो है परन्तु अनुशासनहीनता इतनी अधिक नहीं कि जांच की मांग की आवश्यकता हो। सामान्यतः अनुशासन की बात का जहां तक सम्बन्ध है वह केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं। देश के सामाजिक जीवन के सभी अंगों में यह दृष्टिगोचर हो रहा है और उसे ठीक करने में समय लगेगा।

निराशा, स्वतन्त्र विकास और अभिव्यक्ति पर लगी रोकों का परिणाम है। बच्चों के विकास के लिये घर और स्कूल में स्वस्थ वातावरण चाहिये जहां वह प्रसन्नता से विकसित होता हुआ पूर्ण अभिव्यक्ति के स्तर पर पहुंच जाये। इससे कठिनाई यह है कि ९० प्रतिशत लोगों को इस प्रकार के वातावरण की सुविधा ही प्राप्त नहीं, और ९९ प्रतिशत मातायें अशिक्षित हैं और आधुनिक ढंग से बच्चों का पालन-पोषण ही नहीं कर सकतीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, १७ फरवरी, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[१४ फरवरी, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३३३–५९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२९	रावी नदी के मार्ग में परिवर्तन	३३३–३४
१३०	लाख का निर्यात	३३४–३५
१३१	उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण	३३५–३६
१३२	घाना के साथ व्यापार करार	३३६–३७
१३३	काम के अनुसार मजूरी	३३८–३९
१३४	आयात अनुज्ञप्तियां	३३९–४१
१३५	मंगला बांध	३४१–४३
१३६	त्रिदलीय सम्मेलन	३४३–४४
१३७	प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना	३४४–४६
१३८	सोवियत रेडियो विशेषज्ञ प्रतिनिधिमण्डल	३४६–४७
१३९	कपड़ा मिलों का बन्द होना	३४७–४८
१४०	गुड़िया उद्योग	३४८–४९
१४१	कारखानों के लाभ	३४९
१४२	पश्चिमी पाकिस्तान "न्यास सम्पत्तियां"	३४९–५०
१४३	भारी विद्युत् उपकरण परियोजना	३५०–५१
१४४	जहाजों के डीजल इंजन	३५१–५२
१४५	रेशम के कीड़े पालना ...	३५२–५३
१४६	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	३५३–५४
१४७	गन्धक	३५४
१४८	निर्यात जोखिम बीमा निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	३५४–५५
१४९	मध्य प्रदेश में सीमेंट का कारखाना	३५५–५६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१	बोकारो तापीय बिजली घर में हड़ताल	३५६–५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३५९–९०
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५०	नारियल-जटा गवेषणा संस्था	३५९
१५१	सीमेंट के छोटे कारखाने	३५९
१५२	दत्तनगर (हिमाचल प्रदेश) में रेशम का केंद्र	३५९–६०
१५३	बनारसी कपड़े का उद्योग	३६०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या		
१५४	निर्यात संवर्द्धन समिति	३६०
१५५	श्री लंका में भारतीय	३६०
१५६	रगुपल्लि (कड़पा) में बैराइटीज की खान	३६१
१५७	प्रव्रजन प्रमाणपत्र ...	३६१
१५८	उत्तरी मालाबार के सिगार-श्रमिक	३६१–६२
१५९	चीनी मिट्टी के बर्तन का उद्योग	३६२
१६०	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	३६२
१६१	पंजाब में छोटे पैमाने के उत्पादन केंद्र	३६२–६३
१६२	कार्ड बोर्ड (गत्ता) का निर्माण	३६३
१६३	हथकरघा उद्योग ...	३६३
१६४	नागा विद्रोही	३६४
१६५	ट्रैक्टर ...	३६४
१६६	लंका के लिये भारतीय विशेषज्ञ	३६५
१६७	नेपाल में सड़कें	३६५
१६८	सीमावर्ती घटनायें ...	३६५–६६
१६९	बिहार में भारी मशीन निर्माण संयंत्र ...	३६६
१७०	कोयला-खनन मशीनों और दर्शन-यंत्रों के शीशों के लिये संयंत्र	३६६
१७१	प्लास्टिक उद्योग	३६६–६७
१७२	प्लास्टिक उद्योग ...	३६७
१७३	मध्य प्रदेश में कागज का कारखाना	३६७
१७४	हल्दी ...	३६७–६८
१७५	विदेशी व्यापार बोर्ड	३६८
१७६	काफी पाउडर ...	३६८
१७७	उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति	३६८–६९
१७८	रेयन के कारखानों के श्रमिक	३६९
१७९	सीमा दुर्घटना	३६९
१८०	नेपा नगर में अखबारी कागज का कारखाना	३७०
१८१	वातानुकूलन उपकरण तथा उनके पुर्जे ...	३७०
१८२	सिलाई की मशीनें	३७०–७१
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२०२	विदेशों में भारतीय ...	३७१–७३
२०३	प्रविधिक कर्मचारियों की कमी	३७३
२०४	दूसरी पंचवर्षीय योजना ...	३७३
२०५	आकाशवाणी के कलाकार	३७३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२०६	छोटे पैमाने के उद्योग	३७३-७४
२०७	बम्बई में चुने हुए उद्योग ...	३७४
२०८	श्रमिकों की स्थिति का सर्वेक्षण ...	३७४
२०९	श्रमिक उपभोक्ता मूल्य निर्देशक तालिका	३७४-७५
२१०	ठेका श्रम पद्धति	३७५
२११	न्यूनतम मजूरी सलाहकार समिति	३७५
२१२	ग्रांड होटल, शिमला ...	३७६
२१३	खोखली ईंटों का निर्माण	३७६-७७
२१४	लकड़ी का गूदा	३७७-७८
२१५	अलौह धातुयें	३७८
२१६	उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां	३७८
२१७	स्वचालित करघे ...	३७९
२१८	अफ्रीकी देशों में भारतीय	३७९
२१९	नारियल-जटा उद्योग	३८०
२२०	नारियल-जटा का रेशा	३८०
२२१	चाय की खपत	३८०-८१
२२२	कोयला खानों में कार्मिक शिशु गृह नर्सें	३८१
२२३	कपड़े का उत्पादन ...	३८१-८२
२२४	जापान से व्यापार ...	३८२
२२५	उड़ीसा में गन्दी बस्तियों की सफाई	३८२
२२६	बकाया किराया	३८२-८३
२२७	भारत-पाकिस्तान पुस्तक व्यापार	३८३
२२८	भारत में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश ...	३८३
२२९	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	३८४
२३०	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	३८४-८५
२३१	सीमावर्ती घटना ...	३८५
२३२	चैकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार	३८५
२३३	कनाडा में भारतीय ...	३८५-८६
२३४	हिमाचल इंडस्ट्रीज एम्पोरियम, शिमला	३८६
२३५	इंदौर डिवीजन में विस्थापित व्यक्तियों के दावे	३८६-८७
२३६	इंडियन रेयर अर्थस् (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई	३८७
२३७	भारत सेवक समाज ...	३८७
२३८	गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार	३८७-८८
२३९	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	३८८
२४०	बाईसिकल के कारखाने ...	३८८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर -- [क्रमशः]

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२४१ राजस्थान में विस्थापित व्यक्ति ३८८–८९
२४२ पंजाब में हस्तशिल्पों का विकास ३८९
२४३ हथकरघा वस्त्र का निर्यात ३८९–९०

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ३९०

चाय नियम १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २५ जनवरी, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३०१ की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गयी ।

राज्य सभा से सन्देश ... ३९०

सचिव ने राज्य-सभा से यह सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी कि राज्य-सभा ने ११ फरवरी, १९५८ की बैठक में भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पारित कर दिया है ।

राज्य-सभा द्वारा पारित किया गया विधेयक -- सभा पटल पर रखा गया ३९०

सचिव ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, १९५८ को, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३९०–९१

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने २८ जनवरी, १९५८ को सागर में विद्यार्थियों और महार रेजिमेंट के सैनिकों के बीच हुए झगड़े के समाचार की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य ३९१

संसद्-कार्य मंत्री श्री सत्य नारायण सिंह ने १७ फरवरी, १९५८ से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी विधान तथा अन्य कार्य क्रम के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पुरःस्थापित ... ३९२

निम्न विधेयक पुरःस्थापित किये गये :

(१) केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक ।

(२) वाणिज्यिक नौवहन विधेयक ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ... ३९२–४१५

राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव और तत्सम्बन्धी संशोधनों पर आगे चर्चा जारी रही चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ४१५

तेरहवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प प्रस्थापित नहीं किया गया	४१५–१६
श्री रममेश्वर टांटिया की प्रार्थना पर सभापति महोदय ने उक्त सदस्य द्वारा, १३ दिसम्बर, १९५७ को प्रस्तुत किये गये, राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन हेतु भारत के बैंकों के कार्य की जांच के लिये एक समिति नियुक्त करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को प्रस्थापित नहीं किया ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प वापिस लिया गया	४१६–३४
श्री म० ला० द्विवेदी ने संकल्प प्रस्तुत किया कि पन्ना में हीरे की खानों का यथाशीघ्र राष्ट्रीयकरण किया जाये ।	
चर्चा के बाद सभा की अनुमति से संकल्प वापिस लिया गया ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प विचाराधीन ...	४३४–३७
श्रीमती इला पालचौधरी ने संकल्प प्रस्तुत किया कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता के कारणों की जांच करने के लिये आयोग नियुक्त किया जाय ।	
चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
सोमवार, १७ फरवरी, १९५८ के लिए कार्यावलि --	
राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा तथा रेलवे आय-व्ययक का उपस्थापन ।	

M101LS—160—24-5-58—GIPF.